खण्ड-262, अंक-8
सोमवार, 18 माघ, शक संवत् 1887
(7 फरवरी, 1966 ई0)

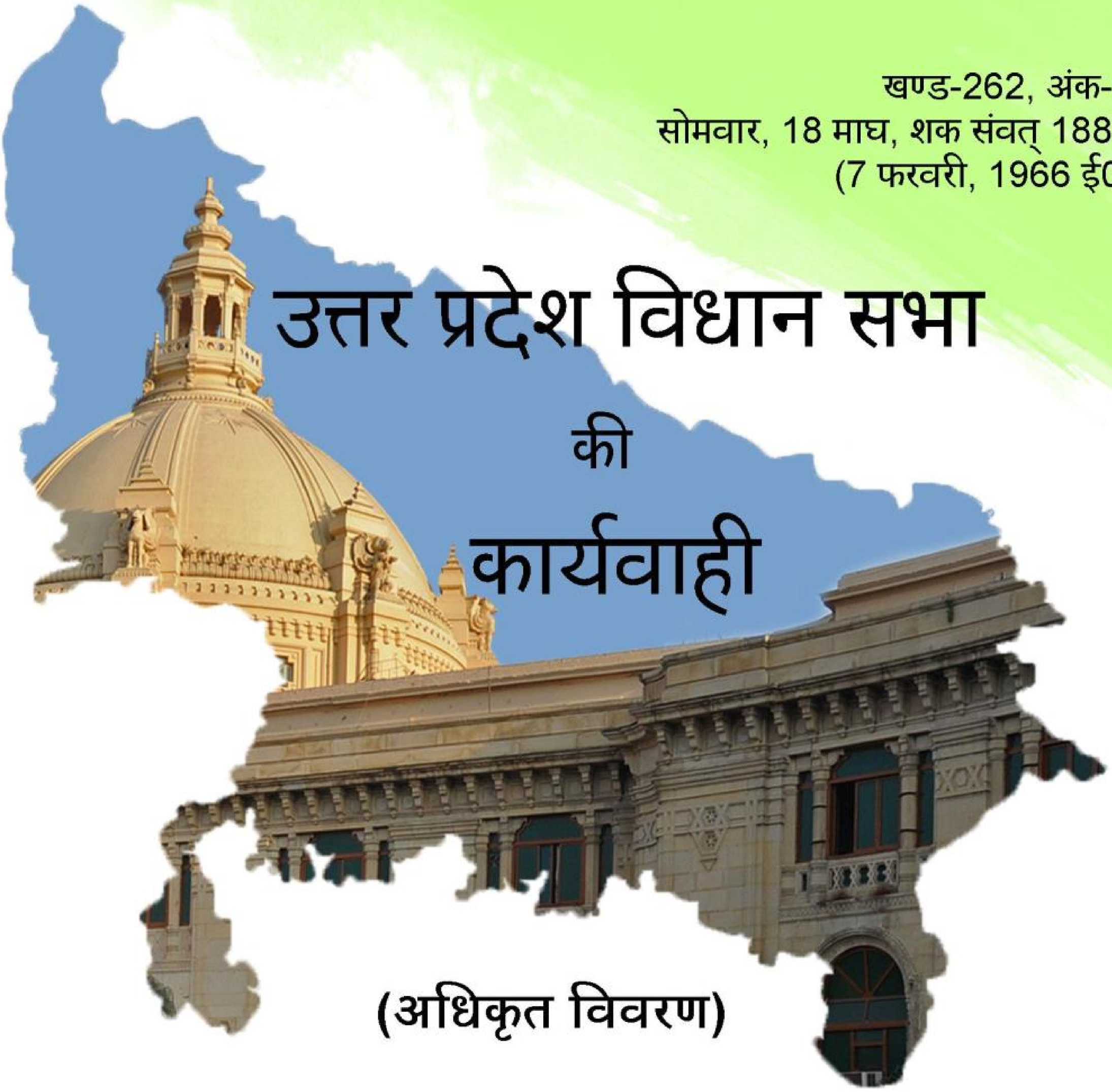

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 262 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	६३७–६४१
प्रश्नोत्तर	६४२–६६८
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ के अधीन प्रख्यापित वित्त विभाग की विज्ञप्ति (मेज पर रखी गयी)	६६८
उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का सत्ताइसवां प्रतिवेदन (मेज पर रखा गया)	६६८–६७०
मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	६७०–६७१
श्री रघुवीरसहाय कैथवार द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न	६७१
श्री टम्बेश्वरप्रसाद द्वारा अभिसूचित कार्य-स्थगन प्रस्ताव (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	६७२
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में घटित घटना के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी, किन्तु चार घंटे का विवाद स्वीकृत हुआ)	६७३–६८५
लखनऊ काटन मिल जनरल फाइबर डीलर्स लिमिटेड, लखनऊ में तालाबन्दी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	६८६–६८८
उत्तर प्रदेश नर्सेज ऐन्ड मिडवाइव्ज कौंसिल, इलाहाबाद एवं लखनऊ यूनिवर्सिटी तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्टस के लिये सदस्यों के निर्वाचन का परिवर्तित कार्यक्रम	६८८
आगामी सप्ताह का कार्यक्रम	६८८–६८९
उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६ (विचारोपरान्त पारित)	६८९–७१२
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में घटित घटना के विषय पर चर्चा (जारी) ..	७१२–७३३
तत्पश्चात्	७३४–७३५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ७ फरवरी, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६४

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री

गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरधरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद),
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजा जी)
पूरमलाल, श्री

प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महाबीरप्रसाद, श्री
महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महाबीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुदगल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंड्ड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री

राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह, राठौर श्री
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ 'प्रणव' श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपति मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीरामतिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री

सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा वित्त मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ७ फरवरी, १९६६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

नगर महापालिकाओं के चुनाव

**१—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कारपोरेशनों के चुनाव कब कराये जायेंगे ?

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

अभी सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया है। इस मामले में यथासमय विचार किया जायगा।

**२—हरीशकुमार गंगवार—

क्या यह सत्य है कि सरकार महापालिकाओं के लिये नियुक्त प्रशासकों को सलाह देने के लिये किसी सलाहकार समिति की नियुक्ति का इरादा रखती है ? यदि हां, तो उसकी पूरी रूपरेखा क्या होगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

इस मामले पर अभी कोई विचार नहीं किया गया है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्री, जो उत्तर में कहा गया है "यथासमय" विचार किया जायगा, तो "यथासमय" को स्पष्ट करने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

यथासमय से मतलब तो मुनासिब समय से होता है किन्तु अभी इसका विधेयक जो सदन के सामने विचार हेतु उपस्थित है जब विधेयक पारित हो जायगा तब आवश्यकतानुसार इस पर विचार किया जायगा।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—

जब तक नये चुनाव नहीं होते तब तक कारपोरेशन का प्रशासन केवल एक व्यक्ति द्वारा चलाया जायगा अथवा कोई परामर्शदात्री समिति बनाने की भी कृपा की जायगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। अभी तो प्रशासक रहेंगे और प्रशासक अगर आवश्यकता समझेंगे तो उस पर समिति के लिये गवर्नमेंट से परामर्श करेंगे।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

यह देखते हुए कि प्रशासक की नियुक्ति से तमाम प्रदेश में रोष व्याप्त हो गया है और एक वर्ष की अवधि बढ़ाई जा चुकी थी तो इस सम्बन्ध में कि इसके चुनाव कब कराये जायं सरकार निर्णय लेने की कब कृपा करेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जो अध्यादेश जारी हुआ है उसके सम्बन्ध में सदन के समक्ष विधेयक आज प्रस्तुत हो रहा है। इसमें समय अवश्य दो वर्ष का दिया गया है लेकिन वह मेक्सिमम समय है और जितनी ही जल्दी नगरों की स्थिति अच्छी हो जायगी उतनी ही जल्दी चुनावों पर विचार किया जायगा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अभी सरकार की ओर से कहा गया है कि आवश्यकता हुई तो परामर्शदात्री समिति नियुक्त की जायगी तो उसको नियुक्त करने का क्या आधार होगा ? जिस प्रोपोर्शन में विभिन्न दलों की स्थिति कारपोरेशन में थी उसी प्रोपोर्शन में सदस्य लेकर समिति बनेगी या सरकार उनको मनोनीत करेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जब इस पर विचार होगा तब इसकी उपरेखा बनाने की आवश्यकता होगी।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

इस बात को देखते हुये कि विधेयक में भी इस बात का जिक्र है कि यदि प्रशासक चाहे तो अपने लिये परामर्शदात्री समिति नियुक्त कर सकता है, तो प्रशासक जन भावनाओं का हनन न कर सके इसको देखते हुये क्या सरकार जल्दी ही परामर्शदात्री समिति को गठित करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

कारपोरेशन ऐक्ट जो माननीय सदस्यों ने पारित किया है उसमें जिस प्रकार का प्राविधान किया गया है उसी के अनुरूप प्रशासक को यह अधिकार है कि यदि वह आवश्यक समझे तो राज्य सरकार से परामर्श करके समिति का गठन कर सकते हैं।

बिसवां में कथित हड़ताल

**३—श्री शिवेन्द्र प्रताप (जिला सीतापुर), श्री लोकपाल सिंह (जिला एटा), श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर) तथा श्री बेदराम (जिला एटा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक १ फरवरी, १९६६ को सीतापुर के बिसवां नगर में आम हड़ताल रही ? यदि हां, तो हड़ताल का कारण क्या था ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक १-२-६६ को मंगलवार होने के कारण बिसवां नगर में दुकानें बन्द थीं और कोई आम हड़ताल नहीं हुई।

ऐत्मादपुर में पुलिस तथा ए०आर० टी० ओ० के बीच झगड़ा

**४—श्री बालोजी अग्रवाल तथा श्री खेमचन्द (जिला आगरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २४ जनवरी, १९६६ को जब ऐत्मादपुर, जिला आगरा में ए० आर० टी० ओ० महोदय एक ट्रक का चालान कर रहे थे तो पुलिस वाले ने उन्हें ऐसा करने से रोका और न मानने पर उनको मारा जिससे उनके चोटें आईं ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—

२४ जनवरी, १९६६ को कथित स्थान पर जब ए० आर० टी० ओ० (इन्फोर्समेंट), आगरा, गाड़ी की चेकिंग कर रहे थे तब दूसरी गाड़ियों में कुछ पुलिस कर्मचारी जो कि टूंडला की ओर से आ रहे थे वहां पहुंचे तथा ए० आर० टी० ओ० से झगड़ा किया लेकिन कोई मारपीट नहीं हुई और न चोट ही आई। जिला मैजिस्ट्रेट आगरा द्वारा इस घटना की जांच का आदेश दिया जा रहा है। परिवहन आयुक्त द्वारा घटना की रिपोर्ट की एक प्रति जांच एवं आवश्यक कार्यवाही के हेतु इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस को भेजी गई है।

श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि पुलिस वालों ने ए० आर० टी० ओ० से झगड़ा क्यों किया ?

श्री मुजफ्फर हुसैन—

वे चेकिंग कर रहे थे और एक एक ट्रक का चालान कर रहे थे इतने में दूसरी ट्रक आई जिसमें पुलिस वाले थे। उनको वहां रुकना पड़ा तो वे झगड़े के लिये आमादा हो गये।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि श्री हरगोविन्द सिंह जैसे उन्मत्त मंत्री के उच्छृंखल पुलिस वाले इस बात पर आमादा हो गये हैं कि सरकारी कर्मचारियों के कर्त्तव्य पालन में दखल दे रहे हैं और उनके साथ मारपीट कर रहे हैं तो क्या सरकार ने इसके खिलाफ कोई कदम उठाये हैं और २४ तारीख को जो घटना हुई उसके संबंध में पुलिस वालों को मुअत्तल क्यों नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष—

मननीय मैनेजरसिंह, एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रश्नों के सम्बन्ध में एक नियम यह भी है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग न किया जाय जिसे एजीटेटेड विशेषण कहते हैं। प्रश्न ऐसे होने चाहिये जो हमारी मर्यादा का संरक्षण करें।

श्री मैनेजरसिंह—

श्रीमन्, जो शब्द आप कहें वह मैं वापस ले लूं। मैंने उन्मत्त कहा था।

श्री अध्यक्ष—

ऐसा न कहते तो ठीक था।

श्री मुजफ्फर हसन—

मैंने बताया है कि मैजिस्टीरियल इंक्वायरी के आदेश दे दिये गये हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि ए० आर० टी० ओ० की तरफ से एफ० आई० आर० लाज की गई है? यदि हां, तो उसकी कापी बता दें?

श्री मुजफ्फर हुसन—

कापी नहीं है और गालिबन एफ० आई० आर० लाज नहीं हुई। उन्होंने कलेक्टर को इत्तिला दी और उस पर कार्यवाही हो रही है।

कुंवर श्रीपालसिंह—

श्रीमन्, मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं कि कलेक्टर को जो उन्होंने रिपोर्ट की, वह क्या है?

श्री मुजफ्फर हसन—

जो बाकया हमने बताया है वही है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, अभी मंत्री जी ने कहा कि ए० आर० टी० ओ० ने इस घटना की एक रिपोर्ट आई० जी० पुलिस को भेजी है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट उन्होंने आई० जी० को भेजी है उसमें पुलिस द्वारा मारपीट का जिक्र है या नहीं? यदि नहीं तो वह रिपोर्ट क्या है? क्या मन्त्री जी इसकी जानकारी सदन को करायेंगे?

श्री मुजफ्फर हसन—

ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने जो रिपोर्ट भेजी है उसमें मारपीट का कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने धमकी दी और गाड़ी को घेर लिया। यही बात है।

श्री शिवचरणलाल (जिला आगरा)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आखिर मामला क्या था, ट्रक क्यों रोका गया और झगड़ा क्यों शुरू हुआ? इसमें ए० आर टी० ओ० की तरफ से गालीगलोज हुआ या दोनों तरफ से गालीगलोज हुआ? ट्रक का चालान क्यों हो रहा था?

श्री मुजफ्फर हसन—

जो गाड़ी वहां पर पुलिस वालों की गाड़ी आन के पहले पहुंची, उसकी जांच ए० आर० टी० ओ० कर रहे थे, उसकी परमिट आदि की और दूसरी चीज की, जिस पर कुछ चालान करने की नौबत आयी थी। जो गाड़ियां आती जाती थी, वे उसके पीछे सारी रुकती जाती थी, क्योंकि इस ट्रक से पूछ तांछ की जा रही थी और सब गाड़ियां रुक रही थीं। यह चीज उन को नागवार लगी और उस पर पुलिस वाले झगड़े पर आमादा हो गये।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

उस ट्रक पर पुलिस के कितने कांस्टेबिल थे और दूसरे कौन कौन से अधिकारी थे?

श्री मुजफ्फर हसन—

कांस्टेबिल के नम्बर तो नहीं मालूम हैं, लेकिन उस पर कांस्टेबिल और सब-इंस्पेक्टर्स थे?

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

मंत्री जी कहते हैं कि कोई मारपीट नहीं हुई, झगड़ा नहीं हुआ तो क्या कारण है कि जिला मैजिस्ट्रेट की इन्क्वायरी करने के लिये नियुक्ति की गयी है?

श्री मुजफ्फर हसन—

मैंने यह नहीं कहा कि झगड़ा नहीं हुआ, मैंने यह कहा कि मारपीट नहीं हुई।

श्री बालोजी अग्रवाल—

इसमें बताया गया है कि 'जिला मैजिस्ट्रेट, आगरा द्वारा इस घटना की जांच का आदेश दिया जा रहा है।' तो मैं यह स्पष्टीकरण जानना चाहता हूं कि जांच का आदेश दिया गया है या नहीं? यदि नहीं दिया गया है तो अभी तक जांच का आदेश न देने का क्या कारण है?

श्री मुजफ्फर हसन—

मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की इत्तला की बुनियाद के आधार पर कहा है कि वह इसकी जांच करने जा रहे हैं।

श्री शिवनाथ सिंह (जिला कानपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सच है कि ए० आर० टी० ओ० ने उस ट्रक को नाजायज तरीके से पकड़ा था और उसके ड्राइवर को गलत तरीके से चालान करके ले जाना चाहते थे, इस पर पुलिस वालों ने हस्तक्षेप किया और उस से बात आगे बढ़ी, जिससे आगे चल कर झगड़े की स्थिति उत्पन्न हुई?

श्री मुजफ्फर हसन—

मुझ तो इसकी वाकफियत नहीं, आपको हो सकती है।

गन्ने का मूल्य

**५—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़), श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा), श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा), श्री लखीसिंह, (जिला मथुरा), श्री शिवनार्थसिंह (जिला कानपुर), श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़), श्री कृष्ण राय (जिला देवरिया), श्री रतीपाल (जिला रायबरेली) तथा श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू सीजन में गुड़, राब, शीरा, खांडसारी और गन्ने की कीमत सरकार अपने प्रदेश के भाव को ऊंचा करने के लिये कौन उपाय करने जा रही है?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

गुड़, राब और खांडसारी के मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है। शीरे (Molasses) के मूल्य में वृद्धि किये जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। जहां तक गन्ने की कीमत में वृद्धि किये जाने का प्रश्न है, केन्द्रीय सरकार द्वारा गन्ने का न्यूनतम मूल्य रिकवरी के आधार पर निश्चित किया जाता है और उन्होंने सीजन १९६५–६६ के लिये गन्ने का मूल्य ५ रुपये ३६ पैसे प्रति क्वींटल निर्धारित किया है। इस समय वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुय राज्य सरकार गन्ने के न्यूनतम मूल्य में वृद्धि किये जाने के पक्ष में नहीं है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अन्य प्रदेशों में गुड़, राब, और खांडसारी तथा गन्ने की कीमत क्या थी, इसकी जानकारी उन्हें है?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

इस समय तो मेरे पास अन्य प्रदेशों के भाव नहीं हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

यदि मूल्यों की जानकारी नहीं है तो फिर यह कहने की क्या आवश्यकता थी कि हम गुड़ और खांडसारी आदि की कीमत नहीं बढ़ायेंगे। इसका कारण क्या है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इन चीजों के भाव हमारे प्रदेश में निर्धारित नहीं रहते। इसलिये यहां पर बढ़ाने और घटाने का सवाल नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मन्त्री जी को मालुम है कि पहले टैरिफ बोर्ड ने इस पर एक निर्णय लिया था और उसके बाद यह फार्मूला बनाया था कि जितने आने मन गन्ना उतने रुपये मन चीनी तो इस फार्मूले को मानते हुये क्या मुख्य मन्त्री जी ३ रुपये गन्ना और ४८ रुपये मन चीनी का भाव पुनः निश्चित करेंगे?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

माननीय सदस्य को यह मालूम है कि गन्ने का भाव केन्द्रीय सरकार से निश्चित होता है। हम उसमें ज्यादा दखल नहीं दे सकते।

श्री उग्रसेन—

तो क्या सम्पूर्णानन्द सरकार ने जो केन्द्र से गन्ने का भाव बढ़ाने की सिफारिश की थी उसके पद चिन्हों पर चलेंगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

हमारे प्रदेश में पिछले दिनों अन्न की बहुत कमी हो गई थी तो अन्न उत्पादन की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हुई। यदि हम गन्ने का दाम बढ़ा देते तो काश्तकारों का ध्यान गन्ना उत्पादन की तरफ अधिक हो जाता और अन्न उत्पादन की तरफ कम हो जाता।

श्री बलवानसिंह—

गन्ने की कीमत इसलिये कम की जा रही है ताकि अन्न का उत्पादन अधिक किया जा सके। मैं यह जानना चाहता हूं कि गन्ने की कीमत सरकार कहां तक कम करने जा रही है ताकि गन्ना यू० पी० से चला जाय ?

श्री अध्यक्ष—

गन्ने की कीमत कम जा की रही है ऐसी बात नहीं है। गन्ने की कीमत उतनी नहीं बढ़ाई गई क्योंकि उसका अन्नोत्पादन पर असर पड़ जाता।

श्री बलवानसिंह—

मैं मुख्य मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि गन्ने की कीमत अब ज्यादा बढ़ाने की बात नहीं है तो क्या मुख्य मन्त्री जी इससे सहमत हैं कि जो आज गन्ने की कीमत है वह ठीक है इस जमाने में ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

आप लोगों को याद होगा कि पिछले साल गन्ने का भाव के बारे में बिहार और यू० पी० में एक मीटिंग हुई थी तब हम लोगों की सहमति से यह भाव माना था। अब हम इस समय ज्यादा भाव बढ़ाने के लिये कोई सिफारिश नहीं कर रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री का ध्यान इस तरफ गया है कि इस वर्ष विशेष परिस्थिति के कारण गुड़ और राब की कीमत बहुत कम हो गई है और ऐसे क्षेत्रों के किसान जो मिल एरिया में नहीं हैं, बाहर है वहां पर गुड़ और राब की कीमत इतनी कम हो गई है कि जिससे वे बहुत परेशान हैं। सरकार की एक साल पहले यह नीति थी कि गन्ने के क्षेत्र को बढ़ायें ताकि चीनी बाहर भेजें और हम को फौरेन ऐक्सचेन्ज मिले। अब किसान गुड़ और राब की कीमत को देखते हुए इस नतीजे पर पहुंचा है कि जो गन्ने के खेत में हैं उन को भी वह कम कर दे। गेंदासिंह जी ने इसी प्रश्न को ले कर बड़ा आन्दोलन किया था। इस पालिसी से पूंजीपतियों को लाभ पहुंच रहा है तो ऐसी स्थिति में किसानों पर जो यह संकट आया है इस पर सरकार ध्यान देगी कि किस प्रकार इसको हल किया जाय ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

हर साल गुड़ और शुगर फैक्टरी का मसला होता है। इस साल की परिस्थिति पिछले साल से अलग हैं। जो भी इन्टरेस्टेड लोग हैं मैं उन माननीय सदस्यों के साथ बैठ कर इस पर सोच विचार करने के लिये तैयार हूं।

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)—

क्या सरकार कोई ऐसे कदम उठाने की सोच रही है कि जिससे खाँडसारी के जो भाव आज बाजार में प्रचलित हैं उन से एक निश्चित एवं मुनासिब प्रतिशत से ज्यादा भाव साल के शेष भाग में न बढ़ सकें ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस समय ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को ज्ञात है कि खांडसारी और गुड़ के इस समय प्रदेश में जो भाव प्रचलित हैं वे क्या हैं तथा सीजन के अन्त में पिछले वर्ष जो थे वह क्या थे और जो बड़ा अन्तर उन में है उस को ध्यान में रखते हुए और काश्तकार को उसका लाभ अधिक से अधिक मिल सके इसलिये क्या वे कोई दाम निश्चित करेंगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उनका दाम निश्चित करने से ज्यादा मुनासिब होगा कि उन को बिकवाने का प्रयत्न किया जाय।

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)—

क्या यह सही है कि १९६५–६६ के गन्ने का दाम तय करते समय प्रदेश की सरकार ने केन्द्र की सरकार से इस बात की सिफारिश की थी कि चीनी की मंहगाई को देखते हुए और गन्ने के उत्पादन को बढ़ावा देने की निगाह से गन्ने का दाम बढ़ाया जाय ? ऐसा सुझाव क्या प्रदेशीय सरकार ने केन्द्र को दिया था और उन्होंने इस को स्वीकार नहीं किया, क्या यह सही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

हमने गन्ने का दाम दो रुपये मन हो, यही सिफारिश की थी, इससे ज्यादा नहीं।

श्री लखीसिंह—

कृषि मंत्री जी जानते हैं कि बहुत से इलाके ऐसे हैं कि जहां गरकी की वजह से सिवाय गन्ने के और कुछ पैदा नहीं होता। क्या मंत्री जी का विचार है कि ऐसे इलाकों में गन्ने का दाम बढ़ा दिया जाय ?

कृषि मंत्री (श्री गेंदासिंह)—

श्रीमन्, शायद यह बात भुला दी गयी है कि इस वर्ष जो सेन कमीशन बैठा था उसमें गन्ने का दाम कम करने की सिफारिश की थी और उसने यह कहा था कि इस वर्ष १९६५–६६ के सीजन में १.८५ रुपया प्रति मन का दाम कर दिया जाय। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने भारत सरकार से आग्रह किया और खास तौर से मुख्य मन्त्री जी ने इस पर जोर दिया कि किसी भी हालत में गन्ने की कीमत कम नहीं की जानी चाहिये और इसके बाद भारत सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि दो रुपये मन कीमत रखी जाय।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या मुख्य मन्त्री और श्री गेंदासिंह का ध्यान उस दिशा की ओर गया है जहां एक फैसला है कि कारखाने और खेत में पैदा हुए सामानों की कीमत का सामांजस्य होना चाहिये? क्या यह सही है कि गन्ने की कीमत जो निर्धारित है वह कारखाने की कीमत के सामंजस्य में नहीं है और बहुत कम है ?

श्री अध्यक्ष—

इस पर बहुत बहस हो चुकी है।

श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह देखते हुए कि प्रदेश में अन्न संकट है और गन्ने की कीमत गिर रही है, क्राप-प्लानिंग का विचार कर रहे हैं ?

श्री गेंदासिंह—

यह कठिन बात है कि किसान अपने खेत में क्या फसल बोवे इस पर भी कोई पाबन्दी लगायी जाय। इस पर बहुत सोचने समझने की जरूरत है।

श्री चन्दनसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सरकार ऐसा करने के लिए तैयार है कि वह सिफारिश करे कि खांड बाहर जाने लगे, जैसे कि आज रोक लगी हुई है, जिससे उसके दाम ठीक हो जायं ?

श्री गेंदासिंह—

इसके लिये भारत सरकार को लिखा जा रहा है कि खांड के भाव अधिक न गिरने पायें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

जब भाई गेंदासिंह इधर बैठते थे तो कहते थे कि गन्ने और चीनी के दामों में सामंजस्य होना चाहिये, क्या उनका ध्यान इधर गया है कि मिल-मालिक कलकत्ते के बाजार में चीनी भेज कर बेतहाशा चीनी के दाम बढ़ा रहे हैं ?, तो क्या वह ऐसा प्रयत्न करेंगे जिससे चीनी और गन्ने के दामों में सामंजस्य स्थापित हो ?

श्री गेंदासिंह—

चीनी पर नियंत्रण है, हो सकता है कि किसी बाजार में चीनी के दाम ज्यादा हों, लेकिन मिल वालों को नियंत्रित मूल्य पर ही बेचनी पड़ती है।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

कृषि मंत्री ने कहा कि क्राप प्लानिंग की जरूरत नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूं कि जैसा कि अन्यान्य देशों में होता है कि जब किसी क्राप को घटाना होता है तो इसके लिए कि किसान उसको कम बोये उस को बोनस या सबसीडी देते हैं जिससे किसान का नुकसान न हो, तो अगर आप भी यह समझते हैं कि गन्ने की जमीन निकाली जाय, क्या किसानों को सबसीडी एकरेज के हिसाब से देने की योजना पर विचार कर रहे हैं ?

श्री गेंदासिंह—

सबसीडी के प्रश्न पर तो विचार नहीं किया गया है, लेकिन किसी भी किसान को अपनी लागत से कम कीमत न मिले इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है कि उसका घाटा न बढ़ने पाये।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

कल्यानपुर विकास खंड में कृषि यंत्र तकावी की वसूली

*१—श्री जेड० ए० अहमद (अनुपस्थित) तथा श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड कार्यालय, कल्यानपुर, जिला कानपुर के द्वारा ग्राम सचेड़ी, ग्राम जुगराजपुर, ग्राम बिनौर के कृषकों से जबरन कृषि यन्त्र की तकावी का रुपया वसूला जा रहा है जब कि उन कृषकों ने न तो कृषि यन्त्र की तकावी के लिये विकास खण्ड कार्यालय, कल्यानपुर में किसी प्रकार के प्रार्थना-पत्र दिये और न उन्हें कृषि यन्त्र ही प्राप्त हुए हैं ?

कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

यह सही नहीं है कि उक्त ग्रामों के किसानों से कृषि यंत्र की तकावी जबरन वसूल की जा रही है। कलक्टर ने वसूलयाबी स्थगित कर दी थी।

*२—श्री जेड० ए० अहमद तथा श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त कृषि यन्त्र की नाजायज तकावी की वसूली के विरोध में कृषकों ने हाल ही में एक प्रार्थना-पत्र दिया था, जिसकी जांच कानपुर नियोजन कार्यालय के डिप्टी डी० पी० ओ० ने की थी और उस जांच को न्यायिक भ्रष्टाचार के बल पर डिप्टी डी० पी० ओ० ने ही किया तथा पक्षपात करके बी० डी० ओ० को बचा लिया? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी हां, शिकायत आई थी। जांच के पश्चात् दोषी कर्मचारियों के प्रतिकूल वैभागिक कार्यवाही की जा रही है। जो मूलतः उत्तरदायी पाए गए उन को निलम्बित करने का ए० डी० एम० (पी०) ने आदेश दिया है। बी० डी० ओ० के उत्तरदायित्व का पुनः सावधानी से मूल्यांकन करने के लिए जिलाधीश को आदेश देने का विचार है।

श्री चन्द्रजीत यादव—

जिन कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है उनके विरुद्ध किस प्रकार की शिकायतें थीं और वे कौन कर्मचारी हैं जिन को निलम्बित किया गया है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

एक ग्राम सेवक हैं जिनके विरुद्ध यह शिकायत थी कि उन्होंने फर्जी इन्दराज यंत्रों के वितरण के कर रखे थे और गलत प्रमाण-पत्र दिये थे। एक त्रिपाठी तथा एक श्री बाबूराम जो सरकारी सुपरवाइजर और मंत्री थे उनके विरुद्ध भी यही शिकायत थी।

श्री बद्री प्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

इस तरह के आरोप के कितने केसेज थे तथा क्या सरकार ऐसे दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही करेगी?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जांच करने के बाद जो अधिकारी दोषी पाये गये उनके विरुद्ध यह कार्यवाही की गयी थी।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

मैंने पूछा था कि इस तरह के कितने केसेज थे?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

३ प्रार्थना-पत्र तो परगनाधीश को प्राप्त हुये थे जिनमें एक में तो ९ आदमियों ने यह शिकायत की थी, दूसरी में २७ ने की थी और तीसरी में १५ ने यह शिकायत की थी।

श्री शिवराज सिंह—

जो यंत्र बांटे गये थे उन पर कोई क्वालिटी मार्क था?

श्री गेंदासिंह—

क्वालिटी खराब होने की शिकायत नहीं थी। शिकायत तो यह थी कि जिनके नाम यन्त्र दर्ज थे उन को मिले नहीं थे।

श्री शिवराजसिंह—

मैंने यह पूछा था कि जो कृषि यन्त्र विभाग की ओर से दिये जाते हैं उन पर कोई क्वालिटी मार्क होता है या नहीं ? और उसका कोई भाव नियन्त्रित है या नहीं ?

श्री गेंदासिंह—

माननीय शिवराजसिंह जी ने अपने समय में जो नीति चलाई थी वही चल रही है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव—

लगभग ५० किसानों ने लिख कर यह शिकायत की थी कि उनके नाम फर्जी तौर पर यंत्रों को लिख कर उनसे वसूली की जा रही है। उनका यह भी आरोप था कि उसके लिये बी० डी० ओ० जिम्मेदार हैं और वे नीचे के कर्मचारियों से गलत काम करा कर रुपया खुद लेते थे। ए० डी० एम० ने जो जांच की उसके बाद यह कहा गया कि बी० डी० ओ० को बचाने के खयाल से नीचे के कर्मचारियों को फंसा दिया गया है। तो क्या सरकार इसकी जांच नीचे के अधिकारियों से न करा कर जिलाधीश से कहेगी कि वे स्वयं व्यक्तिगत रूप से इसकी जांच करें ?

श्री गेंदासिंह—

जिलाधीश से व्यक्तिगत रूप से जांच कराने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

इस प्रकार की गबन की बहुत सी शिकायतें प्रदेश में हैं। हमारी बरेली तहसील में भी हजारों रुपया तकावी का फर्जी दरख्वास्तें लाकर खाया गया है। इसी तरह से इस ब्लाक की हालत है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आवेदन-पत्र फर्जी न आवें और फर्जी लोगों में तकावी न बंट सके, क्या इसके लिये यह तरीका अपनाने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभाओं या ग्राम पंचायतों की मीटिंगों में ही प्रार्थना-पत्र पहिले प्राप्त हों और फिर सीधे वे ब्लाक में जांय ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री अध्यक्ष—

ये बातें सीधे हो जाती हैं तो ही ठीक होता है।

[७ फरवरी, १९६६ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

मिट्टी के तेल की वितरण व्यवस्था

*१—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य विभाग के पत्र संख्या लखनऊ, दिनांक ७ फरवरी, १९६३ की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रक्खेंगे तथा बतायेंगे कि मिट्टी के तेल का वितरण इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों में चालू है या नहीं ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*२—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या खाद्य मन्त्री बतायेंगे कि गोरखपुर जिले में मिट्टी के तेल के वितरण की उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत कितना मिट्टी का तेल १ सितम्बर, १९६५ से ३० नवम्बर, १९६५ तक कुल कितना आया तथा कितना थोक विक्रेताओं के रिटेलर्स द्वारा तथा कितना डी० एस० ओ० के लाइसेन्सी द्वारा वितरण किया गया।

खाद्य मन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

मेरा निवेदन यह है कि पहिला प्रश्न सक्रेटेरिएट से सम्बन्ध रखता है और इसके बारे में सरकार ने २१ दिसम्बर १९६५ को दूसरा आर्डर भी प्रसारित कर दिया । तो मैं यह जानना चाहता हूं अगर माननीय मंत्री के पास तेल वितरण व्यवस्था के बारे में कोई जी० ओ० हो तो उसको सदन के सामने रक्खें, और दूसरे प्रश्न का जवाब सूचना एकत्रित करके दें ।

श्री अध्यक्ष—

७ फरवरी, १९६३ की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रक्खेंगे और उसके साथ बतायेंगे कि मिट्टी के तेल का वितरण इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों में चालू किया । तो आप अपने पत्र को मेज पर रख ही दीजिये । दूसरे के बारे में भी . . . . . .

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

पहले प्रश्न का उत्तर दिलवा दीजिए ।

श्री अध्यक्ष—

कब तक उत्तर दीजियेगा ?

श्री जगम हनसिंह नेगी—

अगर दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनना चाहें तो दे सकता हूं, पहले का नहीं ।

शिवपुर में मिल मजदूरों के लिये सस्ते अनाज की व्यवस्था तथा मुरादाबाद जिले में सस्ते गल्ले की दूकानें

*३—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या खाद्य मन्त्री यह बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के उस निर्णय के अधीन कि जहां ३०० से ज्यादा श्रमिक हों वहां सस्ते गल्ले की दूकान खोली जायें, कृष्ण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रेस लि० तथा कृष्ण इन्जीनियरिंग वर्क्स शिवपुर, वाराणसी में अब तक कोई दूकान क्यों नहीं खोली गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिन मिलों व फैक्टरियों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या ३०० या उससे अधिक थी और जिसकी सूचना श्रम विभाग ने भेजी थी उसकी सूची सरकार द्वारा प्रत्येक जिलाधीश को भेज दी गई थी । कृष्ण हाइड्रो इलेकिट्रक प्रेस लि० तथा कृष्ण इंजीनियरिंग वर्क्स, शिवपुर, वाराणसी के नाम सरकार द्वारा भेजी गई सूची में नहीं थे इस कारण वहां दूकानें नहीं खोली गई । यह फैक्टरियां शहरी क्षेत्र में हैं और इस क्षेत्र के रहने वाले श्रमिकों को सामान्य योजना में गल्ला मिलता है ।

*४—श्री रियासत हुसैन—

क्या खाद्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जिला मुरादाबाद में जून और जुलाई, १९६५ में कितना-कितना गेहूं, चना और जौ एजेन्टों के द्वारा सरकार ने खरीदा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वांछित सूचना निम्न प्रकार है :—

जून १९६५ ..	गेहूं ..	३१० क्विन्टल
	चना ..	.. ..
	जौ ..	१९० क्विन्टल
जुलाई १९६५ ..	गेहूं ..	१९७९ ,,
	चना ..	.. ..
	जौ ..	४२६ क्विन्टल

*५—श्री रियासत हुसैन—

क्या खाद्य मंत्री यह बतायेंगे कि जिला मुरादाबाद में इस समय देहाती क्षेत्र में कितनी दूकानें चीनी और सस्ते गल्ले का वितरण कर रही हैं और उनको मई, जून, जुलाई, अगस्त में कितनी-कितनी चीनी और गल्ला दिया गया ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

वांछित सूचना निम्न प्रकार है :—

दूकानों की संख्या	गल्ला	..	..	..
	चीनी	..	..	१४५

	मास	गल्ला	चीनी	
मात्रा गल्ला व चीनी की जो दूकानों पर दी गई।	मई	०	१४६०	बोरी
	जून	०	१४५०	बोरी
	जुलाई	०	१४५०	बोरी
	अगस्त	०	१४२०	बोरी

श्री रियासत हुसैन—

जैसा कि मंत्री जी ने जबाब दिया कि ये दोनों कृष्ण इन्जीनियरिंग वर्क्स और कृष्ण हाईड्रो-इलैक्ट्रिक प्रेस चूंकि शहरी क्षेत्र में हैं इसलिये वहां सामान्य रूप से मिलता है, तो क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या कोई रूल्स या आर्डर्स में प्रतिबन्ध है कि जो फैक्टरियां शहरी क्षेत्र में आ जाती हैं उनके लेबरर्स को वे रियायतें नहीं मिलेंगी जो दूसरी फैक्टरियों को मिलती हैं, या यही केस यहां पर होता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

कायदा यह है कि जिन कारखानों में लेबर की संख्या ३०० से अधिक होती है वे लेबर डिपार्टमेन्ट को सूचना देते हैं। बाकी मजदूर साधारण नागरिकों की तरह से लेते हैं।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी लेबर डिपार्टमेन्ट से सूचना मंगाकर कि इन दोनों फैक्ट्रियों में ३०० से अधिक मजदूर हैं वहां दूकानें खुलवाने का प्रबन्ध करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

कुंवा प्यासे के पास नहीं जाता है, प्यासा कुंवे के पास जाता है।

श्री रियासत हुसैन—

मुरादाबाद जिले में गेहूं और जौ की खरीदारी वहां की पैदावार को देखते हुए न के बराबर है, तो इतनी थोड़ी खरीद करने के मुख्य कारण क्या हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह खुले बाजार में खरीदा गया, किसी को मजबूर करके नहीं।

श्री रियासत हुसैन—

क्या किसी रूल के मातहत खरीदारी की या कोई दिक्कत आई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

कोई रूल–वूल नहीं था। जैसे एक प्राइवेट आदमी खरीदता है। वैसे लिया गया।

श्री मैनेजरसिंह—

दरिया अपने पानी को फैलाकर करोड़ों आदमियों की प्यास बुझाती है, तो मंत्री जी इतने कूपमंडूक क्यों हो रहे हैं, क्यों नहीं सबको अनाज देते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हमारा तो दरिया खुला है, आप मन्डूक आना चाहें तो आ जावें।

श्री हेतरामसिंह (जिला मुरादाबाद)—

मुरादाबाद जिले की १८ लाख आबादी में से ६ लाख के करीब शहरों में और बाकी देहात में रहते हैं। उनमें ५० परसेंट लोग मजदूर हैं जो खेतिहर भी नहीं हैं, न उनके पास कोई और जरिया है। क्या मंत्रीजी ने देहाती मजदूरों को अनाज दिया और आगे देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

पहले दिया लेकिन जबसे हमारा कोटा कम हुआ तब से नहीं दिया गया। अगर कहीं आवश्यकता है तो मोटा अनाज हम दे सकते हैं।

श्री हेतरामसिंह—

आप इनक्वायरी करावेंगे कि देहातों को आपने कोई अनाज नहीं दिया।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

देहातों में दूकानें थीं उन्हें गल्ला दिया गया।

नैनीताल जिले में विनियमित क्षेत्र

*६—श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिला अन्तर्गत कितने टाउन्स में टाउन प्लानर स्कीम लागू की गई है और उक्त टाउन प्लानर स्कीम में जो ओवरसियर काम करते हैं उनका कर्त्तव्य क्या है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

नैनीताल जिले के निम्न टाउन्स को विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया है।

(१) किच्छा ग्राम सभा, किच्छा
(२) बाजपुर ग्राम सभा, बाजपुर और
(३) रुद्रपुर अधिसूचित क्षेत्र रुद्रपुर।

उक्त तीनों क्षेत्रों के हेतु शासनादेश दिनांक १२ जुलाई १९६०, के द्वारा एक ओवरसियर की नियुक्ति की गई जिसके कर्त्तव्य प्राधिकारी द्वारा दिये गये उक्त दो क्षेत्रों के भी प्राविधिक व अन्य कार्यों का करना है। इसके अतिरिक्त विनियमित क्षेत्र के ओरसियर के नाते इनका कार्य इन क्षेत्रों में अव्यवस्थित व बेजा आबादियों को रोकने की कार्यवाही भी करना है।

*७—श्री इन्द्रासनसिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रुद्रपुर टाउन (नैनीताल) में सन् १९६० से अब तक कितने मकान टाउन प्लानर स्कीम के अन्तर्गत बने हैं, इसकी सूची सदन की पीठिका पर रखने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

१९६० से अब तक रुद्रपुर विनियमित क्षेत्र में निहित प्राधिकारी नैनीताल के द्वारा ७६ व्यक्तियों को (उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ के अन्तर्गत मकान के निर्माण करने व मकान के मरम्मत आदि करने की अनुमति प्रदान की गयी है। उक्त ७६ व्यक्तियों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७३४ पर।)

*८—श्री इन्द्रासनसिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एक ही ओवरसियर कई एक टाउन्स का इंचार्ज होता है? यदि हां, तो रुद्रपुर, किच्छा और बाजपुर का ओवरसियर कौन है और उसका हेड क्वार्टर कहां है?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

शासन द्वारा अभी तक इन तीनों विनियमित क्षेत्रों के हेतु केवल एक ही ओवरसियर की नियुक्ति की स्वीकृत दी गई है और इन क्षेत्रों के लिये जिस ओवरसियर की नियुक्त की गई है उनका नाम राजकुमार पाठक है जिनका मुख्यालय रुद्रपुर नगर क्षेत्र, रुद्रपुर में है और उनका साप्ताहिक दौरे का कार्य-क्रम निम्न प्रकार रखा गया है।

बुधवार व बृहस्पतिवार किच्छा में काम, शुक्रवार व शनिवार बाजपुर में काम करेंगे।

श्री इन्द्रासनसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मेरी इस बात को सूचना मानकर कि रूद्रपुर में मकान टाउन प्लान के अन्तर्गत नहीं बने हैं बल्कि उस विशेष ओवरसियर को नाजायज पैसा देकर बनाये गये हैं, इसकी जांच करावेंगे?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

तीनों स्थानों में एक ही ओवरसियर हैं और तीनों क्षेत्रों के कार्य के लिये वह जिम्मेदार हैं। शासन को कोई सूचना नहीं है कि इन्होंने आदेशों के मुताबिक काम नहीं किया है।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

किछा और बाजपुर में कितनी दरख्वास्तें मकान बनाने के लिये आईं और उन पर क्या कार्यवाही हुई?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

नोटिस की आवश्यकता है। मूल प्रश्न रूद्रपुर का है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

सरकार ने तीन स्थानों के लिये केवल एक ओवरसियर रख के बड़ा अधिकारी क्यों नहीं रखा है, जब इतना महत्वपूर्ण काम है?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

ओवरसियर का काम यह है कि कंट्रोलिंग अथारिटी के पास किये नक्शे के मुताबिक मकान बना है या नहीं, यह देखें। तीनों जगहों में एक एक कमेटी है जिसमें अधिकारी और नान-अधिकारी हैं। वह कार्य कर रही हैं।

श्री ऊदल—

क्या मंत्रीजी को मालूम है कि जो मकान इस योजना में बन रहे हैं उनका नक्शा टाउन प्लानर से पास होता है या नहीं?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

अगर आवश्यकता होती है तो नक्शे टाउन प्लानर के पास भी आते हैं, नहीं तो कंट्रोलिंग अथारिटी विचार करती है ।

श्री इन्द्रासनसिंह—

यह कंट्रोलिंग अथारिटी कहां रहती है और कौन है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

रूहेलखंड के आयुक्त की अध्यक्षता में रूद्रपुर में अध्यक्ष, जिला परिषद्, नैनीताल, नोटीफाइड एरिया रूद्रपुर के अध्यक्ष, जिलाधीश नैनीताल, परगनाधीश तराई भाबर, नैनीताल, अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बरेली, अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नैनीताल, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का अधिकारी, ये होते हैं । इसी तरह से तीनों जगह अगल-अलग हैं ।

श्री इन्द्रासनसिंह—

माननीय मंत्री जी ने समिति के जिन नामों को बताया, क्या उन लोगों की कोई मीटिंग अभी हाल में हुई ? अगर हुई तो कब ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

आवश्यकतानुसार मीटिंग अवश्य होती होगी । कब हुई, इसकी सूचना इस समय नहीं है ।

*९—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिये गये ।]

*१०-११—श्री उग्रसेन—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिये गये ।]

नरही, लखनऊ में लोहे का कारखाना

*१२—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि रामरतन बाजपेयी रोड, नरही, लखनऊ (जहां पहिले ताड़ीखाना था) के पास में एक कारखाना बड़ी लोहे की अलमारी बनाने का बिना नाम का खोला गया है जिससे बड़ी-बड़ी लोहे की चादरों के पीटे जाने से भयंकर आवाज होती है और वहां के रहने वालों की शान्ति ही नहीं आराम करना, बच्चों का पढ़ना-लिखना, सोना तथा बीमारों का आराम आदि समाप्त हो गया है ? क्या सरकार उसे तुरन्त दूसरे स्थान पर हटाने की कृपा कर वहां शान्ति कायम कराने की कृपा करेगी जिससे वहां का जन-जीवन शान्त रह सके ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

रामरतन बाजपेयी लेन, नरही पर सन् १९४८ से मेसर्स त्रिलोकसिंह एन्ड कम्पनी की मोटर की वर्कशाप थी । उसी वर्कशाप में लोहे की अलमारियां बनाने का कार्य कुछ दिनों से प्रारम्भ कर दिया गया है । नगरमहापालिका, लखनऊ ने सूचित किया है कि अब उन्हें नोटिस जारी किया जा रहा है और उत्तर आने पर आगे उचित कानूनी कार्यवाही की जायेगी ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि इस कारखाने में पहले केवल मरम्मत का काम होता था और अब जो लोहे की अलमारी बनाने का, काम शुरू कर दिया है, वह बिना महापालिका की आज्ञा के ही कर दिया है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

महापालिका को कार्यवाही करने के लिये लिख दिया गया है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि यह एक सार्वजनिक स्थान है, बहुत कंजेस्टेड, लोगों को इससे बहुत परेशानी होती है । तो क्या माननीय मंत्री जी उसको वहां से हटाने पर विचार करेंगे और उसने जो कानून के विरुद्ध कार्यवाही की है, उसके लिये उसको सजा देंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

महापालिका ने उनको नोटिस दे दिया है । उसका उत्तर आने पर महापालिका द्वारा कानूनी कार्यवाही की जायगी ।

*१३–१५—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

[३रे बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ८–१० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

स्थानीय निकायों का चुनाव

*१६—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों के बाई-इलेक्शन को जो कि नवम्बर, १९६५ के आस–पास होने को थे किन-किन कारणों से स्थगित किया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

राष्ट्रीय संकट कालीन स्थिति को दृष्टि में रखते हुये शहरी स्थानीय निकायों के उप चुनाव जनहित में स्थगित कर दिये गये हैं ।

*१७—श्री मुमताज मुहम्मद खां (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब शहरी स्थानीय निकायों के बाई-इलेक्शन कब करवाये जायेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

ज्योंही संकट कालीन स्थिति में सुधार होगा शासन द्वारा इस विषय पर विचार किया जायगा ।

राया कृषि फार्म, जिला मथुरा

*१८—श्री केदारनाथ भार्गव (जिला मथुरा)—

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि मथुरा जिले के राया स्थित कृषि फार्म से सरकार को पिछले तीन वर्षों में कितनी आय हुई है ? क्या सरकार ने इसके कोई आंकड़े उपलब्ध किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

पिछले तीन वर्षों में मथुरा जिले के राया कृषि फार्म से १,८७,११९ रु० की आय हुई है । आंकड़े उपलब्ध है ।

श्री केदार नाथ भार्गव—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि विगत ३ वर्षों में इस पर कितना खर्चा हुआ ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

पिछले तीन सालों के आंकड़े निम्न प्रकार हैं--

	आय	व्यय	लाभ
	रु०	रु०	रु०
१९६२-६३	५३,४३२	४४,३५६	९,०७६
१९६३-६४	४९,७४०	४७,२६७	२,४७३
१९६४-६५	८३,९४७	६४,११५	१९,८३२

श्री केदारनाथ भार्गव--

इस फार्म में भूमि कितनी है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

१४८ एकड़ भूमि है जिसमें से १३२ एकड़ पर खेती होती है ।

श्री राधेश्याम शर्मा--

जितनी भूमि पर सरकार का अधिकार है उसके अनुपात में खर्चा होकर वाजिब मुनाफा सरकार को नहीं होता है। क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि फार्म की पैदावार फार्म के अधिकारियों के घर चली जाती है ?

श्री गेंदासिंह--

ऐसी जांच तो सदैव होती ही रहती है और उसकी निगरानी करने वाले सरकारी अधिकारी हैं। परन्तु माननीय राधेश्याम जी को वहां की विशेष जानकारी है तो वह उपमंत्री जी को या मुझे आकर किसी समय बता दें या डाक से बौर टिकट के चिट्ठी भेज दें, बैरंग भी छुड़ा ली जायगी ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

मंत्री जी गैरकानूनी बात कह रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

वह पैसा देंगे ।

श्री लखीसिंह--

मैं माननीय कृषि मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि माधुरी कुंड के अलावा जितने भी मथुरा जिले के कृषि फार्म हैं सब में सरकार को घाटा हो रहा है। हम बराबर इन नये कृषि मंत्री जी से भी कहते रहे हैं कि आप इसकी जांच करायें कि घाटा हो रहा है या नहीं, तो क्या अब वह जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो उन्होंने बताया....

श्री गेंदासिंह--

मैं श्री लखीसिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि जैसे वह अपनी खेती देखते हैं उसी तरह से वह कभी-कभी सरकारी खेती को भी देख लिया करें ।

*१९--श्री रतीपाल--

[प्रश्नकर्ता से स्पष्टीकरण हेतु हटा दिया गया ।]

तरबगंज तहसील में बाग कटवाने के परमिट

*२०—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा) तथा सरदार बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बतायेगी कि गोंडा जिले की तहसील तरबगंज के खजुरिया, कूरो, कटरा तथा काशीपुर ग्रामों में हरे बनों को कटवाने के लिये किस-किस बाग के मालिक को जमींदारी उन्मूलन के बाद अपनी बाग कटवाने के लिये सरकार द्वारा परमिट दिया गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री सुखदेवप्रसाद—

यह एक ही स्थान पर कई ग्रामों का था, कोई बड़ी चीज नहीं थी, तो यह सूचना कब तक आ जायगी ?

श्री अध्यक्ष—

वह अब की बार आ जायगी ।

श्री गंगाप्रसाद—

आज भी तमाम बाग काटे जा रहे हैं, यह सूचना बतायें कि कब तक आ जायगी ?

श्री अध्यक्ष—

वह अगली बार अवश्य आ जायगी ।

*२१-२२—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

[३रे बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ११-१२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

बांदा जिले में खाद का वितरण

*२३—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा) (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले में सन् १९६३, १९६४ तथा १९६५ में कितनी खाद सरकार की ओर से वितरित की गई है ? सिंचित क्षेत्र में कितनी खाद तथा असिंचित क्षेत्र में कितनी खाद बांटी गई ?

श्री गेंदासिंह—

वांछित सूचना निम्न प्रकार है :

वर्ष		सिंचित क्षेत्र में बांटी गई खाद (टनों में)	असिंचित क्षेत्र में बांटी गई खाद (टनों में)	कुल बांटी गई खाद (टनों में)
१		२	३	४
१९६३-६४	..	१७१८	६०४	२३२२
१९६४-६५	..	२२९०	८३८	३१२८
१९६५-६६	..	आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है ।		

*२४—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खाद के अनिवार्य रूप से दिये जाने के विरोध में सन् १९६४ के कोआपरेटिव बैंक, बांदा के वार्षिक उत्सव में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया है ? यदि हां, तो उपरोक्त विरोध में प्रस्ताव पास होने पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री गेंदासिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

गौरा बरहज में सस्ते गल्ले के दूकानदारों के विरुद्ध जांच

*२५—श्री उग्रसेन—

क्या पूर्ति मंत्री बतायेंगे कि देवरिया के एक विधायक द्वारा नवम्बर, १९६५ के तीसरे सप्ताह में उन्हें नगरपालिका गौरा बरहज, जिला देवरिया के वार्ड, नन्दना, जयनगर तथा पठान टोली के सस्ते गल्ले के दूकानदारों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत मिली है ? यदि हां, तो उक्त शिकायतों पर कौन-सी कार्यवाही की गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इस प्रकार की शिकायत मिली थी । जिलाधीश को इस विषय में जांच करने हेतु लिखा गया था । अभी जांच जारी है ।

श्री उग्रसेन—

यह जांच की रिपोर्ट कब तक सदन में आ जायगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिलाधीश ने लिखा है कि जल्द ही दे देंगे ।

पीलीभीत उपनिवेशन योजनान्तर्गत अनुदानित भूमि

*२६—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पीलीभीत उपनिवेशन योजना के अधीन कितने शिक्षित उद्योग हीनों को भूमि अनुदान दिया गया तथा उनमें से कितनों को १० एकड़ और कितनों के २० एकड़ भूमि अनुदानित की गई ?

श्री गेंदासिंह—

पीलीभीत उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत अब तक ६४ शिक्षित उद्योगहीनों को भूमि अनुदानित की जा चुकी है जिसमें से ४० को बीस-बीस एकड़ तथा २४ को दस-दस एकड़ भूमि अनुदानित की गई है ।

*२७—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या कृषि मंत्री यह बतायेंगे कि उक्त प्रश्न के उत्तर से संबंधित यह बतायेंगे कि कुछ को १० एकड़ तथा कुछ को २० एकड़ देने का कारण क्या है ?

श्री गेंदासिंह—

ऐसा करने का प्रमुख कारण यह था कि बाद में उपनिवेशन योजना में इतनी जमीन नहीं रह गई कि सब शिक्षित आवेदन कर्ताओं को २० एकड़ के हिसाब से जमीन दी जा सकती । फिर भी इस नीयत से कि अधिक से अधिक शिक्षित उद्योगहीन व्यक्तियों को बसाया जा सके, योजना की प्रवरण समिति ने निश्चय किया कि इनमें से ऐसे व्यक्तियों को भी जो अपनी स्वेच्छा से १० एकड़ भूमि लेना चाहते हों, जमीन दे दी जाय ।

*२८—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि पीलीभीत उपनिवेशन योजना के अधीन किन-किन अशिक्षित उद्योगहीनों को २० एकड़ भूमि दी गई जब कि साधारण व्यवस्था १० एकड़ भूमि दिये जाने की है तथा क्यों ?

श्री मेंवासिंह—

किसी भी अशिक्षित उद्योगहीन व्यक्ति को २० एकड़ भूमि नहीं दी गई ।

कृषि विभाग से उन्नत बीज का वितरण

*२९—श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना में उन्नत बीजों के उत्पादन तथा वितरण के लिये कृषि विभाग द्वारा कुल कितना खर्च अनुमानित था तथा उसमें योजना वार कुल कितना व्यय हुआ और उससे कुल कितना लाभ या उपलब्धि प्राप्त हुई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

उन्नत बीज का वितरण कृषि विभाग के बीज गोदामों से किया जाता है । द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि बीज गोदामों से उन्नत बीज के वितरण पर हुये व्यय तथा लाभ के आंकड़े निम्न प्रकार हैं ।

योजना	व्यय (रुपये में)		
	अनुमानित	वास्तविक	लाभ
द्वितीय ..	७,५८,५६ ०००	६,०७,०२,५८८	२,०७,०५,४८९
तृतीय ..	५,०५,२०,४००	२,६९,१२ ९१९	२०,१६,५३७
		(१९६४-६५ तक)	(१९६३-६४ तक)

उन्नत बीज का कुछ अंश कृषि विभाग के बीज संवर्धन फार्मों पर उत्पादन किया जाता है और शेष अन्य फार्मों या उत्पादकों से क्रय किया जाता है । बीज संवर्धन फार्मों पर उन्नत बीज के उत्पादन पर लागत के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं । अतः उक्त फार्मों पर उन्नत बीज के उत्पादन पर हुये व्यय तथा लाभ के आंकड़े देना संभव नहीं है ।

श्री कल्पनाथसिंह—

मैं माननीय कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में ५ करोड़ से कुछ ऊपर की धनराशि का अनुमान था किन्तु परिस्थिति यह है कि यह २ करोड़ ६९ लाख रुपया ही खर्च हो पाया, इसका क्या कारण है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

किसानों की मांग पर बहुत कुछ अवलम्बित है । यह देखना होता है कि किसानों ने कितनी मांग की ।

श्री कल्पनाथसिंह—

इस बात को देखते हुए कि यह अनुमान लगाया गया है कि किसानों की कितनी मांग है पर उसके बाद वास्तविक व्यय जो हुआ आंकड़े देखने से उसमें बड़ी दिक्कत हुयी । दूसरी

पंचवर्षीय योजना में अनुमान से कुछ कम हुआ लेकिन इस योजना में बहुत ज्यादा कमी हुयी। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है? ऐसा मेरा अनुमान है कि यह किसानों की मांग को देखते हुए ही अन्दाजा लगाया गया?

श्री गेंदासिंह--

जो धन इसमें खर्चा होना चाहिये था वह नहीं हो सका लेकिन माननीय कल्पनाथसिंह जी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि इस खर्चे में एक वर्ष का खर्चा अभी बाकी है और वह नहीं लगाया गया है। श्रीमन्, अगर वह भी इसमें जोड़ दिया जाय तो उससे भी यह खर्चा बढ़ जायगा। माननीय कल्पनाथसिंह जी की यह बात मैं मानता हूं कि जो रकम इस कार्य के लिये मंजूर की जाय उसको उसी वर्ष में और पूरी की पूरी खर्च की जाय।

जिला गोरखपुर में फसल में कीड़ा लगना

*३०--श्री कल्पनाथसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फसली सन् १३७३ में गोला, बरहलगंज और मगहा ब्लाक, जिला गोरखपुर में रबी की फसल में कीड़ा लग जाने के कारण कुल कितने एकड़ भूमि की फसल नष्ट हो गयी और उस भूमि में से कितने एकड़ में दुबारा बुआई की गयी?

श्री गेंदासिंह--

८४५ एकड़ रबी की फसल में तुलिया तथा दीमक कीड़ों का प्रकोप हुआ जिसमें से १०३ एकड़ में पुनः बुआई की गयी तथा ५ एकड़ में खाली स्थानों को पौध व बीज से भरा गया, शेष में कीड़ों का प्रकोप हल्का होने के कारण पुनः बुआई अथवा खाली स्थानों की भराई की आवश्यकता नहीं पड़ी।

*३१--श्री कल्पनाथसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रबी की फसल में कीड़े लगने की सूचना पाने के बाद कृषि विभाग ने इस संबंध में कौन-कौन-सी कार्यवाही की?

श्री गेंदासिंह--

सर्वेक्षण के पश्चात कृषकों को रोक थाम की आवश्यक जानकारी करायी गयी और कीटनाशक दवाओं का समुचित प्रबन्ध किया गया।

मेरठ में श्री कामराज की दावत

*३२--श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि माह नवम्बर, दिसम्बर, सन् १९६५ ई० में कांग्रेस अध्यक्ष श्री कामराज को मेरठ में लोकसभा के स्थानीय कांग्रेसी सदस्यों ने जो दावत दी थी उसमें सौ से अधिक लोगों ने भोजन किया? यदि हां, तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश गेस्ट कन्ट्रोल ऐक्ट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कानूनी कार्यवाही की गयी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी नहीं, दिसम्बर, सन् १९६५ में कांग्रेस अध्यक्ष श्री कामराज को जो दावत दी गई थी उसमें केवल १९ स्थानों का प्रबन्ध किया गया था। इन १९ में से केवल १७ आदमियों ने ही भोजन किया क्योंकि २ व्यक्तियों ने साप्ताहिक व्रत के कारण भोजन नहीं किया था। अतएव गेस्ट कन्ट्रोल आदेश के उल्लंघन का प्रश्न नहीं उठता।

नोट--तारांकित प्रश्न २९ के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

कृषि एवं पशुपालन समिति

*३३—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि कृषि एवं पशुपालन नामो कोई सलाहकार समिति विधान सभा द्वारा गठित है ? यदि हां, तो वर्तमान अकसंकट की बेला में उसके गठित होने के समय से आज तक कोई बैठक क्यों नहीं की गयी ? उसकी उपयोगिता क्या है ? इस कमेटी के रहते क्या कोई दूसरी कमेटी सरकार ने गठित किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गेंदासिंह—

विधान मंडल के सदस्यों की कृषि एवं पशुपालन पर एक स्थायी समिति है । समिति की बैठक १९६५ में दो बार (जनवरी १ और दिसम्बर २८, २९ तथा ३०)को हुई । यह समिति कृषि मंत्री को कृषि एवं पशुपालन संबंधी विषयों पर परामर्श देती है ।

इसके स्थान पर कोई दूसरी समिति नहीं गठित की गई ।

ईख अनुसंधानशाला, शाहजहांपुर के डाइरेक्टर

*३४—श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ईख अनुसंधानशाला, शाहजहांपुर में डाइरेक्टर महोदय जो इस समय मौजूद हैं कितने वर्षों से लगातार शाहजहांपुर की ईख अनुसंधानशाला में हैं ?

श्री गेंदासिंह—

लगभग १८ वर्षों से । १९६० में डाइरेक्टर होने से पहले उन्होंने लगभग १० वर्ष केन बाइकोलोजिस्ट के पद पर और दो वर्ष केन पैथोलोजिस्ट के पद पर शाहजहांपुर ईख अनुसंधान शाला में काम किया ।

*३५—श्री राममूर्ति 'अंचल'—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि कोई भी गजटेड आफिसर ३ वर्ष से ऊपर उस जिले में नहीं रहता जहां पर वह तैनात हो ?

श्री गेंदासिंह—

इस विषय पर जो आदेश हैं वे कृषि शोध (research) कार्य में लगे हुए अधिकारियों पर लागू नहीं किये जाते हैं ।

टाउन एरिया कमेटी, रुद्रपुर में रिक्त स्थान

*३६—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि टाउन एरियां कमेटी, रुद्रपुर, जिला देवरिया का एक सदस्य अगस्त, १९६५ में मरा और उसकी मृत्यु की सूचना सरकार को नवम्बर, १९६५ के मध्य तक नहीं दी गई ? सूचना देने में बिलम्ब करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

टाउन एरिया कमेटी, रुद्रपुर के एक सदस्य श्री जयश्री प्रसाद की मृत्यु माह अगस्त में नहीं बल्कि २० सितम्बर, १९६५ को हुई थी । इस संबंध में कमेटी के चेयरमैन ने २० नवम्बर १९६५ को जिला मैजिस्ट्रेट को सूचना भेजी थी ।

इस विषय में चेयरमैन के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

*३७—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार उपर्युक्त रिक्ति की पूर्ति कब तक करने का विचार रखती है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

चूंकि सरकार ने सभी स्थानीय निकायों के उप चुनाव संकटकालीन स्थिति के कारण स्थगित कर दिये हैं, अतः इस संबंध में कुछ भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है ।

ईंटों का भाव

*३८—श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

क्या खाद्य मंत्री को मालूम है कि ईंटों पर से कंट्रोल हटाने के बाद इस समय ईंटों के प्रांत के प्रत्येक जिले में क्या-क्या स्थानीय भाव रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

ईंटों पर से मूल्य नियंत्रण नहीं हटा है । अतः बाकी प्रश्न के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

*३९—श्री श्रीराम—

क्या सरकार ऐसा विचार कर रही है कि ईंटों पर पुनः कंट्रोल लागू कर दिया जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

प्रश्न नहीं उठता ।

गोसदन

*४०—श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किन-किन जगहों पर कितने गोसदन हैं जहां बूढ़े निर्बल और अपंग पशुओं को शरण मिलती है ?

श्री गेंदासिंह—

प्रदेश में जिन स्थानों पर बूढ़े, निर्बल, अपंग और अनुत्पादक पशुओं को शरण देने के लिये गोसदन हैं उनकी सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७३५ पर)

*४१—क्या कृषि मंत्री यह भी बतायेंगे कि प्रति पशु दैनिक चारा व्यय क्या है, कितनी संख्या पर कितने व्यक्ति पशुओं की सेवार्थ किस वेतन पर रखे जाते हैं तथा प्रतिवर्ष उन पशुओं के गोबर आदि की खाद तथा मृत पशुओं से कितनी आय होती है ?

श्री गेंदासिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*४२-४३—श्री रामकिशोर वर्मा तथा श्री दीपनारायण सिंह—

[३ रे सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

संभल नगरपालिकाध्यक्ष के विरुद्ध जांच

*४५—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संभल (मुरादाबाद) नगरपालिका के वर्तमान अध्यक्ष को भूतपूर्व पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध उनकी अनियमितताओं, भ्रष्टाचार,

चुंगी की चोरी, नगरपालिका की भूमि, पर व्यक्तिगत कब्जा करने आदि के बारे में कोई ज्ञापन २१ अगस्त, १९६५ को मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई तथा ज्ञापन की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां, दो ज्ञापन मिले हैं, एक २३ अगस्त, १९६५ को और दूसरा १३ सितम्बर, १९६५ को। उन पर जिला मैजिस्ट्रेट, मुरादाबाद जांच करवा रहे हैं।

उक्त ज्ञापनों की एक एक† प्रति संलग्न है।

स्वायत्त शासन कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देने पर विचार

*४६—श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री शुगनचन्द मजदूर (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री वर्तमान वेतन दर तथा महंगाई का खयाल करते हुए ही वेतन आयोग स्वायत्त शासन संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये गठित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रश्न विचाराधीन है।

द्वितीय भाग

कोई समय निर्धारित करना संभव नहीं है।

*४७—श्री रामसुन्दर पाण्डेय तथा श्री शुगनचन्द मजदूर—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री वर्तमान महंगाई का खयाल करते हुए वेतन आयोग की रिपोर्ट आने तक अन्तरिम-काल में कुछ अन्तरिम सहायता देने की घोषणा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रश्न विचाराधीन है।

अलीगढ़ जिले में कृषि योग्य भूमि

*४८—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले में कितने एकड़ भूमि कृषि योग्य है ?

श्री गेंदासिंह—

सन् १९६३–६४ में अलीगढ़ जिले में कृषि योग्य क्षेत्रफल ९५९७३० एकड़ था।

*४९—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले की कृषि योग्य भूमि में से दो फसली कितने एकड़ है और इस चतुर्थ योजना में कितने एकड़ एक फसली भूमि को दो फसली बनाये जाने का निर्णय लिया गया है ?

श्री गेंदासिंह—

सन् १९६३–६४ में अलीगढ़ जिले में दो फसली क्षेत्रफल ३,४७,००९ एकड़ था। चतुर्थ पंचवर्षीय आयोजना काल में १,७५,०९० एकड़ एक फसली भूमि को दो फसली बनाये जाने का लक्ष्य है।

---

†छापी नहीं गई।

कानूनी राशनिंग

*५०—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार राज्य के उन नगरों में पूर्ण राशनिंग करने का विचार कर रही है जिनकी जनसंख्या १ लाख से अधिक है ? यदि हां, तो यह योजना कब से लागू की जायेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

कानपुर नगर में १६ फरवरी, १९६६ से कानूनी राशनिंग लागू करने का विचार है। अन्य ऐसे शहरों में जिनकी आबादी एक लाख से अधिक है कानूनी राशनिंग करने का प्रश्न अभी शासन के विचाराधीन है।

सीतापुर जिले में ईंटों का भाव

*५१—श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर जिले में ईंट के मूल्य की दरों का निर्धारण सरकार द्वारा किस तिथि को किया गया था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

९ फरवरी, १९६२।

*५२—श्री शारदानन्द—

क्या सरकार इस बात का ध्यान रखते हुए कि ईंटों के मूल्य की दरों का निर्धारण जो किया गया था तब से कोयला, लकड़ी, रेलभाड़ा, मजदूरी आदि की दरों में काफी बदल हो गया है, सरकार तुरन्त मूल्यों का पुनर्निर्धारण करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मूल्य निर्धारण पर जिलाधीश द्वारा विचार किया जा रहा है।

*५३-५४—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

[३रे बुधवार के लिये प्रश्न संख्या १७-१८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

चकिया तहसील में जैमोहिनी प्लान्टेशन

*५५—श्री ऊदल—

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि जैमोहिनी प्लांटेशन, तहसील चकिया, जिला वाराणसी में गांव इमिलिया डीह के ८ मकान, जैमोहिनी के ९ घर, जनकपुर के १२ घर, सोनवार के १६ घर, जो २० वर्षों से ऊपर हो गया है, आबाद थे उनको प्लांटेशन के अन्दर घेर दिया गया है और उनकी जमीन भी ले ली गयी है ? ऐसा क्यों ?

वन मंत्री (श्री चरणसिंह)—

यह सही नहीं है कि जैमोहिनी प्लान्टेशन तहसील चकिया, जिला वाराणसी में कथित गावों के कुल ४५ घर जो २० वर्षों से ज्यादा समय से आबाद थे, प्लान्टेशन के अन्दर घेर लिये गये हैं और उनकी जमीन भी ले ली गयी है।

वास्तविकता यह है कि ४ व्यक्तियों ने जैमोहिनी के वन क्षेत्र में भारतीय वन अधिनियम की धारा ४ की विज्ञप्ति जो सन् १९५४ में प्रकाशित हुई थी, के पश्चात् उसकी उपेक्षा करके अनधिकृत रूप से फूस की मड़ई बना ली थी। जैमोहिनी प्लान्टेशन १९६४ के अन्तर्गत वन भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने वाले उक्त व्यक्तियों को वन भूमि से पृथक करने की कार्यवाही की जा रही है।

फसल को गायों से क्षति

*५६—श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शहरों में जो गायें घूमती रहती हैं वह रात में किसानों के खेतों में जाकर उनकी फसल नष्ट करती हैं तो उनको रोकने के लिये सरकार कोई कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने को तैयार क्यों नहीं है ?

श्री गेंदासिंह—

शहरों के निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों की फसलों को खुले पशुओं द्वारा हानि होने से बचाने के लिये केटिल ट्रेसपास (उत्तर प्रदेश संशोधन) ऐक्ट, १९५४ की धारा २६ के अन्तर्गत अपराधियों को सजा पाने पर तीन माह की कैद अथवा और २५० रु० तक जुरमाना किये जाने प्राविधान है। इस संबंध में अपराधियों को कड़ी सजा देने के लिये जिलाधीशों को समय-समय पर उचित आदेश दिये गये हैं।

नगरपालिका, फर्रुखाबाद का क्षेत्र बढ़ाने का सुझाव

*५७—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसके पास फतेहगढ़ तथा फर्रुखाबाद के आबादियों के बीच में स्थित जिला परिषद् के क्षेत्र को नगरपालिका में मिलाने के सुझाव नगरपालिका, फर्रुखाबाद तथा जनता द्वारा प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उस पर अभी तक सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह मामला वर्तमान निर्वाचित नगरपालिका के विचाराधीन है। शासन को उसका प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

टाउन एरिया, पुरकाजी में मेहतरों की हड़ताल

*५८—श्री शुगनचन्द मजदूर—

क्या सरकार को ज्ञात है कि टाउन एरिया पुरकाजी, जिला मुजफ्फरनगर, में दिनांक १ नवम्बर, १९६५ से मेहतरों की हड़ताल दिनांक ३० नवम्बर, १९६५ तक रही ? इस बीच में डी०एम०ओ०एच०, मुजफ्फरनगर, पुरकाजी सफाई कराने अथवा देखने को कितनी बार गये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस अवधि में दो बार–२ नवम्बर और २० नवम्बर, १९६५ को। इसके अतिरिक्त वह १८ दिसम्बर, १९६५ और ८ जनवरी, १९६६ को भी वहां गये थे।

*५९—श्री सुखदेव प्रसाद—

[३रे सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

खीरी उपनिवेशन में कृष्णानगर के क्वार्टर

*६०—श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

क्या सरकार को ज्ञात है कि खीरी उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत ग्राम कृष्णानगर (बालपुर कालोनी) के अन्तर्गत ६८ पुनर्वासितों को ऐसे क्वार्टर्स दिये गये हैं जो बहुत नीचे धरातल पर बने हुए होने के कारण प्रत्येक वर्ष बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं और जिनके अन्दर वर्षाकाल में ६ फुट तक पानी भरा रहता है जिसके कारण उपरोक्त क्वार्टर्स निवास के सर्वथा अयोग्य हैं परन्तु फिर भी उनका मूल्य पुनर्वासितों से वसूला जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों हो रहा है और क्या सरकार उपरोक्त वसूली को निरस्त करके पुनर्वासितों को आश्वस्त करने की कृपा करेगी ?

श्री गेंदासिंह—

यह सत्य है कि कृष्णानगर के आवास गृहों में बाढ़ के समय पानी आ जाता है। इनमें से आठ में काफी पानी भर जाता है और शेष में थोड़ा सा जो जल्दी ही निकल जाता है।

इन क्वार्टर्स के मूल्य की वसूली में पुनर्वासितों को छूट दी जाय अथवा नहीं और दी जाय तो कितनी, यह शासन के विचाराधीन है।

*६१—श्री लखपतराम शर्मा—

[३ रे सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

तारांकित प्रश्न

मथुरा नगरपालिका में भूमि पर अनाधिकृत कब्जा

१—श्री केदारनाथ भार्गव—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा नगरपालिका की नजूल की भूमि की वार्षिक जांच की जाती है तथा अनधिकृत कब्जा करने वालों की कोई सूची उसके पास है? यदि हां, तो वर्ष १९६४ में अनधिकृत कब्जा करने वालों पर कितने मुकदमें चलाये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

नजूल की भूमि की वार्षिक जांच की जाती है और अनधिकृत कब्जा करने वालों की सूची मथुरा नगरपालिका के पास है। १९६४ में कोई अनधिकृत कब्जा किये जाने से संबंधित मुकदमा नहीं चलाया गया।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ के अधीन प्रख्यापित वित्त विभाग की विज्ञप्ति†

वित्त उप मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से वित्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस० टी०—१३६५/१०—९९०—५६, दिनांक १ अप्रैल, १९६० में, वित्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस० टी०—६७८९/१०—९०० (१८)—६३, दिनांक १९ नवम्बर, १९६५, द्वारा प्रख्यापित संशोधनों को, उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३—क की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का सत्ताइसवां प्रतिवेदन‡

*श्री कृष्णपालसिंह (जिला—रायबरेली)—

श्रीमन्, एक बार आपने आदेश दिया कि आश्वासन समिति की रिपोर्ट सदन में पढ़ने से बहुत ज्यादा समय नष्ट होता है। अतः मैं सदन में एक कंडेंस्ड रिपोर्ट प्रस्तुत कर देना चाहता हूं। यदि आज्ञा हो तो मैं इसे पढ़ कर सुना दूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†छापी नहीं गई।

‡छापा नहीं गया।

श्री अध्यक्ष—

इसमें अधिक समय तो नहीं लगेगा। क्या यह संक्षेप में है?

श्री कृष्णपाल सिंह—

जी हां, संक्षेप में है।

मैं, आश्वासन समिति के सभापति की हैसियत से समिति का २७वां प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

इस प्रतिवेदन में १८० आश्वासनों का उल्लेख है जो २१ अक्तूबर, १९५५ से ६ मार्च, १९६२ की अवधि में सदन में दिये गये थे जो समिति के २२ वें प्रतिवेदन को प्रस्तुत करते समय अपूर्ण थे। विचारोपरान्त इन १८० आश्वासनों में से १२७ आश्वासनों को समिति ने पूर्ण माना है अथवा उनकी पूर्ति की दिशा में जो कार्यवाही की गयी है उसे संतोषप्रद मान कर उन पर कोई कार्यवाही न करने का निश्चय किया है।

इन आश्वासनों को सदन में दिये ४ से लेकर १० वर्ष का समय हो गया है फिर भी ५३ आश्वासन ऐसे हैं जिनकी अभी तक पूर्ति नहीं हो सकी है। यह सही है कि अपूर्ण आश्वासनों में से कुछ आश्वासन नीति से सम्बन्धित हैं, परन्तु सम्बन्धित विभागों ने जो समय लिया है उसे कम नहीं कहा जा सकता। खेद का विषय है तो यह है कि जो आश्वासन अब तक पूर्ण हो सकते थे उन्हें भी पूरा करने का प्रयास नहीं किया गया। उदाहरण के रूप में दो महत्वपूर्ण आश्वासनों का उल्लेख करना आवश्यक समझ ता हूं।

(१) १३ नवम्बर, १९६१ को अलीगढ़ जिले के सहकारी नलकूपों को सरकारी प्रबन्ध में लेने के बारे में आश्वासन दिया गया था कि ५७ नलकूप ले लिये गये हैं, बाकी के लिये देखा जा रहा है और जांच कर रहे हैं।

(२) सिंचाई की दर कम करने के बारे में ११ अगस्त, १९६० को यह कहा गया था कि "नलकूप और नहर रेट के सम्बन्ध में इस तरह की योजना है कि पिछले साल कुछ रियायत दी जाय, दूसरे साल कुछ कम और तीसरे साल में कुछ और कम रियायत दी जाय। चौथे-साल में पूरा रेट लिया जाय।" यह आश्वासन अभी तक अपूर्ण है। इस प्रकार के असाधारण एवं महत्वपूर्ण आश्वासनों की पूर्ति होना आवश्यक है ताकि प्रदेश का कृषक वर्ग अन्नोत्पादन में वृद्धि करने के प्रयास में अपना योगदान दे सके।

प्रतिवेदन को समाप्त करने से पूर्व मैं समिति से सम्बन्धित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का उनके सहयोग, सहायता तथा कठिन परिश्रम के लिये धन्यवाद देता हूं।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, मैं इस सम्बन्ध में एक जानकारी करना चाहता हूं। जो हमारी आश्वासन समिति बनी है, इसके सामने जो आश्वासन आते हैं उनकी पूर्ति अगर नहीं होती है या अपूर्ण रह जाते हैं और उन पर कमेटी की रिपोर्ट होती है कि सम्बन्धित अधिकारियों ने मनमाना ढंग अपनाया है या अपनी तरफ से कोताही की जिससे इनकी पूर्ति नहीं हो सकी और इसके लिये वे ही जिम्मेदार हैं, तो उस पर गवर्नमेन्ट किस तरह से ऐक्शन लेती है और क्या कार्यवाही करती है जिससे माना जाय कि आश्वासन समिति का आदर किया जाता है?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप प्रश्नों के जरिये पूछ सकते हैं। इस वक्त नहीं पूछ सकते।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

माननीया मुख्य मन्त्री बैठी हुई हैं, वे इसको बतला सकती हैं कि आश्वासन समिति की जांच के बाद जो आश्वासन अपूर्ण रह जाते हैं उनके लिये सरकार किस तरह से कार्यवाही करती है और किस तरह से वे पूर्ण किये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य कृपया बैठ जायं। जो रिपोर्ट आयी है उस को आप देख लीजियेगा। उसके ऊपर प्रश्न हो सकते हैं कि क्यों नहीं आश्वासनों की पूर्ति हुई, या जो कार्यवाही आप उचित समझें कर सकते हैं।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास एक विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना आयी है। माननीय चन्द्रबली सिंह ने माननीया मुख्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की एक सूचना दी है जो इस प्रकार है :—

"गत ४ फरवरी को काशी विश्वविद्यालय में पुलिस की बराबर गुन्डागर्दी एवं छात्रों के साथ अमानुषिक जुल्म के सिलसिले में सदन में मुख्य मन्त्री, श्री सुचेता कृपालानी ने जानबूझ कर निम्न गलतबयानी किया कि उक्त कांड के सम्बन्ध में राजस्व परिषद् के एक न्यायायिक सदस्य से जांच कराई जा रही है मुख्य मन्त्री की उक्त उक्ति सरासर गलत है तथा सदन को धोखे में रखने के लिये थी। जब कि सत्य यह है कि बयान के समय तक कोई जांच नहीं बैठायी गयी थी।

अस्तु विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं कि सदन इस पर विचार करे। क्योंकि यह घटना तो सदन के समक्ष हुई है।"

माननीय चन्द्रबली सिंह जी, माननीया मुख्य मन्त्री ने कहा था कि इसकी इन्क्वायरी जुडिशियल मेम्बर आफ दि बोर्ड आफ रेवेन्यू करेंगे और यह लीगल इन्क्वायरी होगी। तो आप को शब्दों को नहीं पकड़ना चाहिये। उनकी मंशा थी कि इन्क्वायरी होगी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय चन्द्रबली सिंह का कहना ठीक है कि माननीया मुख्य मंत्री ने जानबूझ कर तथ्यों को छिपाया, इसलिये उनके विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न आया है। सच्ची बात यह है कि उन्होंने उसी दिन दिल्ली तक नेताओं को टेलीफोन से बतला दिया तथा ६ बजे शाम रेडियो पर भी उन्होंने एलान कर दिया कि रेवेन्यू बोर्ड के एक मेम्बर न्यायिक जांच करेंगे। इस तरह से जान बूझ कर तथ्यों को छिपाया गया है।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि जिन शब्दों में उन्होंने कहा उन्होंने पूरी बात कह दी। मैं इस सूचना को उचित नहीं समझता हूं और अस्वीकार करता हूं।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी विधान सभा में पुलिस उप मंत्री, श्री गुप्ता जी ने यह कहा कि वह गलत बयानी हो गयी थी और उन्होंने उसे वापस लिया। जो बात मुख्य मन्त्री ने विधान सभा में कही थी वह यह थी कि जांच बैठा दी गयी जब कि जांच बिठाई नहीं गयी थी और बिठायी बाद में गयी। यह बहुत गलत बयानी थी और वहां विधान परिषद् में गुप्ता जी ने कहा कि हम से गलत बयानी हो गयी है। यहां दूसरी बात कही जा रही है। मुख्य मन्त्री ने जानबूझ कर तथ्यों को छिपाया। इसलिये उनके खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है।

श्री अध्यक्ष--

चन्द्रबली सिंह जी, आप विशारद हैं और विशारद होने के नाते मैं आप से पूछता हूं कि क्या यह कहना कि अमुक काम किया जा रहा है ऐसे शब्द नहीं हैं जिनसे यह मतलब निकले कि फौरन नहीं किया जा रहा है अपितु कल करने वाला है। उसके लिये भी यह कह सकते हैं। इस पर इतना बल नहीं देना चाहिये। इसलिये मैं कहता हूं कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता। इसे मैं अस्वीकार करता हूं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

मैं स्वयं विधान परिषद् की कार्यवाही सुन रहा था और वहां बैठा था। जांच का सवाल नहीं है यहां तो व्यक्ति ही पूरा बदल गया और हाउस को दूसरी सूचना दी गयी।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

मुख्य मन्त्री के माने यह होते हैं कि जो वह चाहे और जब चाहें बोलें।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

श्री रघुबीर सहाय जी ने एक सूचना दी है और वह सूचना इस सम्बन्ध में है। मेरे कार्यालय द्वारा एक सूचना प्रसारित हुई थी जिसका विवरण इस प्रकार था --

"महोदय, मुझे आप को यह सूचित करना है कि श्री रघुबीर सहाय कैथवार, सदस्य, विधान सभा के दोष सिद्ध तथा दंडित किये जाने की सूचना संलग्न तार द्वारा जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, बिन्दकी, फतेहपुर से प्राप्त हुई है।" तार का मजमून यह था "श्री रघुबीर सहाय कैथवार, विधायक, दिनांक ११ अक्तूबर, १९६५ को धारा २५० जाब्ता फौजदारी में दंडित किये गये। उन्हें ५०० रुपया जुर्माने तथा चूक में १५ दिन का साधारण कारावास का आदेश दिया गया। दंडादेश स्थगित है।"

माननीय कैथवार का यह कहना है कि उनके ऊपर कोई दंड नहीं हुआ अपितु जाब्ता फौजदारी की धारा २५० के अन्तर्गत उनको हर्जाना ५०० रुपया का देना पड़ा है और इस आधार पर कि २५० के अन्तर्गत यह सिद्ध हुआ कि उन्होंने एक झूठा दावा किसी पर किया था और झूठा साबित होने के कारण हर्जाना देना पड़ा, दंड नहीं देना पड़ा। दंड शब्द जो प्रयोग हुआ है वह गलत हुआ है। इसलिये हमने यह आदेश दिया है कि माननीय सदस्य के सम्बन्ध में जो बाद में विस्तृत सूचना हमें प्राप्त हुई, वह विस्तृत रूप से उसी अदालत से प्रस्तुत हुई। उसमें सारे तथ्य ठीक लिखे हुये थे। उसमें यह लिखा हुआ था "मुझे सविनय सूचित करना है कि मेरे न्यायालय में.....

श्री मेनेजरसिंह (जिला बलिया)--

इसको सदन में न उठाया जाय तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष--

सिद्धान्ततः उन की और सब की मर्यादा इसी में है कि इस को न छुआ जाय, लेकिन उन्होंने जिद की तो मैं मजबूर हो गया।

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, वह हाई कोर्ट से स्पष्ट करा लें।

श्री अध्यक्ष--

जी हां, कई बार उनसे कहा गया, लेकिन वह नहीं माने, तो क्या किया जाय। अच्छा तो अब यह समाप्त हुआ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद द्वारा अभिसूचित कार्य-स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

अब यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी का आया है कि परसों सिविल डिस्पेंसरी से वापस घर जाते हुए किसी व्यक्ति से ड्यूटी पर तैनात चीना बाजार पुलिस के दो सिपाहियों ने दो सोने की झुमकियां छीन लीं। यह मैं अविलम्बनीय विषय नहीं मानता इसलिये इसको मैंने स्वीकार नहीं किया है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में.....

श्री अध्यक्ष—

अभी वह नहीं आया है। पहले मैं खत्म कर लूं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, इसके बारे में मुझे यह कहना है कि.....

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा कर बैठिये। मैंने इसे खत्म कर दिया है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, पुलिस का यह हाल है कि आदमी मरे नहीं हैं और कत्ल का मामला चल जाय। इसी तरह से आदमी माल लिये जा रहा है और पुलिस उससे छीन ले। आप इसको स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष—

मेरा निवेदन यह है कि एक बात ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आप सब विद्वान हैं और आप समझते भी हैं। प्रश्न अविलम्बनीय होना चाहिए। जितने भी कार्य-स्थगन प्रस्ताव सम्बन्धी निर्णय हुये हैं, उनमें आप देखेंगे कि बल इस बात पर दिया गया है कि कोई ऐसी घटना हो कि जिस पर तुरन्त कदम उठाने की आवश्यकता हो। अगर कदम नहीं उठाया जाता तो बहुत खराबी पैदा हो सकती है। तब ही अविलम्बनीय कहा जा सकता है। साधारण रीति से जो प्रशासनिक घटना रोज होती रहती है जैसे कहीं चोरी होती है, कहीं डकैती होती है तो जब तक कोई ऐसी बात न हो कि जिस सम्बन्ध में सरकार फौरन् कदम उठाये, तब तक मैं समझता हूं कि ऐसा विषय कामरोको में नहीं आता है। इसलिये मैं कहता हूं कि यह साधारण प्रशासनिक घटना है। इसका प्रश्न द्वारा स्पष्टीकरण हो सकता है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, आज व्यवस्था दे दें कि पुलिस द्वारा चोरी की घटना एक सामान्य घटना है। लेकिन हम तो इसे बहुत बड़ी घटना मानते हैं, क्योंकि जिस पर रक्षा का भार हो वही ऐसा काम करे तो इस देश का क्या होने वाला है।

श्री अध्यक्ष—

आप वकील होने के नाते एक बात समझ लीजिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, वकील तो बड़ा प्रतिक्रियावादी होता है।

श्री अध्यक्ष—

एक बात आप समझ लीजिये कि जब तथ्य होते हैं तो उसी के संबंध में तो काननी व्यवस्था होती है। इसलिये इसको मैं खत्म करता हूं।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में घटित घटना के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव माननीय उग्रसेन, गया प्रसाद, शिवनाथ सिंह और काशीनाथ मिश्र जी का है उसी विषय का है जो माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी का नरसों का था। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चहता हूं कि.....

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मैंने जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया था उसके संबंध में आप कुछ कहना चाहते हैं। पहले आप मुझे सुन लें। मेरे लिये यह प्रस्ताव बड़े महत्व का है और मैं समझता हूं कि वह आज भी जीवित हैं। इसलिये कि उस दिन आप ने यह निश्चय किया था कि यह चार बजे लिया जायेगा। इस पर दो पहलुओं पर विचार करना है। पहली बात तो यह है कि यह परम्परा चली आ रही है कि अगर सारे विरोधी दल के लोगों ने कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया और नेता, विरोधी दल ने भी दिया तो यह कार्यस्थगन प्रस्ताव सभी का माना जाएगा और मुझे बोलने में प्राथमिकता दी जाएगी और सभी को उसकी हैसियत से बोलने की आज्ञा दी जाएगी। मेरा कार्य-स्थगन प्रस्ताव श्रीमन् के सामने आया, माननीय चन्द्रजीत यादव और दूसरे सज्जनों ने भी दिया था। यदि यह माना जाए कि निलम्बित कर दिया गया तो मैं समझता हूं कि एक तो हमारे निलम्बन का कोई समय निश्चित नहीं, किन्तु यदि यह भी मान लिया जाए कि दिन भर के लिए निलम्बित किया गया था तो दूसरे सज्जनों के लिये यह निलम्बन आदेश दिन भर के लिये कतई नहीं माना जा सकता है। हर अवस्था में यह होना था कि ४ बजे हम लोगों का नाम पुकारा जाना चाहिये था और यदि वह अनुपस्थित होते तो यह कहा जाता कि यह प्रस्ताव गिर गया। उस वक्त आपने कहा था कि यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव कल लिया जाएगा क्योंकि माननीय मुख्य मन्त्री ने और दूसरे मन्त्री महोदय ने कहा था कि अभी इस घटना की पूरी सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। इसलिये मेरा कहना है कि इस विषय को आज लिया जाए।

इस विषय को लिये जाने के बारे में जोर देने का दूसरा कारण मेरा यह है जैसा कि अभी टम्बेश्वर प्रसाद जी ने पुलिस की ज्यादतियों के बारे में कहा। तो इस तरह से पुलिस के आतंक की कहानी के रूप में एक में एक कड़ी जुड़ती चली जा रही है, हमें उससे कहीं छुटकारा नहीं दिखाई पड़ता है। हम बनारस विश्वविद्यालय की वस्तुस्थिति की जानकारी करने के लिये गये थे, हमारे साथ माननीय झारखंडे राय, जगन्नाथ राव और टम्बेश्वर प्रसाद आदि कई अन्य माननीय सदस्य थे....

श्री अध्यक्ष—

मैं जब कहता हूं कि मैं इसको स्वीकार करता हूं, तो इसकी महत्ता पर प्रकाश डालकर ध्यान दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे सामने आपका प्रश्न केवल एक उठ सकता है कि ४ बजे का समय नियत किया गया था, उसका क्या असर है?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

इस पर निर्णय लेने के पहले आप को कुछ परिस्थितियों पर विचार करना होगा। यदि आप को अपने स्वविवेक से निर्णय लेना है तो आप को यह सोचना पड़ेगा कि रेल किस पटरी पर चले कि निर्णय उचित और मान्य हो। इसलिये कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि न्याय का यह तकाजा है कि इस कार्य-स्थगन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

प्रस्ताव पर फिर से विचार करने का अवसर दिया जाए। जहां पर टेक्निकैलिटी हमारे सामने आती है, वहां पर न्याय पक्ष की दृष्टि से और माइनारिटी के पक्ष की दृष्टि से आप अपना विवेक हमारे पक्ष में इस्तेमाल करें। यदि वह आप के मस्तिष्क पर असर डाले कि हमारी बात ठीक है।

हमने अपनी तीन मांगें माननीय मुख्य मन्त्री के समक्ष रखी थीं। मेरे पास मुख्य मंत्री का पत्र आया था। हम उन की बात का सम्मान करते हैं, हम यह भी मानते हैं कि हमें प्रजातंत्र का आदर करना चाहिये, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिये। लेकिन मैं आप से पूछना चाहता हूं कि हमें लिमिटेड दायरे में रहने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाया है? उसने क्या प्रयास अपनी तरफ से किया है? इस दिशा में हमारा अगणित है तो इनका नगण्य है। हमने कहा कि हम जुडिशियल इन्क्वायरी की बात करते हैं। तो हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिये एक रिटायर्ड जज को नियुक्त किया गया है जो कि आज गवर्नमेन्ट सर्विस में हैं और आजकल आर्बिट्रेशन बोर्ड के नम्बर दो के सदस्य हैं, वह सरकार के अप्वाइन्टमेंट के अन्दर है। दूसरी बात वह हाई कोर्ट के जज नहीं हैं। चार वर्ष पूर्व एक ऐसा ही प्रश्न हमारे सम्मुख आया था कि क्या वह हाईकोर्ट का जज जो किसी आर्बिट्रेशन बोर्ड का मेम्बर है वह हाई-कोर्ट का जज समझा जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि मेरी बात सुन लें कि उस वक्त क्या कहा था? उस समय चीफ सेक्रेटरी श्री एल० सी० जैन थे, दास साहब नहीं थे। उस समय यह निर्णय आया था कि जो नया आर्बिट्रेशन चुना जाएगा, उसके लिये पब्लिक सर्विस कमीशन का मेम्बर तथा एक हाई कोर्ट का मेम्बर चाहिये....

श्री अध्यक्ष—

मैं एक निवेदन कर दूं कि आप को इस बात पर ही रहना था कि ४ बजे के लिये जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव की बात है, उसका क्या प्रभाव है? किन्तु अब आप एक दूसरे विषय पर आ रहे हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैं समाप्त ही कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

आपकी बात समाप्त कहां हो रही है, आप तो दूसरे विषय पर आ रहे हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

इसके कहने से मेरा तात्पर्य यह है कि जिस जज की नियुक्ति हुई है वह अनुचित है। हो सकता है। वह तो सरकारी सर्विस का आदमी होता है। पहले जब इस तरह का सवाल एक बार आया तो यहां पर एल० सी० जैन चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा था कि जे० के० टंडन को रखा जाय क्यों कि वे हाईकोर्ट के जज हैं तो उस समिति में हाई कोर्ट के जज न रहने के बाद जब वह आर्बिट्रेशन बोर्ड के मेम्बर थे तो उनको इसी वजह से नहीं रखा गया था कि वह हाईकोर्ट के जज नहीं रह गये थे। उनको सरकार की सर्विस में माना गया था। इस पर यह सरकार यह कहती है कि विरोधी दल की रजामन्दी से हमने हाईकोर्ट के जज को उसकी जांच करने के लिये रखा है।

दूसरी बात कही गई कि न्यायिक जांच होनी चाहिये। जो खुद न्याय को उस तरह से नहीं समझते हैं जिस तरह से न्याय होना चाहिये, तो किस तरह से इसको जुडीशल इन्क्वायरी कहा जा सकता है? आज हमारे ऊपर यह लान्छन लगाया जाता है कि हम प्रजा-तन्त्र प्रणाली को नहीं मानते हैं, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। हम कहते हैं कि यह दो तरफा बात है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है। अगर किसी प्रकार से सरकार

की ओर से किसी प्रकार इसमें अवहेलना होती है तो उसका प्रभाव हम सब और सभी पर पड़ता है। मैं आपकी जानकारी के लिये एक कोटेशन पढ़ देना चाहता हूं—

हमने कहा था कि ऐसे व्यक्ति से आपको न्यायिक जांच करानी चाहिये जिस पर हमको शंका करने की गुंजायश न रहे। उनके पीछे एक हाईकोर्ट के नाम का पुछल्ला लगा हुआ है इसलिये आपने उनको नियुक्त कर दिया। यह आपने हमारी प्रार्थना को स्वीकार न करने का नमूना दिया है।

दूसरी बात मैं होम मिनिस्टर के संबंध में कहना चाहता हूं। वह हमारी मांग अपनी जगह पर ज्यों की त्यों स्टैंड करती है। पार्लियामेंटरी सिस्टम में यह मानी हुई बात है कि मिनिस्टर को आपने नीचे के अधिकारियों के ऐक्शन की जिम्मेदारी अपने ऊपर समझनी चाहिये और मिनिस्टर की जिम्मेदारी मुख्य मंत्री को अपने ऊपर समझनी चाहिये। अगर ये दोनों अपने को उसका जिम्मेदार नहीं समझते तो इन दोनों व्यक्तियों को इस्तीफा देकर बाहर चले जाना चाहिये। आज यहां पर मखौल हो रही है.....

श्री अध्यक्ष—

यह कार्य स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने कहा कि अधिकारियों को सस्पैन्ड होना चाहिये। मैं क्यों कहता हूं कि आज पुनः उस कार्य स्थगन प्रस्ताव पर आप विचार करें। आज मैं बनारस से लौटकर आया हूं और वहां पर जो हमने देखा और सुना उसको देखने और सुनने के बाद हमारे प्रस्ताव की महत्ता और भी चौगुनी बढ़ गई है। इसकी गम्भीरता और भी कई गुनी हो गई है। हम लोग वहां पर वाइस चान्सलर से मिले और कलेक्टर से मिले। हमको मालूम हुआ है कि बिना वाइस चान्सलर की अनुमति के पुलिस वहां अन्दर चली गई। हम लड़कों से मिले और दूसरे लोगों से भी मिले। विदेशी जो वहां पर आये थे उनको भी पुलिस ने मारा। पुलिस ने रुपया, घड़ी और साइकिल लड़कों से छीन ली। इतने महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर आपको अपने विवेक को इस्तेमाल करना चाहिये। परसों जो कार्य स्थगन प्रस्ताव पर बहस करने की आज्ञा आपने दी थी, वह आज भी जीवित है। आप जो भी निर्णय लें उस पर हमारे इन तथ्यों पर भी विचार करें। मैं एक चीज के लिये आप से और प्रार्थना करता हूं हम अखबारों में एडिटोरियल्स देखते हैं। हम आप की आज्ञा मानने के लिये तैयार हैं क्योंकि आप प्रजातंत्र के रक्षक हैं, लेकिन प्रजातंत्र की रक्षा करने की सब से ज्यादा जिम्मदारी उस पर है जिसके पास यहां बहुमत है। हम जिसके सामने थोड़ी सी मैजारिटी ले कर खड़े हुए हैं और हम पर लांछन लगाया जाता है कि हमने प्रजातंत्र की रक्षा नहीं की। हम इस पर ही बोलना चाहते हैं कि हमारी रक्षा नहीं हुई। हमारा कार्यस्थगन प्रस्ताव आपके सामने है। भगवान करे आपको सद्बुद्धि मिले, यदि आप हम को इसपर बहस करने का अवसर देंगे तो हम चाहते हैं कि इसी बात पर बहस हो जाय एक बार कि किसने प्रजातंत्र का ज्यादा उल्लंघन किया है। प्रजातांत्रिक प्रणाली की रक्षा के लिये ही आप हमारे कार्यस्थगन प्रस्ताव पर बहस की अनुमति दें और इसके लिये समय निश्चित करें और विरोधी पक्ष के लोग अपने-अपने तर्क उसमें दे सकें, किसी दुःख के कारण नहीं, बल्कि जो उन पर लांछन लगाया जा रहा है उसके विरोध में।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

अगर आप हम लोगों की बात बारी-बारी से सुन लें तो आपको भी सहायता मिलेगी और हम अपने सुझाव भी आप को दे पायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

मौलिक बात तो यह है कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव लिया जा सकता है या नहीं इस विषय पर आप बोलें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं इसी पर कहूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

आप मेरी बात सुन लें। मैं यह नहीं चाहता जैसे अभी त्रिपाठी जी ने कहा कि आप तथ्यों पर बात करने लग जायं। वह बिलकुल असंगत होगा। सिर्फ इस बात पर आप सीमित रहें कि कानून के अन्तर्गत यह लिया जा सकता है अथवा नहीं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं वही कहूंगा। कामरोको प्रस्ताव चार तारीख को स्वीकार किया गया था और वह आज के ऐजेन्डा पर नहीं है, नहीं रखा गया। अब इस में दो बातें हैं। आप के कार्यालय की ओर से यह बात कही गयी है कि जिन माननीय सदस्यों की ओर से उस दिन काम रोको प्रस्ताव रखा गया था वे हाउस से निलंबित कर दिये गये थ इसलिये कामरोको प्रस्ताव पर उस दिन बहस नहीं हो सकी। मैं आप से कहना चाहता हूं कि आप हाउस के रक्षक हैं। आप की परिपाटी यह रही है कि विरोधी पक्ष के एक से जितने कामरोको प्रस्ताव आते हैं और यदि एक ही विषय के रहते हैं वे तो सब एक साथ संबद्ध हो जाते हैं और नेता, विरोधी दल के कामरोको प्रस्ताव को उसमें प्राथमिकता मिल जाती है उस बहस को जारी करने के लिये और शुरू करने के लिये। उस दिन लगभग सभी पार्टियों की ओर से वह कामरोको प्रस्ताव था और उसमें से नेता, विरोधी दल का आप ने स्वीकार कर लिया था उसे प्राथमिकता देते हुए। यह परिपाटी यहां की है। अब आपका तर्क यह है कि वे माननीय सदस्य विधान सभा में उपस्थित नहीं थे, निलंबित हो गये थे इस लिये उस कामरोको प्रस्ताव पर बहस नहीं हो सकी। मुझे जानकारी है कि उस दिन विधान सभा की बैठक सवा दो बजे समाप्त हो गयी थी और कामरोको प्रस्ताव पर बहस का एलान चार बजे के लिये किया गया था। हमारे माननीय चन्द्रजीत यादव जैसे सदस्य, जो निलंबित नहीं थे, वे यहां चार बजे आए थे, लेकिन चूंकि असेम्बली सवा दो बजे समाप्त कर दी गयी थी इसलिये मैं आप से जानना चाहता हूं कि किस नियम या नैतिकता या वैधानिकता के आधार पर आप कह रहे हैं कि अब इस कामरोको प्रस्ताव पर बहस नहीं होगी। दूसरा तर्क में आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि आपने कामरोको प्रस्ताव को महत्वपूर्ण माना है और आपको याद होगा और अखबारों में पढ़ा होगा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष माननीय कमलापति त्रिपाठी का क्या बयान है और बनारस विश्वविद्यालय कोर्ट के १२ सदस्य जिनमें देश के महान् विद्वान हैं, उनका क्या बयान है.....

श्री अध्यक्ष—

अब आप मेरिट्स पर आ गये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

आपकी नजरों में सम्मानित सदस्य उपस्थित थे और जो निलंबित थे वह उपस्थित थे, केवल प्राथमिकता हमको और विरोधी दल के नेता को देने की बात थी। लेकिन जो उपस्थित नहीं थे उनको अधिकार था बहस करने का। सवा दो बजे हाउस उठ गया। आपने ४ बजे ऐलान किया था बहस करने का। लोग समय पर उपस्थित हुए, लेकिन सदन नहीं था। इसलिय आज भी अधिकार है कि कामरोको प्रस्ताव पर बहस हो।

एक बात मैं विरोधी दल के नेता से निवेदन करूंगा। उन्होंने कहा है कि हमारे खिलाफ अखबार वाले अग्रलेख लिखते हैं। यह बिलकुल सही नहीं है। हमारा कामरोको प्रस्ताव नेता सदन को भले ही बुरा लगता हो, और उस दिन चर्चा हुई तो गृहमंत्री हंसते थे और गलत शब्दों का उपयोग करते थे, लेकिन अखबार वालों ने उसको भूरि-भूरि प्रशंसा की है और लाखों जनता का आशीर्वाद दिया है कि विरोधी दल ने देश और प्रदेश की आवाज को ऊंचा उठाया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप हमारे कामरोको प्रस्ताव को लें जिससे काशी विश्वविद्यालय में जो नग्न नृत्य और जघन्य अपराध हुआ है उसका सही मानों में प्रदर्शन किया जा सके।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मेरा मतलब यह था कि कुछ अखबार वाले अग्रलेख लिखते हैं जिससे ऐसा भास होता है कि हम कोई प्रजातांत्रिक ढंग का कार्य कर रहे हैं। मैंने यह सबके लिये नहीं कहा था, कुछ के लिये कहा था।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

मेरी समझ में नहीं आया कि विरोधी दल के नेता और रामसुन्दर पांडेय जी ने यह कैसे मान लिया कि आप कामरोको प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत करने देंगे। श्रीमन्, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप इस महत्वपूर्ण विषय पर अवश्य ही बहस करायेंगे। मुझे यह भी कहना है कि इसमें ३ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। एक तो आपकी व्यवस्थाएं हैं समय-समय पर जो सदन में आपने दी हैं। दूसरे हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस है, तीसरे आपका विवेक है। आपने समय-समय पर पहले भी व्यवस्थाएं दी हैं। बनारस विश्वविद्यालय में जान-बूझकर आक्रमण हुआ। श्री हरगोविन्द सिंह मिनिस्टर को टेलीफोन हुआ २—३ बजे के बीच में यह किस अधिकारी से टेलीफून आया जब कि यूनिवर्सिटी आथारिटीज ने पुलिस से कहा कि प्लेन क्लोथ्स में आवें और ४ आदमी जो यूनिवर्सिटी में नहीं मिल रहे हैं उनको ढूंढ लें। तो तीन बजे ५०० पुलिस के सिपाही हथियार लेकर, ब गन लेकर चारों तरफ से घुस गये, फाटक का ताला तोड़ा, जंजीर और ताला उठा ले गये।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप विवरण में जा रहे हैं। वैधानिक दृष्टिकोण से बात कीजिये।

श्री नेकराम शर्मा—

तो मैं यह नहीं मानता कि आप इसकी जांच करावें। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आपने सदन में व्यवस्थाएं दी हैं कि इस सदन का सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव होगा तो जितने भी नियम हैं संसदीय उनका सुपरसेशन होगा और सर्व सम्मत्ति प्रस्ताव के बाद कोई भी नियम बाधक नहीं होगा बहस के लिये। श्रीमन्, उसदिन सर्वसम्मति से यह फैसला हुआ था कि इस महत्वपूर्ण विषय पर बहस हो और उसी के अनुसार आपने कामरोको प्रस्ताव स्वीकार किया था कि उस पर ४ बजे से बहस हो। चूंकि यह सर्व सम्मत्ति से हुआ था और उस दिन सदन की अनुमति से प्रश्नों का समय भी समाप्त कर उस दिन सभी प्रश्नों के उत्तर पढ़े हुये मान लिये गये थे। इसलिये इस कामरोको प्रस्ताव पर बहस होना ही चाहिये।

तीसरी बात यह कि आपने उस दिन सदन को स्थगित कर दिया....

श्री अध्यक्ष—

मैंने स्थगित नहीं किया।

श्री नेकराम शर्मा—

उस दिन जब सदन उठा था तो आपको यह कहना चाहिये था कि अब ४ बजे यह सदन फिर बैठेगा। उस दिन जो माननीय सदस्य निलम्बित थे वे नहीं आ सकते थे, किन्तु जो निलम्बित नहीं थे वे तो आ सकते थे। इसलिये आज आप इस पर बहस होने दें और इसे स्वीकार करें। (व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

मैं यह कहना चाहती हूं कि मैं किसी का प्रजातांत्रिक हक नहीं छीनना चाहती और न ही यह चाहती हूं कि उसमें कोई कमी हो। असेम्बली में आने का मतलब है कि लोगों को यह फ्रीडम हो कि वे बोलें। यही अगर मंशा है तो मुझे एतराज नहीं है ४ बजे से इसपर डिस्कशन हो जाये, लेकिन नाट आन एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन पर बहस नहीं होगी, ४ बजे से डिस्कशन इस पर हो जाय, इसमें मुझे एतराज नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीया मुख्य मंत्री राजी हैं, यह बड़ी अच्छी बात है.....

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

डिस्कशन के लिये राजी हूं, एडजर्नमेंट मोशन पर नहीं।

श्री अध्यक्ष--

आपका मतलब है कि दो घंटे बहस हो, मगर एडजर्नमेन्ट मोशन पर नहीं।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

मेरा एक व्यवस्था का सवाल है। कार्यस्थगन प्रस्ताव आपके सामने पेश है। मुख्य मंत्री जी की राय से यह सदन नहीं चलेगा, आपको उस पर निर्णय लेना है। हम उनकी दया पर बहस नहीं चाहते। हम कामरोको प्रस्ताव क्यों चाहते हैं, यह आप सुन लें।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कहा उसमें आधा हिस्सा स्वीकार किया कि उस पर बहस हो। यह निर्णय आपको श्रीमन्, देना है कि कामरोको प्रस्ताव पर बहस हो या क्या हो। हम आपके विवेक और निर्णय से गाइड होते हैं, उनके कहने से नहीं। दूसरी बात यह कि जो भी इसपर आपका निर्णय होगा वह एक रूलिंग बनेगी, एक परम्परा पड़ेगी। इसलिये आप कृपया इसे स्वीकार करें।

श्री काशीनाथ मिश्र--

एक मिनट हमारी भी श्रीमन् सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं और वे बात तथ्य की हैं जिससे आपको निर्णय लेने में सहूलियत हो। अगर तथ्य आपके सामने नहीं आयेंगे तो आप निर्णय नहीं ले सकेंगे। मैं सबसे पहले इस बात का स्वागत करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री इस बात पर राजी हैं कि जो विषय महत्व का हो और जिसपर सब की प्रतिक्रिया हो उस पर इस सदन में विचार हो और वे इसके महत्व को स्वीकार करती हैं। चूंकि विषय इतना गम्भीर है कि माननीय कमलापति त्रिपाठी ने भी इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उनको इस बात का दुःख था कि इसकी स्पष्ट जांच हो। आज जो हमने रेडियो पर सुना है उसमें भी यह मांग की गई है कि इसकी जांच के लिये तीन व्यक्तियों की कमेटी बनाई जाय जिसमें वाईस चान्सलर हों तथा दो उच्च न्यायालय के भूतपूर्व जज हों तथा एक सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में इस कमेटी द्वारा जांच हो। मैं समझता हूं कि सरकार ने उसकी महत्ता को स्वीकार कर इसको स्वीकार कर लिया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि काम रोको प्रस्ताव के रूप में इसे क्यों मानना जरूरी है। कामरोको प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था वह कई सदस्यों की ओर से प्रस्तुत किया गया था और आपने उसकी महत्ता को देखते हुए स्वीकार किया और सरकार ने भी कोई आपत्ति इस विषय पर नहीं उठाई कि चर्चा होनी चाहिये। इसलिये एक राय से कामरोको प्रस्ताव स्वीकार हुआ। हमारा जो नियम ५७ है उसमें यह कहीं नहीं कहा गया है कि किसी व्यक्ति का नाम हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नियम ५७ से ६३ तक यह बताया गया है कि कामरोको प्रस्ताव कैसे प्रस्तुत होगा, उस पर कैसे बहस होगी, इन सब पर चर्चा की गई है। इसमें कहीं नहीं कहा गया है कि कौन व्यक्ति प्रस्तुत करेगा। अगर कामरोको प्रस्ताव महत्व का है, अपनी शर्तों को पूरा करता है, अध्यक्ष अनुमति देते हैं, सदन में कोई आपत्ति नहीं उठाता है तो कामरोको प्रस्ताव स्वीकार किया जायेगा तथा कामरोको प्रस्ताव पर बहस होगी। लेकिन श्रीमन्, इस सदन की परम्परा आपने डाल रखी है कि जब कई सदस्यों की तरफ से काम रोको प्रस्ताव आयेगा तो सबको स्वीकार करते हुए भी विषय वही होगा, लेकिन केवल विरोधी दल के नेता उसको मूव करें। इस कामरोको प्रस्ताव को चूंकि नेता, विरोधी दल ने दिया है इसलिये उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिये। अब उस परम्परा के अनुसार आपने नेता, विरोधी दल को कहा कि वे मूव करेंगे, किसी ने आपत्ति भी नहीं की। मैं भी कामरोको प्रस्ताव मूव करने वालों में था।

मैं अपनी स्थिति बतला दूं। मैं गवर्नर महोदय के एड्रेस के बाद से बीमार था और लखनऊ में उपस्थित होते हुए भी मैं सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले रहा था। मैंने इसीलिये दरख्वास्त भी दी थी कि मैं नहीं आ सकता हूं और मैं लखनऊ में ही फ्लू से बीमार पड़ा हूं। जिस दिन यह गम्भीर विषय आया उस दिन हमारे पार्टी के न नेता मौजूद थे और न झारखंडे राय जी मौजूद थे। मुझे इत्तला गई कि ऐसा गम्भीर विषय है अगर आप आ सकते हों तो थोड़ी देर के लिये आ जायं। मैं चारपाई को छोड़कर आया। उस वक्त सदन ने कामरोको प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था और सदन एडजर्न होने जा रहा था और मैं अन्य नेताओं के साथ माननीय मुख्य मंत्री के पास गया और उनसे मिला। वे कुछ हद तक सन्तुष्ट थीं और कुछ हद तक नहीं भी थीं। मैं इस स्थिति में नहीं था कि देर तक बैठता और तुरन्त घर वापस चला गया। लेकिन आपने मेरे सामने ही एक घोषणा कर दी थी और मेरे कामरोको प्रस्ताव पर ४ बजे का समय नियुक्त कर दिया था बहस के लिये। इसके बाद सदन में एक विशेष परिस्थिति पैदा हुई। माननीय विरोधीदलों के एक एक सदस्य को निलंबित किया गया और उनको बाहर जाने के आदेश दिये गये। फिर भी ४ बजे मेरा कामरोको प्रस्ताव आना था क्योंकि सब ने उसकी महत्ता को समझा था। मुझे घर पर यह पता चला कि सदन सवा दो बजे ही स्थगित हो गया। मैंने फिर पूछा कि ४ बजे तक के लिये शायद स्थगित हुआ हो क्योंकि ४ बजे उस पर बहस होने के लिये आप वचन दे चुके थे। क्योंकि वह स्वीकार हो चुका था, अतः उसको मूव करने का मुझे अधिकार था। उसके बाद तो सदन की अनुमति का भी प्रश्न नहीं आता था। लेकिन मुझे यह इत्तला मिली कि आपने सदन को उस दिन के लिये स्थगित कर दिया। उसके बाद दो दिन की छुट्टी थी। इसके बाद सदन आज मिला है। ऐसी स्थिति में मैं आशा करता था कि मेरा कामरोको प्रस्ताव कम से कम आज के एजेन्डे पर होता। लेकिन उसको एजेन्डे पर भी न देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। अतः नियमानुसार मैं समझता हूं कि मेरा प्रस्ताव आज भी जीवित है। पहले भी जब ऐसे मौके आये हैं तो दूसरे दिन उस पर बहस हुई है। अतः मेरे प्रताव पर आज बहस होनी चाहिये। इसकी महत्ता तो मैं पहले ही बता चुका हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, हम तो आपसे बराबर यह कहते आये हैं .....

श्री अध्यक्ष—

आप अब बैठ जाइये। अब इस आदरणीय सदन के सामने....

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, मैं इसके विरोध में सदन से बाहर जाता हूं।

(श्री काशीनाथ मिश्र सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष--

जहां तक इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का प्रश्न है जो वाराणसी विश्वविद्यालय में घटित हुई, उसके महत्वपूर्ण न होने और अविलंबनीय न होने का प्रश्न ही नहीं उठता, इस वास्ते कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह उत्तर प्रदेश का हो अथवा उत्तर प्रदेश के बाहर का हो, ऐसा नहीं है जो इस घटना से दुखित न हुआ हो, ऐसा मैं समझता हूं। मैं उस दिन प्रारम्भ से ही यह प्रयत्न करता रहा और आग्रह करता रहा कि आदरणीय सदन उस कार्यस्थगन प्रस्ताव पर बहस करे और अपने विचार व्यक्त करे। अगर उस रोज उस पर बहस हो जाती तो मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश का बड़ा लाभ होता तथा बहुत सी बातें हमें मालूम होती जिनके बारे में आज प्रश्न उठाये जा रहे हैं। दो प्रश्न विशेष रूप से उठाये जा रहे हैं। एक तो यह कि मैंने चार बजे का समय निश्चित किया था। दूसरी बात यह कही जाती है कि जो कमीशन इस समय नियुक्त हुआ है, उससे हम असंतुष्ट हैं, वह नियमित कमीशन नहीं है।

जहां तक मेरी घोषणा का प्रश्न है। जैसाकि चन्द्रजीत जी ने कहा, जब मैंने चार बजे कीघोषणा की थी उस समय दूसरे नियमों के अन्तर्गत जो प्रक्रिया होती है वह उसके अधीन थी, अर्थात् यह कि मैं चार बजे का समय नियुक्त करता हूं, जब सदन की अनुज्ञा मांगी जाय और मिला जाय। लेकिन वह नोबत नहीं आयी और एक बजे माननीय नेता, विरोधी दल ने तीन मांगें प्रस्तुत कीं। उनमें से एक मांग यह थी कि वह चाहते थे कि कोई हाईकोर्ट का जज इस संबंध में जांच करे। जो शब्द मैंने देखे हैं कार्यवाही में और जो मुझे याद हैं वह यही हैं और इस के अलावा उन्होंने २ और मांगे पेश की थीं। उस पर माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि यह तीनों शर्तें हमें मंजूर नहीं हैं। उस समय मैं यह समझा था कि जिस समय कार्यस्थगन प्रस्ताव आया था उस समय यह शब्द थे कि हम न्यायिक जांच चाहते हैं और जिस समय १ बजे नेता, विरोधी दल ने सदन के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किये तो उन्होंने पहली बात यह कही थी कि कोई हाईकोर्ट का जज इस संबंध में तथ्यों की जांच करे। उस के बाद आज हमें यह मालूम हो गया कि एक हाई कोर्ट के जज इस संबंध में नियुक्त हो चुके हैं। अब इस समय जो प्रश्न उठाया गया है वह यह है कि जो व्यक्ति इस संबंध में नियुक्त किये गये हैं वह उपयुक्त व्यक्ति नहीं हैं।

श्री उग्रसेन--

लेकिन यह असल/सवाल नहीं है, आप ने कार्यस्थगन प्रस्ताव को लेने की घोषणा सदन में की थी। आप से निवेदन है कि आप व्यवस्था पर जाइये, तथ्यों पर न जाइये।

श्री अध्यक्ष--

इस संबंध में हमारा नियम ६० इस प्रकार है कि "साधारणतया ऐसे प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जायगी जो किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने के लिये हों जो न्यायिक या अर्द्ध न्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिये नियुक्त किसी आयोग की जांच न्यायालय के सामने लम्बित हों।" अब प्रश्न केवल यह है कि परसों यह कहा जा सकता था कि चूंकि यह विषय लम्बित नहीं है इस वजह से इस पर बहस हो सकती है। अब चूंकि यह विषय परसों का ही है इस वजह से उसी दिन के दृष्टिकोण से ही इस विषय को हम तय नहीं करें। इस संबंध में मैं आपके सामने हाउस आफ कामन्स, लोकसभा के निर्णयों को :

श्री उग्रसेन--

बिलकुल यही हुआ था और बहस भी यही हुई थी।

श्री अध्यक्ष--

तो मैं कह रहा था कि वहां पर कार्यस्थगन प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और उसके बाद जब विचार के लिये वह सदन के समक्ष आया उस वक्त तक उस विषय पर एक जांच कमीशन नियुक्त हो चुका

था और जब वह मुकर्रर हो गया तो पीठासीन महानुभाव ने आदेश दिया कि चूंकि अब यह विषय आयोग के विचाराधीन हो गया है और इन तथ्यों के संबंध में जांच होगी इस वजह से अब यह कार्यस्थगन प्रस्ताव नहीं लिया जा सकता। इस तरह से यह बहस भी स्वीकार नहीं की जा सकती कि हम उस दिन की परिस्थितियों में कामरोको प्रस्ताव के बारे में निश्चय करें। आज की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुय हमें अब निश्चय करना होगा कि कार्यस्थगन प्रस्ताव स्वीकृत हो सकता है या नहीं और इस परिस्थिति को देखते हुये मैं समझता हूं कि वह अब नहीं हो सकता। एक प्रश्न उन्होंने यह उठाया कि....

श्री नेकराम शर्मा—

वह रिटायर्ड जज हैं या हाईकोर्ट के जज हैं, इस पर निर्णय दें।

श्री अध्यक्ष—

त्रिपाठी जी ने यह प्रश्न उठाया कि यह जूडीशियल इन्क्वयारी नहीं है। इस संबंध में मैं तो निहायत नम्रता से निवेदन करूंगा कि ऐसे विषयों पर सदन के द्वारा कोई जुडीशियल इन्क्वायरी जैसी अदालत के द्वारा होती है नहीं नियुक्त होती, उससे मेरा मतलब है कि जो जुडीशियल इन्क्वायरी होती हो। यहां पर तो हमेशा एक कमीशन ऐक्ट के अन्तर्गत आयोग नियुक्त होता है जिसे सिविल कोर्ट के अधिकार प्राप्त हैं और फिर वह इन्कवायरी के बाद अपनी रिपोर्ट करता है और फिर हमें, आप को, इस सदन को अधिकार हो जाता है कि उस रिपोर्ट के दृष्टिकोंण से उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करें जिनको कमीशन अभियुक्त या दोषी समझें। अन्त में मैं, निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय खेर साहब ने भी इस विषय पर अपना निर्णय दिया है। इस संबंध के संकलन से कृपया अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन १९५२ से १९६२ तक प्रश्न संख्या ३६ पृष्ठ ७४ देख लें। जब एक विषय आयोग के समक्ष आ गया और उसका कार्य हो कि वह समस्त तथ्यों पर जांच करें, जिनके संबंध में यहां पर चर्चा हो सकती है तो उस पर कार्य स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किय. जा सकता है।

अब आदरणीय मुख्य मंत्री और आप यदि चाहें तो अलग से बैठ कर बहस कर सकते है।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, किस बात की बहस करेंगे? जब आप अध्यक्ष हो कर यहां पर बहस काट रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

कार्य स्थगन पर विचार की जो आपने मांग की है, उसको मैं स्वीकार करनें में असमर्थ हूं।

श्री उग्रसेन—

जब इस समय आप कार्य स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगें, तो क्या जब यह सरकार उलटेगी तब आप कार्य स्थगन स्वीकार करेंगे?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, जो आपका निर्णय हुआ, उसके सामने चैयर की मर्यादा रखते हुए मुझे तो कुछ नहीं कहना है लेकिन हम बड़े दुखी हैं कि आप जब किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो अनेक निर्णयों का सहारा ले लेते हैं। लेकिन अगर हम अपील करते हैं तो आपको तो चाहिए कि आप अपने स्व विवेक से नयी परम्परा डालें और एसा निर्णय दें कि जिससे दोनों तरफ के दलों का समाधान हो सके। आपने जो, रूलिंग देते समय बातें, कहीं है अगर मैं उन्हें दोहराऊं तो समय लगेगा। मेरा तो कहना केवल इतना ही है कि यह जुडिशियल इन्क्वायरी नहीं है। माननीय दूबे जी ने एक बार प्रश्न उठाया था, अलीगढ़ के सम्बन्ध के कि...

श्री अध्यक्ष—

माननीय माधव प्रसाद जी, इस सम्बन्ध में मैं एक निर्णय दे चुका हूं और मैं समझता हूं कि उस निर्णय के बाद उस पर बहस नहीं होनी चाहिए।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, उस निर्णय पर मैं नुक्ताचीनी नहीं कर रहा हूं। आज हम यहां पर सरकार की पालिसी डिस्कस करना चाहते हैं। हम चाहते है कि हम डिस्कस करें कि उनके अधिकारी क्या करते हैं। अगर आप हमारे मोशन को रिजेक्ट करते हैं तो मैं मौन होकर खड़ा रहूंगा।

(तथा जनसंघ दल के अन्य सदस्य अपने अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

श्री अध्यक्ष—

माननीय माधव प्रसाद जी आपकी मौन होकर खड़े रहने की बात उचित नहीं है।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

कामरोको प्रस्ताव तो आपने खारिज कर दिया और अब आप कहते हैं कि अगर माननीय मुख्य मंत्री जी चाहें तो वह और माननीय नेता विरोधी दल बहस कर लें। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह आप किस नियम के अन्तर्गत कह रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—

अगर आप और मुख्य मंत्री बैठ जायं और निश्चय कर लें...

(व्यवधान)

यह आपको और उनको बैठ कर ही तय करना है। जहां तक कार्य स्थगन का प्रस्ताव है वह विषय अब समाप्त हो चुका है। (व्यवधान)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

जो बात हम वहां कर सकते हैं वह यहा क्यों नहीं कर सकते? जब आपने एक एक सदस्य को पुकारा तब उसके प्रस्ताव को लिया, और इस तरह से तो सदन में बिना आये ही प्रस्ताव खतम हो जाया करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी, अब आप बैठें, वह विषय समाप्त हो गया।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

तब आपकी रूलिंग भी समाप्त हो गयी। हम लोग किस लिये यहां बैठें? प्रदेश के सब लोगों को तो श्री हरगोविन्द सिंह की पुलिस के डंडे ही खाने को मिलेंगे।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता, विरोधी दल, आपसे मेरा निवेदन है कि आप कृपया बैठ जायं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, आपने अपना निवेदन कर दिया, अब जरा हम लोगों का निवेदन भी आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

अब मेरा निर्णय हो चुका।

श्री नेकराम शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरा निवेदन है कि कृपाकर के आप १५ मिनट के लिये सदन को स्थगित कर दें ताकि सब लोग माननीय मुख्य मंत्री से मिल कर बात कर लें।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, १५ मिनट के लिये सदन स्थगित किया जाता है।

(इस समय १ बजकर ५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और १ बजकर २० मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि १५ मिनट के लिये सदन स्थगित हुआ था। हमारे विरोधी दलों के माननीय नेतागण बैठे और हमने विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमारी यह प्रार्थना मान ली जाय कि कल दिन भर इस पर डिसकसन के लिये दे दिया जाय ताकि हर एक सदस्य को १०, १० मिनट का समय मिल जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

अध्यक्ष महोदय, अगर कामरोको प्रस्ताव स्वीकार किया गया होता तो दो घंटे की बहस होती जिसे अस्वीकार कर दिया गया है। नियमावली में नियमों के अन्तर्गत आपको अधिकार है कि विशेष चर्चा हो तो उसके लिये आप ही दिन अथवा समय मुकर्रर कर दें और नियम ११३ के अन्तर्गत आप एक एक दिन की बहस के लिये नियत कर सकते हैं। मुख्य मंत्रीं से अपील न करके नियमों के अन्तर्गत मैं आपसे ही अपील करता हूं कि जब कामरोको प्रस्ताव आपने अस्वीकार कर दिया है ता एक दिन बहस के लिये आप नियत कर दें। यह एक अहम सवाल है। हम सब लागों ने घटना स्थल पर जा कर ८ घंटे तक जांच की और सरकारी तथा गैर सरकारी तौर पर जानकारी हासिल की। उधर के लाग भी जानकारी रखते हैं और इस पर २ घंटे की बहस केवल मजाक बन कर रह जायगा और सभी सम्मानित सदस्य इतने कम समय के अन्दर अपने उद्गार प्रकट नहीं कर सकते। लिहाजा आप एक दिन का समय नियत कर दें।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, कल अनुपूरक अनुदान पेश होने हैं और तीन विधेयकों पर भी सदन को विचार करना है। इसको दृष्टि में रखते हुये ही आप नेता, विरोधी दल के आग्रह पर विचार करें तथा निर्णय दें।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

श्रीमन्, में एक सुझाव देना चाहती हूं उसको आप लोग सुन लें....

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कोई फैसला लेने से पहले हम लोगों को सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

मैं एक निवेदन कर दूं कि साधारणतया यह समझा जाता है कि नेता, विरोधी दल आपकी बात कह दें। प्रत्येक नेता वही बात कहे उससे क्या फायदा है।

श्री भगवान सहाय—

श्रीमन्, नेता, विरोधी दल से हमारा कोई मतभेद नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना ही कहना कि माननीया मुख्य मंत्री ने जो कदम उठाया है कि इस पर बहस के लिये तैयार हैं, लेकिन आपकी रूलिंग हुई कि यह रूल्स में नहीं आता उससे हमें दुख है, परन्तु वह बाद की बात है। हम लोगों की प्रार्थना यह है कि इस पर चार घंटे की बहस करा दें और हम नेता, सदन से और नेता, विरोधी दल

[श्री भगवान सहाय]

से कहते हैं कि वे हमारी बात को मान लें। उसूल यहां इस बात का मुख्य मंत्री ने मान लिया है कि इस पर बहस हो। तो अब सवाल केवल समय का रह जाता है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय नेता सदन इसको स्वीकार कर लें। दो घंटे आज बहस करा लें और दो घंटे कल करा लें या कल ही चार घंटे बहस करा लें। इसमें कोई मतभेद या उसूल का सवाल नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि सदन चार घंटे की बहस की बात मान लें।

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

अध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ इतना निवेदन करना है कि मैं चाहती हूं कि इस हाउस का काम गुडविल से हो इसलिये मैं एकोमोडेट करने का प्रयास कर रही हूं आप लोगों के सामने चार बिल हैं और कल सप्लीमेन्टरी बजट पेश करना है। कल का ही दिन है उसके बाद १४ तारीख को बजट पेश होना है। इसलिये मैं सुझाव दे रही हूं। आप लोगो के पसन्द हो तो ठीक है। आज दो घंटे बहस ४ बजे से ६ बजे तक हो जाये और कल प्रश्न स्थगित कर दें और ११ बजे से १ बजे तक बहस हो जाये। इसके बाद हाउस का बिजनेस हो जाये।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज के एजेंडे में जो उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय विधेयक है उस पर यदि बहस न करें तो कोई नुकसान नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

वह तो दूसरा सवाल आप करते हैं। इस समय प्रश्न है कि आज ४ से ६ बजे तक बहस हो और कल ११ बजे से १ बजे तक हो। आपकी बात मान ली गई, अब आप विभ्रम पैदा न करें।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन्, कल के लिये कर दें। आज उनका कार्य हो जाये और कल प्रश्न स्थगित करके इसको करा दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष---

दिक्कत यह होती है कि कल भी कुछ काम करना है कल भी विधेयक आयेंगे।

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

मैं यह निवेदन करूंगी कि जो मैंने बताया है वह सोच समझकर बताया है। इतना एकोमोडेट आप लोग भी कर लीजिये।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---

अध्यक्ष महोदय, अब बहस किस आधार पर होगी? आपने नियम ६० के अन्तर्गत व्यवस्था देदी है कि न्यायिक प्राधिकारी के अधिकार में जांच देदी गई है तो उस पर बहस नहीं हो सकती है। यह बहस होगी तो इसमें यह चीज नहीं आयेगी इसके लिये क्या प्रतिबन्ध रहेगा और कैसे किसी को रोका जायेगा और किस नियम के आधार पर आप यह एलाऊ कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

अच्छा मैं इसको भी नियन्त्रित कर दूं, ऐसा आप चाहते हैं?

कुंवर श्रीपालसिंह---

जी मैं यही चाहता हूं कि आप अक्षरशः नियमों का पालन करें। न तो हमारी प्रार्थना के आधार पर या सरकारी दबाव के कारण नियमों का उल्लंघन आप न करें, तभी सदन चलेगा। आप जिस तर्क का सहारा लेकर कार्य-स्थगन प्रस्ताव को रोक दिया, उसी को आप नियम ५३ के अन्तर्गत लेने जा रहे हैं, यह कहां तक ठीक है?

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

इस प्रकार का प्रश्न जैसा कि राजा साहब, सिंगरामऊ ने उठाया, उसी प्रकार का एक प्रश्न सन् ५८ में उठा था। उस समय अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी कि जिन नीतियों के परिणाम स्वरूप यह घटनायें हुई हैं, उन नीतियों पर हम विवाद कर सकते हैं और यदि उन नीतियों में उदाहरण भी देने की आवश्यकता पड़े तो उदाहरण भी दिये जा सकते हैं। इसलिये इस पर यदि आपकी ओर से कोई नियन्त्रण न भी हो तो इस व्यवस्था के अन्तर्गत रहते हुये उस पर विचार नियम के अन्तर्गत हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—

जैसा कि माननीय दुबे जी ने कहा मैं कोई अनुचित बात नहीं करना चाहता हूं। जो नियन्त्रण मैं रख रहा हूं वह ऐसे होंगे, जिन्हें आप भी सहर्ष स्वीकार करेंगे। जैसा कि दुबे जी ने कहा, हमें यह देखना है कि कौन सी परिस्थितियां और वातावरण छात्र समाज में वर्तमान हैं, जिनके कारण ऐसी घटनायें हुई हैं। दूसरी चीज जिस पर बहस हो सकती है वह यह है कि वर्तमान जो व्यक्ति या न्याय आयोग इसके लिये गठित हुआ है वह उपयुक्त है या अनुपयुक्त यानी वह कहां तक उचित है। जो तथ्य हैं उसके संबंध में आप प्रकाश न डालें, तो अच्छा है, वरना इसमें जांच में गड़बड़ होगी और वह बिलकुल ठीक नहीं होगा।

कुंवर श्रीपालसिंह—

किस नियम के अन्तर्गत बहस होगी ?

श्री अध्यक्ष—

नियम ५३ के अन्तर्गत ढाई घंटे की बहस हो सकती है, वह मैं स्वीकार कर रहा हूं।

कुंवर श्रीपालसिंह—

लेकिन श्रीमन्, उसकी भी कुछ बाईंडिंग हैं, क्या आपने उस पर विचार किया है ? उसके लिये आपको किस सदस्य ने लिखकर दिया ? किन दो सदस्यों के उस पर दस्तखत हैं ?

श्री अध्यक्ष—

एक नहीं अनेक हमारे पास संकलन में उदाहरण हैं कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिये गये हैं, उनको नियम ५३ में परिवर्तित करके बहस हो चुकी है। अब उसको समाप्त कीजिये, बैठ जाइये और इस पर जब कोई बात न उठाइये।

कुंवर श्रीपालसिंह—

इनको आपने कन्वर्ट किया है।

श्री अध्यक्ष—

जो मैं कह रहा हूं, वह ठीक है, अब आप बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

तो हम लोग यह समझकर वाद विवाद करें कि हमारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव नियम ५३ में कन्वर्ट हो गया है।

श्री अध्यक्ष

देखिये एक बात सबकी राय से तय हो गयी है, अब उसमें भ्रान्ति न पैदा करें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

जो चर्चा यहां पर होगी, उसमें तथ्यों का वर्णन नहीं होगा। इसलिये मैं इस संबंध में आपसे निवेदन करना चाहता हूं, साग्रह निवेदन करना चाहता हूं कि तथ्यों पर ही विचार नहीं करना है, तो यहां पर किस चीज पर विचार होना है।

लखनऊ काटन मिल जनरल फाइवर डीलर्स लिमिटेड, लखनऊ में तालाबन्दी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

जेनरल फाइबर डीलर्स लिमिटेड, लखनऊ के वर्तमान प्रबन्धकों का कहना है कि निरन्तर घाटे और विषम व्यापारिक परिस्थिति के कारण वह इस मिल को अब और आगे नहीं चलाना चाहते हैं। गत वर्ष अक्तूबर मास में मिल मालिकों ने मिल की एक पाली पहले ही बन्द कर दी थी और उससे प्रभावित लगभग ६०० मजदूरों को मुआवजा दिया जा चुका है। मिल मालिकों ने ३१ दिसम्बर, १९६५ को इस मिल को पूर्णरूप से बन्द करने का फिर नोटिस दिया और १ फरवरी, १९६६ से मिल बन्द हो गयी है जिससे लगभग ८२३ श्रमिक प्रभावित हुये हैं।

बोनस, छुटनी के मुआवजे आदि प्रश्नों पर मिल मालिकों तथा श्रमिकों में विवाद था। ३ फरवरी को मिल मालिकों और श्रमिकों में एक समझौता हो गया है जिसके अनुसार श्रमिकों को छुटनी का मुआवजा ४ से १२ फरवरी, १९६६ तक दे दिया जायगा। यदि कोई श्रमिक समझे कि उसे कम मुआवजा दिया गया है तो इसकी धनराशि निर्धारित करने के लिये वह कानूनी तरीके से अपना मामला उठा सकता है। श्रमिकों को देय १९६५ के बोनस का भुगतान भी पहली मार्च, १९६६ से आरम्भ किया जायगा। इस बोनस की रकम के साथ प्रधान मन्त्री स्वर्गीय श्री शास्त्री के निधन के कारण हुई १२ जनवरी, ६६ की मिल बन्दी का पैसा भी श्रमिकों को दिया जायगा। इस मिल को फिर चलाने के प्रश्न पर शासन विचार करेगा।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

सरकार इस प्रकार इन बेकार हुये मिल मजदूरों को बन्दी के बाद पुनः रोजी दिलाने के लिये क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

मैंने अभी कहा है कि इन्क्वायरी बैठी है। अथोराइज्ड कंट्रोलर को नियुक्त करके सरकार चलाने की बात करेगी तो उसमें गवर्नमेंट आफ इंडिया से पूछना पड़ेगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

सरकार उसको तो नियुक्त करेगी, लेकिन इस बीच जो इतने लोग बेकार हो जायंगे उनका क्या होगा ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

जब ऐसी जांच की जाती है तो उस जांच के बीच जितने लोगों को ले सकते हैं लेते हैं।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि जो ग्रेचुएटी का पैसा है उसको मिल मालिक कायदे से नहीं देता है। यह सवाल मिनिस्टर साहब के सामने भी था कि मालिक उस आदमी को जिसकी १० साल की सर्विस है १० साल की ग्रेचुएटी नहीं देता है। साल में २४० दिन पूरे होने चाहिये यह वह कहते हैं जो उसूलन गलत है। एक बार जब किसी आदमी की सर्विस २४० दिन की हो गई तो वह कंटीन्यू होती है तो इस मामले को सरकार देखकर उनको दिलाने की कोशिश करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह सभी बातें, जब इन्क्वायरी की डिटेल्ड रिपोर्ट आ जायगी तो उस समय फैसल होंगी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

पहले साल २४० दिन देखा जाता है । दूसरे साल १०, २० दिन कम भी हो तो स्वीकृत छुट्टी मानी जाती है । यह मालिक जो ग्रेचुइटी का मामला टालते रहे तो इस कानून का निफाज सरकार ने क्यों नहीं कराया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वह कारखाना बन्द हो गया । उसकी सारी बातों की जांच हो रही है । जब उस कमेटी की रिपोर्ट आयेगी तो उसके बाद किस तरीके से कारखाना चलायें, किसका कितना ड्यू है, इन सारी बातों का फैसला होगा । इस वक्त मैं डिटेल की बात नहीं कर करती हूं ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इधर गया है कि यह मिल वाले निरन्तर झूठा घाटा दिखाते है तो इनके लिये स्पेशल आडिट कराने की व्यवस्था सरकार करेगी जिससे उन कारणों पर प्रकाश डाला जा सके कि घाटा क्यों दिखाया जाता है ? और यह एडमिनिस्ट्रेटर कब तक मन्त्री जी मुकर्रर कर देंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जब इंक्वायरी रिपोर्ट आ जायगी उसके बाद ही एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त होंगे ।

श्री खेमचन्द (जिला आगरा)—

क्या मंत्री जी बतायेंगी कि इंक्वायरी के लिये जो कमीशन बैठा है उसके लिये कोई समय नियत किया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

माननीय सदस्य की जानकारी के लिये कहना चाहती हूं कि यह जो कमेटी मुकर्रर हुई है यह बहुत जल्दी ही अपनी रिपोर्ट देगी ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जो इंक्वायरी बैठी है उस के टर्म्स आफ रेफरेन्स क्या हैं और क्या उसमें यह है कि स्पेशल आडिट वहां किया जाय जिस से पता चल सके कि घाटा क्यों हो रहा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री संतसिंह यूसुफ—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो ग्रेचुयेटी और बोनस फरवरी और मार्च में देने की बात कही गयी है उसके लिये मिल मालिकों से सरकार ने कोई गारन्टी ली है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह तो मैंने पहले ही पढ़ दिया कि मुआबजा तो वह फरवरी में दे रहे हैं और बोनस मार्च में दे रहे हैं । इसके लिये समझौता मिल मालिक और मजदूरों में हो गया है ।

श्री उग्रसेन—

संकटकालीन स्थिति में यह द्विपक्षीय सम्मेलन में तय हो गया था कि बिना नोटिस दिये मजदूर हड़ताल नहीं करेंगे और मालिक मिल नहीं बंद करेंगे । तो इस मिल को मालिक ने जो बिना नोटिस दिये बंद कर दिया है उसक लिय क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अथराइज्ड कंट्रोलर अप्वाइंट करने के पहले जांच करने का मतलब यही है कि हम मैनेजमेंट से डिस्सेटिसफाइड हैं ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इस मिल के बंद होने से कितने मजदूर बेकार हुए, क्या उसके असेट्स को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है ताकि मजदूरों का पेमेंट किया जा सके और जब तक मजदूरों का पेमेंट न हो उस समय तक क्या सरकार उन को कोई अंतरिम सहायता की व्यवस्था कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

१४०० मजदूर ऐसे है और मिल मालिक अपना सामान न हटा सकें इस का पहले से इंतजाम है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

सरकार मजदूरों की क्या मदद करने को तैयार है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

उनको पैसा मिल रहा है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यदि मिल मालिक ने मजदूरों को भुगतान नहीं किया तो सरकार उस पैसे का भुगतान करेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

अभी तो जो पंचायतनामा हुआ है उस के अनुसार वह देंगे और उस के बाद भी अगर मजदूरों को कोई शिकायत रह जायगी तो वह उस के लिये कानूनी कार्यवाही कर सकते है ।

उत्तर प्रदेश नर्सेज ऐण्ड मिडवाइव्ज कौंसिल, इलाहाबाद एवं लखनऊ यूनिवर्सिटी तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट्स के लिये सदस्यों के निर्वाचन का परिवर्तित कार्य-क्रम

श्री अध्यक्ष—

अब मैं एक सूचना देना चाहता हूं । इंटरमीडियेट एजूकेशन बोर्ड के संबध में तो इस आदरणीय सदन ने निर्णय ले लिया है कि जो सदस्य उस में काम कर रहे हैं वे चुने हुये समझे जायेंगे । शेष समितियों के चुनाव जो होने वाले थे उन की तिथियों में परिवर्तन यह किया गया है कि नाम निर्देशन की तिथि जो आज तक की थी उसे बढ़ा कर १५ फरवरी तक की कर दिया गया है और सूक्ष्म परीक्षा उस के दो दिन बाद अर्थात् १७ तारीख को दस बजे प्रातःकाल होगी । नाम निर्देशन पत्र १५ फरवरी को ४ बजे तक दिये जायंगे । यह परिवर्तन हुआ है और शेष नामों की वापसी की तारीख और निर्वाचन की तारीख पूर्ववत् रहेगी ।

आगामी सप्ताह का कार्य-क्रम

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

मैं चाहता हूं कि सदन को आगामी सप्ताह का कार्यक्रम बता दिया जाय ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

यह तो कुछ तय नहीं हुआ है ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, सुन तो लीजिये ।

श्री बंशीधर पांडेय—

इस बार पहले उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६, फिर उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९६६, फिर हस्तिनापुर नगरविकास मंडल (चालू रहने का) विधेयक, १९६६ और अन्तिम उत्तर प्रदेश विद्युत् कर विधेयक, १९६६ पर विचार किया जायगा ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैं समझता हूं कि नगरमहापालिका विधेयक लेने की बात कतई नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं । हम लेंगे या नहीं यह दूसरी बात है और इसका अख्तियार आपको है ।

*उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६

कृषि मंत्री (श्री गेंदासिंह)—

श्रीमन्, आप की आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६ पर विचार करने के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

(इस समय १ बजकर ४७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुए ।)

श्रीमन्, यह छोटा सा विधेयक है और बहुत आवश्यक है । इसमें केवल चार धाराओं में संशोधन किया गया है और इस खयाल से किया गया है कि विश्वविद्यालय का काम उस से चल सके सब से पहले यह विश्वविद्यालय कृषि का उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ था और उस की स्थापना के बाद अन्य प्रदेश में भी ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित हुये । उनमें जो कार्य हुआ है उसे देखते हुए बहुत से लोगों की इच्छा थी और उन्होंने सिफारिश भी की कि इस विश्वविद्यालय के अधिनियम को भी बदला जाय और इस की कार्य शैली और कार्य पद्धति को बदला जाय । विशेष तौर पर जहां बोर्ड आफ मैनेजमेंट में यह गुंजायश थी कि चेयरमैन उस व्यक्ति के अतिरिक्त किसी और को बनाया जाय जो वाइस चांसलर हो । कुछ विश्वविद्यालयों में यह परिवर्तन हुआ कि जो वाइस चांसलर हो वही बोर्ड आफ मैनेजमेंट का पदेन सभापति रहे । इससे देखा गया कि अन्य विश्वविद्यालयों में तरक्की हुई है और सहूलियत है, खास तौर से लुधियाना विश्वविद्यालय में जो कृषि का नया खुला, उसमें इसी प्रकार की कार्यशैली को अपनाया गया । उसको देखते हुये यह सोचा गया कि इस विश्वविद्यालय में भी उसी प्रकार की व्यवस्था की जाय । तो वहां जो शिक्षार्थी पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई में किसी प्रकार की कठिनाई न हो सके और जो कार्य इस विश्वविद्यालय के हैं उनमें फैसला करने में देर न लगे, काम में रुकावट न पैदा हो इसलिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया ।

यह भी ध्यान में रखा गया कि फाइनेंशियल कंट्रोलर को सीधे सीधे सरकार यहां से नियुक्त करे । इससे, मैं समझता हूं कि सदन सहमत होगा कि बोर्ड आफ मैनेजमेंट से उसकी हैसियत ऐसी रहनी चाहिये कि स्वतंत्रतापूर्वक वह फाइनेंशियल पर निगाह रख सके ।

एक आध बात छोटी-मोटी है जिनकी तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है । जिन मित्रों ने इस विधेयक को और पुराने को देखा होगा उन्हें पता होगा कि उसमें कोई विवादास्पद बात नहीं है । यों तो इसके स्थान पर एक आर्डिनेंस निकाला गया, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में कठिनाई की बात थी, इसलिए जल्दी कार्यवाही की गयी । अब यह आपकी मंजूरी के लिये रख दिया गया । मैं आशा करता हूं कि आप जल्दी इसपर अपनी स्वीकृति देंगे ।

---

*३१ जनवरी, १९६६ की कार्यवाही में छपा है ।

*श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक को परिधि में भी परिवर्तन करने का अधिकार हो तथा वह अपना प्रतिवेदन १ मास में प्रस्तुत कर दे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

अधिष्ठाता महोदय, यह कृषि विश्वविद्यालय विधेयक जिस समय से विश्वविद्यालय बना है उस समय से ही बिलकुल साफ नहीं था और उस समय कहा गया था कि एक नया तजुर्बा इस प्रदेश में किया जा रहा है और यह कि जो पुराना कृषि स्कूल इस प्रदेश में चला करता था वह बिलकुल बेकार है और उससे उत्पन्न होने वाले स्नातक कृषि की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं और जिन आदर्शों को लेकर यह चलाया जा रहा है, अगर उन पर यह विश्वविद्यालय चलेगा तो यह प्रदेश की कृषि की आवश्यकताओं को पूरी कर देगा जिनके कारण हमारे कृषि के व्यापक विकास में बाधा थी। मैं शुरू से ही इस कृषि विश्वविद्यालय की गतिविधियों का बहुत ही निकट से देखने का प्रयत्न करता रहा हूं। मैं समझता हूं कि आज के विधेयक के देखने से मुझे कृषि के भविष्य के बारे में निराशा हुई। मैं समझता था कि जो भी नया विधेयक कृषि विश्वविद्यालय के संबंध में आवेगा उसके साथ साथ माननीय मंत्री जी को क्या कमियां हैं, क्या ऐचीवमेंट्स हैं इनका भी वह अच्छा ब्योरा देते। तो करोड़ों रुपये की सम्पत्ति राज्य सरकार ने जो इस विश्वविद्यालय को समर्पित कर रखी है उसका प्रदेश को लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैंने उस विश्वविद्यालय को देखा है और मैं कृषि का विद्यार्थी भी रहा हूं। मैंने यह समझने की कोशिश की कि यहां जो लड़के कृषि की शिक्षा पा रहे हैं उनमें तथा और जगह जो इस शिक्षा को लड़के पाते हैं उनमें क्या अन्तर है। मैंने वहां कोई भिन्नता नहीं पायी। अमेरिकन पैटर्न पर इस विश्वविद्यालय को चलाया जा रहा है और वहां की नकल की जा रही है। वहां से निकले हुये विद्यार्थी कृषि व्यवसाय में लग कर नौकरी की तलाश में ही घूमते हैं। माननीय गेंदासिंह जी ने भी अपने भाषणों में कहा है कि कृषि स्नातक कृषि में शिक्षा लेने के पश्चात् नौकरी ढूंढ़ते हैं। यह बात विचारने की है कि आखिर ऐसा क्यों है? आज उस विश्वविद्यालय से उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है जिस उद्देश्य के लिये इसे स्थापित किया गया था। मैंने सुना है कि कुछ विशेष प्रकार के कुछ अधिकारी जरूर उत्पन्न किये हैं, और कुछ विशेष प्रकार के विद्यार्थी ट्रेन्ड किये हैं। किन्तु कृषि जो हमारे प्रदेश का मुख्य व्यवसाय है उसमें रुचि रखने वाले और उस व्यवसाय में लगने वाले स्नातक पैदा नहीं हो पाये हैं। और जो करोड़ों रुपया इस पर खर्च हो रहा है उसका लाभ नहीं हो पा रहा है।

मान्यवर, आज हम मैनेजमेंट में परिवर्तन करने आदि की बात सोचते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि आर्थिक कन्ट्रोल दूसरे के हाथों में चला जाने से प्रबन्ध ठीक हो सकेगा। मैं समझता हूं कि इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। आज इसके अन्दर आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

इसके अलावा मान्यवर, यहां पर खर्चे की भी वही परिधि है जो दूसरी जगह होता है। मामूली कृषक का बेटा तो यहां शिक्षा पा नहीं सकता। उसके बस की बात नहीं है कि वह यहां शिक्षा पा सके। हमारे यहां भी आजकल टैक्नीकल शिक्षा का बड़ा जोर है, ऊपर हमारे यहां भी और अन्य प्रदेशों में भी कृषि के स्नातकों की बहुत जरूरत है। उनकी बराबर मांग हो रही है। किन्तु यहां पर खर्चा अधिक होने के कारण बहुत से विद्यार्थी नहीं आ पाते। आज इस बात की जरूरत है कि यहां के खर्चे को कम किया जाय।

आज देखने में यह आ रहा है कि जो भी कृषि के स्नातक हैं, चाहे वह किसी भी विभाग में लगे हों, बिलकुल बेकार हैं। मैं लैंड की परिधि में इस वक्त नहीं जाऊंगा, क्योंकि वह विषय इस समय सामने नहीं है और सम्भवतः मैं ऐसा समझता हूं कि कृषि विभाग का हमारी कृषि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की योजनाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है। अब भी मेरा यही विचार है कि कृषि विभाग का किसी स्टेज पर कृषि की योजनाओं से कोई सम्बन्ध नहीं, सिवाय इसके कि सूचना विभाग उनकी पुस्तकें छाप दे और भेज दे और इस रूप में कृषि स्नातक वहां से पढ़ कर निकलते हैं तो कृषि उद्योग करने लायक कोई साधन सुविधा सरकार उनको नहीं देती। आज दूसरे उद्योग याने चर्म उद्योग में भेजे तो सरकार उसको वजीफा देगी तथा उसको हजार पांच सौ रुपया सब-सिडी देगी, मुफ्त में औजार देगी। मुर्गी पालन में भेजे तो भी काफी सामान देगी और तमाम सहायता करेगी, लेकिन अगर एक कृषक इतना रुपया खर्च करने के बाद वहां से बी० एस० सी० का स्नातक होकर निकले तो उसे दस एकड़ जमीन नहीं मिलेगी।

श्री अधिष्ठाता—

यह भी सुझाव दे देते कि हर कृषि स्नातक को जमीन कहां अलाट करते चलें ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैं इसलिये यह सुझाव नहीं देना चाहता हूं क्योंकि सरकार कोई कृषि के स्नातकों का डिग्री देने का कारखाना तो नहीं है। सरकार समझती है कि इन लड़कों की न तो कृषि उद्योगों में सीधी उपयोगिता है और न सरकार के विभाग को आवश्यकता है। अभी पांच सौ विद्यार्थी के लगभग केवल कम्पोस्ट इन्स्पेक्टर निकाले हैं। चार पांच सौ का रिट्रेन्चमेंन्ट अभी हुआ है। इसकी भी जरूरत नहीं और उसकी भी नहीं तो कृषि विभागों पर खर्चा ही सरकार क्यों कर रही है ? फिर इनको रखने और पढ़ाने से क्या फायदा ? मैं यह कहता हूं कि जब और ग्रेजुएट्स आपसे बड़ी बड़ी मांग रखते हैं और आप उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षा रखते हैं तो आप इनको ही क्यों भूमि पर नहीं पहुंचा सकते हैं ? अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके लिये बड़ी समस्या पैदा हो जायेगी। जिस प्रकार हाउस सर्जन का सवाल है उसी प्रकार एम० एस सी० (एग्रीकल्चर) की डिग्री तब कन्फर की जाय जब वह अपनी रोजी स्वयं उत्पादन कर सके। अन्यथा जो आज यह दूरी दिखाई देती है कृषि विभाग में, या जो विकास के लिये जिम्मेदार हैं तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप ३५ करोड़ क्या पचास करोड़ भी व्यय कर दें तो भी वह किसी काम का नहीं होगा। मैं यह समझता हूं कि आज के कृषि विश्वविद्यालय हमारी आवश्यकताओं को कदाचित् पूरा नहीं कर सकते। किसी विद्यार्थी के पास जमीन नहीं है, जमीन सरकार की है और डिग्री उसको बी० एस-सी० की देते हैं। इस विश्वविद्यालय को सरकार ने बहुत बड़े साधन ट्रान्सफर किये हैं पर अब भी इस प्रकार वहां पढ़ाया जाय तो वहां की भूमि कम पड़ जाय या शिक्षा की आवश्यकता कम पड़ जायेगी। ऐसी स्थिति में यह जो विभिन्न प्रकार की हमारी शिक्षा की लाईन होती चली जा रही है, एक जो पुराने कृषि विद्यालय है और दूसरे जो नई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खुली है, उसके सम्बन्ध में मेरी गेंदासिंह जी से प्रार्थना है कि या तो उनको इससे सम्बद्ध करदें इससे उनको सम्बद्ध कर दें। यह दो प्रकार की शिक्षा का जो पैटर्न है इससे बहुत सी बातों को जन्म मिलता है। अगर आधे शिक्षक यहां हो गये हैं और आधे वहां हो गये तो उनको सामंजस्य रखने में बड़ी कठिनता होगी। आप कह दें कि इसी प्रदेश के सारे कृषि विश्वविद्यालय एक पैटर्न की शिक्षा प्रदान करेंगे और फिर दो पैटर्न की शिक्षा देना, और दोनों मेरी दृष्टि से ऐसे हैं जिनके बाद सरकार उनको कृषि उद्योग के कार्य में लगा सके सम्भव नहीं मालूम पड़ता। कृषि विभाग के अफसर की सामान्य रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के कानूनगो के बराबर भी वकत नहीं है। फिर आप यह चाहें कि वह यहां की कृषि को दुगुना पनपा दे, तो यह वह नहीं कर सकता है। आप शिक्षा को कम खर्चीली करें, तब उनका स्टैन्डर्ड बड़ा उन्नत हो सकता है। लेकिन आज तो यह अवस्था है कि जैसे तेल और पानी दोनों बिलकुल अलग-अलग दिखाई पड़ते हैं। इसलिये उन दोनों को एक पैटर्न पर विशेष रूप से लाने की आवश्यकता है। अगर यह नहीं किया गया तो चाहे उस विश्वविद्यालय का सरकार स्वयं इन्तजाम करे या कोई और करे, इससे लाभ नहीं हो सकता।

आज तक जितने वाइस-चांसलर उस विश्वविद्यालय के हुये हैं उनमें कोई भी कृषि का आचार्य नहीं है। मुझे मजाक में एक बात याद आ गई। एक बड़े, प्रोफेसर शिक्षा का कोर्स

[श्री टम्बेश्वरप्रसाद]

तय करने के लिये आये। उनको प्रेक्टीकल कृषि में अर्थ-शास्त्र की महत्ता समझाते समझाते सब लोग परेशान हो गये मगर उनकी समक्ष में नहीं आया। तब उन्हें बताया गया कि ऐसा अमरीका में भी होता है तो वह रखने के लिये फौरन राजी हो गये। तो यदि इस पेटर्न पर वह विश्वविद्यालय चलाना है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। यदि आप यह चाहते हैं कि कृषि के उत्पादन में वे कुछ योगदान दे सकें तो प्रदेश भर में कृषि की शिक्षा का पैटर्न एक होना चाहिये। आज तक कृषि के स्नातकों को सरकार में नौकरी मिल जाया करती थी और कदाचित् इसीलिये कृषि विभाग को बढ़ते हुये स्नातकों की चिन्ता नहीं हुई। लेकिन अब गेंदासिंह जी के लिये चिन्ता का विषय है क्योंकि कृषि विभाग में सैचुयेशन लिमिट हो चुकी है। यह विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं चूंकि उन्होंने बाबूगीरी का आनन्द नहीं देखा है। पूरी यूनिवर्सिटी सरकार की है और सरकार की ही बात वहां चलती है। कंट्रोल करने वाला अफसर यदि बदलता भी है तो उससे कोई अन्तर उसकी व्यवस्था में नहीं आने वाला है।

मैंने उस दिन प्रश्न किया था। आज तक हमारे सब स्नातक कृषि विभाग का काम करते रहे हैं। एक संस्था पुराने कृषि मंत्री बना गये हैं, इस प्रदेश में, कृषक समाज। मैंने सुना है कि किसी सरकारी आदेश से सरकारी कर्मचारियों को उसका सदस्य बनने से मना किया गया है। यह बात अलग है कि कितना काम हो, और आज तक कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन प्रभावी रूप से कृषक समाज ऐसा स्थान है जहां विभिन्न प्रकार के कृषक, अच्छा अन्न उत्पन्न करने वाले, एक जगह बैठ कर कृषि की समस्याओं पर विचार कर सकते हैं। वह खतरे का स्थान नहीं है। अगर कोई खतरा हो भी तो वह उन्हीं के महानुभाव से हो सकता है, किसी काश्तकार से नहीं हो सकता, चूंकि वह वहां किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं आता है। आपने इसमें भी उसके एक आदमी को कृषि विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट में रखा है। मैं चाहता हूं कि कृषि सेवा को भी इतना व्यापक बना दिया जाय जैसे रैवेन्यू विभाग में लेखपाल के स्तर के आदमी की रैकार्ड रखना होता है कि फलां खेत में सिंचाई हुई है या नहीं। इसी प्रकार प्रत्येक काश्तकार को उसके खेत पर ही बतलाने वाला कृषि का एक ऐसा स्नातक हो या ऐसा आदमी हो और जिससे स्टेट पर कोई बर्डन पड़ने वाला नहीं है, यह आपकी एक एक पाई को वसूल कर जायगा। बी० एन० डब्ल्यू० तक अगर कृषि के स्नातक हो और उन पर निश्चित रूप से वह भार हो और उनका कार्य देखने वाले भी कृषि के विशेषज्ञ हों तो वह अधिक प्रभावी और लाभदायक रूप से काम कर सकेंगे। दरअसिल हमारी कमजोरी यह है कि काम करनेवाले दूसरी तरह के लोग और उन पर एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले दूसरी तरह के ही लोग होते हैं जो उनके काम के बारे में कोई योग्यता नहीं रखते। जब कंट्रोल दूसरे तरह के आदमियों का होता है तो उनकी वहां कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है।

वस्तुतः एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं। चूंकि आपके कृषि के टार्गेट्स रेवेन्यू विभाग से फिक्स होकर आते हैं तो उन्हें कोई ज्ञान नहीं रहता है कि यह ४ साल बाद ठीक उतरेगा या नहीं। या तो जिला स्तर पर या किसी भी स्तर पर कृषि के टार्गेट्स को फिक्स करने की जिम्मेदारी कृषि विभाग की सीधी हो या उनको पूरा करने की भी हो। बनाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर न होकर रेवेन्यू विभाग पर होने से टार्गेट्स अधूरे रह जाते हैं।

एक प्रश्न माननीय कल्पनाथ जी ने किया था। मैं फिर कहता हूं कि मैंने खुद उनसे सदन के बाहर और ४ दिन तक टेलीफोन पर भी निवेदन किया कि आपके ये फीगर्स कहां से आये हैं। मेरा निवेदन है कि कृषि के प्लानिंग के अधिकारी मुझे बतलावें कि ये फीगर्स कहां से आये हैं। मैं गेंदा सिंह जी से फिर पूछता हूं कि ये फीगर्स कहां से आये हैं जिनके आधार पर आपका कहना है कि इतनी जमीन जुत जायगी और इतनी में डबल क्रापिन्ग हो जायगी। सब फीगर्स एस्यूम कर लिये जाते हैं। माननीय कल्पनाथ जी ने प्रश्न किया। मैं उनके जवाब को देखने के लिये बड़ा उत्सुक था। गवर्नर महोदय के अभिभाषण में जिक्र है कि एक वर्ष की एग्रीकल्चर योजना बन चुकी है और उस पर इतना खर्च चाहिये। मैं गया

तो प्रश्न का उत्तर देखा कि कृषि की योजना अभी सरकार के विचाराधीन ही है। यह उसमें उत्तर है ।

श्री गेंदासिंह—

बजट में आपके सामने आ जायगा ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

योजना और बजट से कोई संबंध नहीं है। गवर्नर महोदय ने सब खर्चा बतला दिया है और आगे जो टैक्स लगेंगे वे फिर घोषित होंगे। यह उन्होंने कहा है ।

आप कृपया इस कृषि विश्वविद्यालय को प्रभावी बनाइये। और इस कृषि विश्वविद्यालय से कृषि की आवश्यताओं को पूरा करने का कामलीजिये। इसके लिये अगर काश्तकारों के लड़कों को पूरी सब्सीडी भी देनी पड़े तो दीजिये। उन लोगों को शिक्षा दीजिये जिनके पास भूमि हो जो आपको सहयोग दे सकें। इसके साथ ही साथ दूसरों के लिये कहीं से भूमि प्राप्त करने का प्रबन्ध कीजिये। जमीन एक्वायर कीजिये रिक्लेम कीजिये अथवा और किसी प्रकार से जमीन का प्रबंध आप कर सकते हों कीजिये। अगर आप ऐसा कर सके तो आपको ऐसा भूखंड मिल जायगा जहां विकसित लोगों द्वारा विकास का कार्य हुआ होगा अन्यथा आपका समय और रुपया बिलकुल बेकार चला जायगा। हां इससे कुल लोग अमेरिका अवश्य घूम आयेंगे।

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)—

अधिष्ठाता महोदय,.....

श्री अधिष्ठाता—

मैं वक्ता महोदय से एक आग्रह अवश्य करूंगा कि इस विधेयक के लिये दो घंटे का समय निर्धारित है, उसका वह ध्यान रखने की कृपा करें।

श्री शिवराजसिंह—

जब आप कहेंगे, मैं समाप्त कर दूंगा। अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत संशोधन विधेयक बजाहिर बहुत संक्षिप्त, मुख्तसिर और मासूम दिखाई पड़ता है, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। कारण इसका यह है कि इसका संबंध प्रदेश के एक मात्र ऐसे विश्वविद्यालय से है जिसकी ख्याति इस प्रदेश और देश में ही नहीं बल्कि दुनियां के दूसरे देशों में भी है। मैं कृषि मंत्री जी से सहमत हूं कि इस विश्वविद्यालय का कार्य बहुत ही असंतोषजनक है और जिन उद्देश्यों के लिये उसकी स्थापना की गयी थी उन उद्देश्यों की प्राप्ति को अलग रही, उस ओर इसने बढ़ना भी शुरू नहीं किया है। मुझे खेद है कि जो संशोधन विरोधी दल की ओर से पेश हुआ हैउससे मैं इसलिये सहमत हूंकि इस प्रश्न पर अधिक विचार होना चाहिये और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये जो भी कदम इस सदन के विधायन कार्य के द्वारा उठाने चाहिये वह एक साथ अविलम्ब उठाने चाहिये।

इस बिल को दो एक बातें कह कर ही खत्म कर दिया गया है। मुझे भारी शंका है कि इस संशोधन के बाद भी उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकेगी जिनकी प्राप्ति माननीय मंत्रीजी करना चाहते हैं। माननीय मंत्रीजी ने जो तकरीर फरमाई उसको मैंने बड़े गौर से सुना। मुझे वे क्षमा करेंगे, उसको सुन कर मुझे थोड़ी निराशा हुई। वह इसलिये कि उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय में बहुत ही कमियां हैं, त्रुटियां हैं लेकिन उनकी उनके दिमाग में क्या तसवीर थी, इससे सदन को अवगत नहीं कराया। हम सब जानते हैं कियह विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के लैंड ग्रान्ट्स कालेज के आधार पर आधारित है। उसके तीन मुख्य उद्देश्य रखे गये थे—कृषि शिक्षा, कृषि ज्ञान प्रसार और कृषि की खोज। मुझे इसी वर्ष इस विधान सभा की प्राक्कलन समिति की एक उप समिति के संयोजक के नाते इस विश्वविद्यालय

[श्री शिवराज सिंह]

को पास से देखने का अवसर मिला और इन तीनों उद्देश्यों की पूर्ति के संबंध में जो कार्य वहां हुए हैं उनको देखकर मुझे बड़ी निराशा हुई और वहां से लौट कर अपनी उस निराशा को मैंने माननीय कृषि मंत्री से भी व्यक्त किया। जहां तक कृषि प्रसार की बात है मैं इससे अच्छा और कोई उदाहरण नहीं दे सकता इसकी नाकामयाबी के बारे में कि इस यूनिवर्सिटी से सटा हुआ रुहेलखंड डिवीजन का एक कृषि विभाग के अनुसंधान केन्द्र है उस पर कोई इम्पैक्ट किसी प्रकार का भी इस विश्वविद्यालय का नहीं है। जहांतक उस अनुसंधान केन्द्र की समस्याओं का संबंध है और उनके निराकरण का कार्य है वह भी इस विश्वविद्यालय से न होकर नैनीताल से या डायरेक्टरेट के हेडक्वार्टर्स, बरेली से होता है। इस श्विविद्यालय में पशुपालन, कृषि, कुक्कुट पालन आदि के कार्य को देखने हम जिस आशा से वहां गये थे वह हम ने वहां यहां के चक गजरिया से किसी हालत में अच्छा नहीं पाया। कोई चीज भी चाहे कृषि हो, पशुपालन हो, कुक्कुट पालन हो किसी दृष्टि से भी ऊंचे दर्जे की नहीं पायी। पशुपालन का कार्य मथुरा आदि के जो कृषि कालेज के फार्म हैं या जो वहां के मवेशियों के बारे में जो हमारा खयाल था कि वहां के मवेशियों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा या हार्टिकल्चर का कार्य सहारनपुर या बस्ती अनुसंधान केन्द्रों के मुकाबले में अच्छा होगा तो उसमें भी हम निराश ही हुई। इसी तरह से खोज के कार्य में भी जो सूबे के विभिन्न अंचलों में जो अनुसंधान का कार्य विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों में हो रहा है हम समझते थे कि उस से कुछ ऊंचे दर्जे का कामवहां होता होगा, लेकिन उसमें भी हमें निराशा ही हुई। हमे आशा थी कि सारे विश्व में या इस देश में या इस प्रदेश में ही जो कृषि खोज अब तक हो चुकी है वह सब वहां भी प्रतिपादित होगी बल्कि जो दूसरे देशों में भी हो चुकी है उस सब ज्ञान को इकट्ठा करके उसका प्रयोग इस कृषिफार्म पर होता होगा और वहां के विद्यार्थी लाभान्वित होंगे, इतना ही नहीं हम समझते थे कि उस ज्ञान से आसपास के कृषक भी लाभान्वित होते होंगे और रोशनी पाते होंगे। लेकिन जब यह सब न पाकर हमने इस विश्वविद्यालय के कृषि कार्य को देखा तो बड़ी निराशा हुई। मैं तो यहांतक कह सकता हूं कि इस विश्वविद्यालय के कृषि फार्म को देखने के बाद में इस नतीजे पर पहुंचा कि अपने जिले के अच्छे कृषकों की खेती से भी वह खराब थी और चक गंजरिया के फार्म की थी मैंने वहां से ऊंचे स्तर का पाया और हार्टिकचर में सहारनपुर और बस्ती के फार्म्स को वहां से बेहतर आ पाया। इस तरह से जो कृषि का कार्य वहां हो रहा है वहकाम आज बहुत असन्तोषजनक स्तर पर है और इस ओर में मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा।

हमें बड़ी आशा थी कि कृषि खोज की दौड़ में यह विश्वविद्यालय हमारा पथप्रदर्शन करेगा लेकिन आप को यह जानकार ताज्जुब होगा और दुख होगा कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुये ७ साल हो गये, लेकिन कृषि खोज का काम केवल १ वर्ष से ही आरम्भ हुआ है इस तरह से स्थापना के बाद साल यों ही खो दिये गये। कई आई० सी० ए० आर० की खोज योजना हैं, कई फोर्ड फाउन्डेशन की हैं। बहुत सी योजनायें हैं, लेकिन वहां जिस स्तर से खोज हो रही है वह कोई सन्तोषजनक नहीं है। जो कृषि खोज का कार्य वहां चल भी रहा है उसका कोई कोआर्डिनेशन या संबंध, प्रदेश के कृषि विभाग से नहीं है। यहां तक कि एक दूसरे के खोज के नतीजे भी एक दूसरे के पास नहीं आते हैं। मुझे संयुक्त राज्य अमरीका जाने का अवसर गतवर्ष मिला वहां मुझे मालूम हुआ कि वहां भी कृषि विश्वविद्यालय अनुसंधान का कार्य करते हैं और उन का संबंध सीधे कृषि विभाग से रहता है, उन की खोजों का सारा कार्य और सारा प्रोग्राम कृषि विभाग के प्रोग्राम का एक इनटेगरल पार्ट है; जितनी भी खोज होती हैं उन के लीफलेट्स छपते हैं और वे कृषि विभाग तथा कृषि विश्वविद्यालयों दोनों की ओर से ही छपते हैं और उन से दोनों की ही ख्याति और गुडविल कृषकों से बढ़ती है। अतः मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर उन को अपने विधेयक में ऐसे संशोधन लाने चाहिये जिस से इन चीजों की पूर्ति हो सके।

इस विश्वविद्यालय की स्थापना का विशेष आधार लैंड ग्रान्ट्स कालेज था। श्रीमन्, सब को यह विश्वास था कि यह विश्वविद्यालय एक कुन्जी होगी और जितनी भी किसानों की

समस्यायें होंगी, उनका यह विश्वविद्यालय समाधान करेगा । पर मान्यवर, इस बारे में, ऐसा प्रतीत होता है, कि कोई भी प्रयास नहीं किया गया है और कृषकों की जो दिक्कतें थीं न तो उनको यह इकट्ठी कर सकी और न ही उनको दूर करने में सफल हो सकी ।

जहां तक इस विश्वविद्यालय में बोर्ड के गठन का प्रश्न है, उसमें प्रान्त के स्टेट फार्मर्स फोरम के प्रतिनिधि का स्थान था । मान्यवर यही एक संस्था है जो वास्तव में कृषि और कृषकों के हितों के संबंध में अध्ययन करती है और जिसकाराजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है । अन्य प्रगतिशील देशों में जहां पर केवल ७ या ८ प्रतिशत कृषक हैं, वहां पर बड़ी बड़ी कृषकों की ३,३-४,४ संस्थाएं हैं, उनका काफी प्रभाव विधायन कार्य पर पड़ता है और कृषकों के प्रतिनिधि उनके हितों की रक्षा करते हैं । भारत के अन्दर आदर्णीय पंजाब राव देशमुख ने प्रयास करके यहां पर स्टेट फार्मर्स फोरम की स्थापना की । आज इसकी शाखायें विभिन्न प्रदेशों में जड़ पकड़ गयी हैं । सन् १९५८ में सरकार नेभी माना कि यह एक ऐसा अंग है कि जो कृषि विभाग का सच्चा दोस्त है । अतः उसके संबंधमें गवर्नर महोदया ने एक आदेश इस आशय का निकाला और प्रसारित किया कि चूंकि इस संस्था और कृषि विभाग का उद्देश्य कृषकों की सेवा करना, अन्न का अधिक उत्पादन करना है अतः कृषि विभाग के कर्मचारी इस्टेट फार्मर्स फोरम को पूरा पूरा योगदान दें परन्तु मुझे बड़ा दुःख हुआ कि उस आदेश के होते हुए, और आज जबकि अन्न का अभाव है और यह संस्था बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है उस समय कृषि अनुसचिव द्वारा आदेश दिया जाता कि कृषि विभाग के कर्मचारी इस संस्था से अपने संबंध विच्छेद कर लें । मान्यवर, इसमें राजनीति की झलक हमारे इस संशोधन विधेयक में दिखायी पड़ती है । मूल अधिनियम में विश्वविद्यालय के बोर्ड में स्टेट फार्मर्स फोरम का भी एक प्रतिनिधि होता था परन्तु अब वह समाप्त करने का प्रस्ताव है । आज आवश्यकता इस बात की है कि इसमें कृषकों के, जो राजनीतिज्ञ नहीं हैं, उनके प्रतिनिधियों की संख्या कम नहीं होनी चाहिये । क्योंकि उनका दिमाग हमारे कृषि और कृषक के ही हित में ही सोचता है । अतः इस संस्था का नुमायंदा का भी होना बहुत ही आवश्यक है । अतः मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जिन कारणों से उन्होंने उनके नुमाईदे को समाप्त किया है, उन पर विचार करें और विश्वविद्यालय और कृषकों के हित में और अन्न के उत्पादन में इस बात को स्वीकार कर लें कि बोर्ड के अन्दर उनका एक नुमाइंदा अवश्य रहे ।

मान्यवर, हमारे माननीय कृषि मंत्री तो कृषकों के नेता रहे हैं न कि उद्योगपतियों के । पर यहां पर उन्होंने फार्मर्स फोरम के प्रतिनिधि को तो खत्म कर दिया लेकिन उसमें एक विशिष्ट उद्योगपित या निर्माता को रख दिया है । मैं नहीं समझ पाया कि उसमें एक इन्डस्ट्रियलिस्ट को रखने की क्या आवश्यकता थी । एक तरफ तो किसानों की नुमाइंदगी को समाप्त कर दिया और दूसरी तरफ उद्योगपति को रखने की चेष्टा की है । मूल अधिनियम में जितने लोग विभिन्न संस्थाओं के पहले बोर्ड में आते थे । वे उन संस्थाओं से चुने जाने के बाद आते थे अब आपने अधिकांश मेम्बरों को मनोनीत करने का भी सरकार को अधिकार दे दिया है । जहां हम लोकतंत्र की बात करते हैं वहां अगर हमने इस संशोधन विधेयक के माध्यम से बोर्ड के अन्दर सरकार द्वारा नामिनेशन की बात रायज कर दी तो मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी के इतिहास में यह हमारे पीछे हटने की एक बात होगी । पहले केवल दो सदस्यों को सरकार नामिनेट करती थी लेकिन अब बोर्ड के अन्दर ५ सदस्यों को सरकार नामिनेट करेगी । उसमें फार्मर्स फोरम का नुमाइन्दा कोई नहीं होगा । उसमें एक बड़ा उद्योगपति होगा । यह सोचने की बात है कि वह कोई इंडस्ट्रियल विश्वविद्यालय नहीं है, कृषि विश्वविद्यालय है, फिर भी उसके बोर्ड में एक इंडस्ट्रियलिस्ट का नामिनेशन होगा । मैं समझता हूं कि यह बहुत गलत बात होगी और इस तरह से मुझे आशंका है कि हम अपने लक्ष्य से काफी पीछे हट जायेंगे ।

अब एक दूसरा ट्रेंड मुझे सरकार का यह दिख पड़ता है कि इस बोर्ड के अन्दर आई० ए० एस० वालों का कब्जा हो जाय । उसमें पहले सरकार का कोई सेक्रेटरी नहीं होता था लेकिन मैं देख रहा हूं कि अब डिपार्टमेंटल हेड्स के अलावा सचिव भी रहेंगे और वह भी तीन तीन सचिव होंगे इसी प्रकार से कृषि मंत्री जी ने फिशरीज का डाइरेक्टर भी एक आई० ए० एस० को ही बनाया है

[शिवराज सिंह—]

जिसको कोई ज्ञान नहीं कि मछली क्या खाती है, कैसे पलती है । आई० ए० एस० जब डिपार्टमेंट के डाइरेक्टर हो तब उसमें क्या अच्छा काम हो सकता है । जिस काम का सम्बन्ध टेक्निकलिटी से हो,वह काम किसी आई० ए० एस० को देने के बजाय किसी टेक्निकल आदमी को ही देना चाहिये जो कृषि सम्बन्धी मेटिरियल और कृषि विज्ञान आदि पर महारत तो रख सके । कृषि के कामों में तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन के आदमियों को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिये । मैं इसका विरोध करता हूं कि बोर्ड के अन्दर सब आई० ए० एस० ही भर दिये जायं । अगर आपको सचिव रखना भी है तो बजाय तीन के एक को रखें । वरना भविष्य में आपको निराशा ही होगी ।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे फार्मर्स फोरम के एक नुमाइन्दा को कृषि विश्वविद्यालय बोर्ड के अन्दर अवश्य रखें, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को उसके अन्दर न रखें और तीन के बजाय एक सचिव को रखें ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत विधेयक को प्रवर समिति में भेजने क प्रस्ताव का मैं समर्थन करना चाहता हूं । मान्यवर, मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि जैसे एक फटे वस्त्र में केवल एक पेबन्द लगाने से काम नहीं चलता, वैसे ही इस कृषि विश्वविद्यालय सम्बन्धी अधिनियम में केवल एक मामूली तरमीम कर देने से काम चलने वाला नहीं है । जैसा कि माननीय शिवराजसिंह जी ने कहा कि जिन उद्देश्यों को लेकर इस कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी थी उन उद्देश्यों की पूर्ति शतांश में भी इस कृषि विश्व विद्यालय से नहीं हो पायी है । मैं भी ऐसा अनुभव करता हूं कि कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम में व्यापक तरमीम की आवश्यकता है । इसलिये उचित होगा कि प्रस्तुत विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिससे इसमें व्यापक परिवर्तन की गुंजायश हो सके । मुझे भी पंत नगर के इस कृषि विश्वविद्यालय को देखने का सुअवसर मिला है । मुझे तो मुझे बड़ी निराशा हुई । उनकी कोई ऐसी उल्लेखनीय उपलब्धियां नहीं थी जिन्हें हम इस प्रदेश के लिये हितकर समझते हों । जिस प्रकार हमारे सरकारी फार्म्स अन्य जगहों पर चल रहे हैं उसी प्रकार का फार्म वहां भी चलता है । वहां की शिक्षा का स्तर भी कोई अच्छे किस्म का नहीं है, बल्कि मैंने खेद के साथ देखा कि वहां उस कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों पर कृषि का कोई असर नहीं है । मैं तो समझा कि मैं शायद किसी अमेरिकन शौकीन विश्वविद्यालय में आ पहुंचा हूं । वहां के विद्यार्थियों की वेशभूषा, रहन सहन और प्रोफेसरों तथा विद्यार्थियों के आपसी बरताव एक विशेष नजारा प्रस्तुत करते हैं । जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई उसके विपरीत वातावरण वहां बन रहा है ।

जहां तक प्रशासनिक ढांचे का संबंध है उसमें सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होना चाहिये । मैं भी इसे काबिले एतराज समझता हूं कि आये बिन ऐसी शिक्षण संस्थाओं में आई०ए० एस० अफसरों का बोलबाला हो । मैंने देखा कि तीन तीन सेक्रेटरी बोर्ड के पदेन सदस्य होंगे । उनकी वहां क्या देन होगी ? यह एक बड़ी बीमारी हमारे प्रशासन में घर कर गयी है कि कोई भी विभाग हो आई० ए० एस० आफिसर उसका मालिक बना दिया जाता है चाहे वह उसका क, ख, ग, घ, न जानता हो । मैं तो समझता हूं कि कोई अर्थ का विशेषज्ञ, कोई शिक्षा विशेषज्ञ अथवा कोई कृषि का विशेषज्ञ उस विश्वविद्यालय में पदेन सदस्य हो । कृषि डायरेक्टर उसमें रखा गया है वह ठीक है । किसी दूसरे कृषि विश्वविद्यालय के कोषाध्यक्ष को या विभागाध्यक्षों को पदेन सदस्य बनाते तो उससे बोर्ड को अधिक लाभ प्राप्त होता और सहायता मिलती । मैं नहीं समझता कि आई०ए०एस० आफिसर जो गरमी के दिनों में खस की टट्टियों में बैठते हैं वे पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय में क्या करेंगे ? वे वहां के गेस्ट हाउस में जाकर वहां के वातावरण को दूषित करेंगे । वहां के गेस्ट हाउस में इस सरकार के बड़े-बड़े अधिकारियों ने ऐसे शर्मनाक कृत्य किये हैं जिससे वहां की भूमि अपवित्र हो गयी है ।

मैं चाहता हूं कि आई०ए० एस० आफिसरों की छाया से इस विश्वविद्यालय को अलग रखा जाय, यदि ईमानदारी से सरकार को कृषि शिक्षा के स्तर को ऊंचा रखना है ।

जैसा शिवराज सिंह जी ने कहा कि यह सत्य है कि कृषि के संबंध में वहां कोई खोज नहीं हुई है । कुछ ए०आई०आर० की योजनायें हैं जिनका वहां ट्रायल होगा । न वहां कोई अन्वेषण किया गया और न वहां किसी की कोई देन है । कुछ बाहरी योजनाओं पर ट्रायल करने से विश्वविद्यालय की महत्ता नहीं बढ़ती है । जो बोर्ड वहां का रहा है उसे अध्यादेश द्वारा रद्द किया गया है यह खुशी की बात है क्योंकि वह एक राजनीतिक अड्डा बना हुआ था । आपकी पार्टी के एक नेता हैं जो वहां से हटाये गये हैं ।

(व्यवधान)

मैं निवेदन कर रहा था कि ऐसे राजनीतिक लोगों को बोर्ड का सदस्य बना देंगे तो वे यूनीवर्सिटी के वातावरण को अच्छा बनायेंगे या ऐसे बोर्ड से आप उम्मीद करें कि वह शिक्षा के स्तर को ऊंचा करेगा तो यह असंभव है । मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां आपने इस बोर्ड को भंग किया वहीं मनोनीति सदस्यों की संख्या बढ़ाना उचित नहीं है । मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बोर्ड में दो माननीय सदस्य इस सदन के और एक विधान परिषद् के रखवाए हैं । उनकी संख्या दुगनी होनी चाहिये । चार सदस्य इस सदन के और दो सदस्य विधान परिषद के होने चाहिये । इसके अलावा आपने जो तीन पदेन सदस्य सेक्रेटरी, एजूकेशन, फाइनेंस और एग्रीकल्चर को रखा है उनकी जगह पर विश्वविद्यालयों से तीन आदमियों को ले लें । यदि सरकार ऐसा करेगी तो मैं समझूंगा कि सरकार ईमानदारी से शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाना चाहती है ।

श्री अधिष्ठाता—

इसमें प्रगतिशील किसान दिया है, वह आप देख लेंगे । शिवराज सिंह जी को दिखाई नहीं दिया है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, मुझे आपकी व्यवस्था पर आपत्ति है कि माननीय शिवराजसिंह को दिखाई नहीं दिया है ।

श्री अधिष्ठाता—

मेरा मतलब था कि माननीय शिवराज सिंह के पढ़ने में वह रह गया ।

(इस समय २ बजकर ४१ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुये ।)

श्री मैनेजरसिंह—

इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि जो मंत्री यहां पहुंचता है या दिल्ली में आता है वह अपनी नई धारा चलाना चाहता है । फार्मर्स फोरम को सरकारी कर्मचारियों ने संगठित किया और ए०डी०ओ०, बी०डी० ओ० आदि से कहा गया कि वे सदस्यों की संख्या बढ़ायें और विकास कार्यक्रम से टारजेट फिक्स किये गये । अब एक टनेज क्लब चला है । उसके मुख्य मंत्री पांडिया जी आये थे, मैंने उनसे कहा कि यह कौन सी बला है । उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि अब तक हम मनों में बात करते थे, लेकिन अब टनों में बात करेंगे । मैंने उनसे कहा कि यदि आप बातों से ही संतुष्ट हैं तो आपके उद्देश्य की पूर्ति हो गई । आखिर यह बताइये कि इसके पैदा करने के लिये आपके पास क्या कार्यक्रम है ? उन्होंने कहा कि वह तो सरकारी विभागों के माध्यम से चल रहा है । मैंने कहा कि जब सरकारी विभागों के जरिये हम पैदावार बढ़ा रहे हैं तो फिर टनेज क्लब की क्या आवश्यकता है ? तो एक टनेज क्लब चल गया । उसका भी उद्घाटन सुब्रमण्यम साहब ने किया । मैं कहता हूं कि यह हमारे लिये

[श्री मैनेजर सिंह]

बड़े दुख की बात है कि प्रदेश और देश के अन्दर कृषकों का अपना कोई संघटन नहीं है। इस देश और प्रदेश के किसानों का जब तक अपना कोई स्वतंत्र संगठन नहीं होगा तब तक उनका कोई हित नहीं होगा। एक खड़ा है कृषक समाज और एक दूसरा खड़ा हो रहा है विभाग के माध्यम से टनेज क्लब। उसका यह परिणाम है कि थोड़े से कृषक समाज के प्रतिनिधि और घट गये। इसलिये मैं चाहता हूं कि ऐसी संस्थाएं जो विभागीय अधिकारियों के द्वारा पुष्पित और पल्लवित होती है उनका कोई भी प्रतिनिधि न हो तो अच्छा हो। मैं चाहता हूं कि श्री शिवराजसिंह जैसे प्रगतिशील किसान, जो राजनीति में भी रुचि रखते हैं और जो डिप्टी मिनिस्टर भी रह चुके हैं के प्रतिनितित्व में, की अगुवाई में किसानों के गैर राजनीतिक संगठन इस प्रदेश में कार्य करें और वह संगठन से भी किसानों के हित के लिये लड़ सकें, अच्छे बीज के लिये लड़ सकें और ऐसे सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा बनायें, जो किसानों के खिलाफ चलते हैं और उनका अहित करना चाहते हैं। जैसा कि आज प्रश्नों के समय एक प्रश्न के दरम्यान कहा गया कि किसानों को उन्नतिशील यंत्र दिये नहीं गये विभाग द्वारा, किन्तु उनके नाम पर लिख दिया गया कि इन-इन को यंत्र दिये गये और उनके नाम से रुपया लिख दिया गया और वह रुपया उनसे वसूला जा रहा है। कृषक समाज और टनेज क्लब जैसी संस्थाओं से, जिनकी बेलें दूसरों पर पल रही हैं, कृषकों का हित नहीं होगा।

तो आपकी तरफ से मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो राजकीय कृषि महाविद्यालय कानपुर है या पंतनगर है, उसमें इस प्रकार की व्यवस्था है कि जो कृषक परिवार के लड़के आयेंगे उनको वरीयता दी जायेगी भरती में। लेकिन मैं कहना चाहता हूं इस व्यवस्था का बिलकुल ही दुरुपयोग हो रहा है। कानपुर के कृषि महाविद्यालय में इस प्रकार कोई भी सुविधा कृषकों के लड़कों को नहीं दी जा रही है, बल्कि जो अफसर हैं, या जो कालेज के प्रोफेसर और लेक्चरार हैं उनके ही सगे संबंधी फरजी सार्टीफिकेट लेकर उस सुविधा का लाभ उठाकर भरती हो रहे हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि बिल में इस बात का भी प्राविधान होना चाहिये कि कृषि विद्यालय, पंतनगर में केवल कृषकों के ही बच्चे लिये जायेंगे। पूंजीपतियों और व्यापारियों के बच्चे जो डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर और जिला कृषि अधिकारी बनने की दृष्टि से उसमें भरती के लिये आते हैं, उनको उसमें भरती नहीं दी जाये। यहां की यूनिवर्सिटीज और मेडिकल कालेजेज जैसी सभी संस्थायें पूंजीपतियों और बड़े अफसरों के लड़कों से भरी पड़ी हैं। यह मिट्टी काटने का जो व्यवसाय है, उसमें मिट्टी काटने वाले घरानों के गरीब कृषकों के बच्चे ही लिये जाने चाहिये।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

आपकी बात कांस्टीट्यूशनल नहीं है, जरा इसे साफ कर दीजिये।

श्री मैनेजरसिंह—

मान्यवर नवल किशोर जी कहते हैं कान्सिट्यूशनल नहीं है, संवैधानिक नहीं है। यानी फिर इस तरह का प्राविधान कैसे लगाये, शायद इनका यह मतलब है। मैं कहता हूं कि आपने इस तरह के प्रतिबन्ध लगाये हैं। जब आप राजनीतिक पीड़ितों के लिये प्रतिबन्ध लगा सकते हैं, जब आप हरिजनों के लिये १८ प्रतिशत के लिये प्रतिबन्ध लगा सकते है तो कृषकों के लड़कों के लिये ८० फीसदी का प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगा सकते ह? उन्होंने क्या गुनाह किया है। उनका क्या दोष है? क्या उनका यही गुनाह है कि उन्होंने अपना कोई मजबूत संगठन नहीं खड़ा किया है और उनके पास शक्ति नहीं है, आपका मुकाबला करने के लिये? किन्तु आप भूलिये मत, आज का किसान पहले के भांति नहीं रहा है, वह अपना हित और अहित अच्छी तरीके से पहचानने लगा है। वह आपको दिखा देगा सन् ६७ में जब आम चुनाव होने वाला है या कुछ बाद में दिखा देगा कि आपने उसका कोई हित नहीं किया है। इसलिये मैं सच्चे मित्र के नाते सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि आप उनका ख्याल करें। यह सरकार कृषकों के वोट पर ही यहां बनी हुई है। बहुत लोग यहां पर किसानों के वोट पर आते

हैं। नवलकिशोर जी भी देहाती क्षेत्र से आते हैं और हमारे माननीय कृषि मंत्री भी किसानों के नेता हैं। मैं भी किसान हूं और किसानों से ही यहां पर आया हूं और किसानों का ही प्रतिनिधित्व करता हूं। किशोरीलाल जी या बालकराम जी को छोड़ दीजिये जो शहरी क्षेत्र से आते हैं।

श्री बालकराम वैश्य (जिला लखनऊ)—

मैं भी देहाती क्षेत्र से आता हूं। और देहाती क्षेत्र में मैं जितना पापुलर हूं उतने आप नहीं होंगे।

श्री मैनेजरसिंह—

मैं तो उतना पापुलर नहीं हूं नहीं तो मैं निर्विरोध ही यहां पर चुनकर आता, लेकिन मैं यह कह रहा था कि आप लोग भी किसानों के प्रतिनिधि हैं। माननीय नवल किशोर जी भी किसानों के प्रतिनिधि हैं। उनकी परिस्थिति को आप जानते हैं, लेकिन आप उनको भूल गये हैं। आज तो नवलकिशोर जी ग्रुप बाजी में अपना सारा समय लगा रहे हैं। उनको भूल गये हैं जिन्होंने आपको यहां पर ५ साल के लिये मुकर्रर किया है।

श्री नवलकिशोर—

मैं चाहता हूं कि मैनेजर सिंह जी भी काग्रेस में आ जायं जिससे यह पार्टीबाजी तो खत्म हो जाय।

श्री मैनेजरसिंह—

मैं नवलकिशोर जी के सुझाव पर विचार करता, लेकिन हमारे एक नेता उधर गये और उन लोगों ने उनकी जो दुर्दशा की उसको देखकर मेरी हिम्मत पस्त हो गई है।

मैं अन्त में यह निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि विश्वविद्यालय में जो ये पदेन सदस्य रखे हैं इनको आप कम करें। कृषकों के प्रतिनिधि उसमें लें। भरती में कृषकों के लड़कों को लिया जाय ताकि कृषि विश्वविद्यालय जिन उद्देश्यों के लिये स्थापित किया गया है उनकी तरफ सरकार का ध्यान जाय।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

मैं प्रस्तुत विधेयक के संबंध में अपने विचार रखना चाहता हूं। इस विधेयक को बहुत ध्यान पूर्वक मैंने पढ़ा। इस विधेयक पर जो विचार इस सदन में रखे गये हैं उनको सुना और उन पर मैंने विचार किया। मैं जानता हूं और मुझे बड़ी तकलीफ होती है माननीय कृषि मंत्री की आकृति को देखकर कि उनके चेहरे पर घोर निराशा छाई हुई दिखाई देती है। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ था और मैंने डबल और ट्रिपिल बधाई भी उनको दी थी, इसलिये कि वे खुद किसान हैं और किसानों का भली प्रकार हित संपादन कर सकते हैं। मैं आशा करता था कि इसमें वे सफल होंगे। आज भी ईमानदारी से मैं ऐसा ही समझता हूं कि वह इस दिशा में अधिक से अधिक प्रयास करेंगे। लेकिन मुल्क की आबोहवा जो कुछ है उसमें इंसान के प्रयास की तारीफ की जा सकती है, लेकिन इस बिल के प्राविजन्स को देखकर दुख होता है। मुझे इस को देखकर इसलिये निराशा नहीं हुई कि मुझे गेंदासिंह जी से निराशा है अथवा इस सरकार का मैं विरोधी हूं। मैं सरकार के सपोर्टर्स को पूरी तरह से जानता हूं। लेकिन खाद्य और कृषि के उत्पादन की दृष्टि से जब हम इस बिल पर दृष्टिपात करते हैं तो निराशा होती है।

मैं नकलबाजी पर विश्वास नहीं करता। मैं कहना चाहता हूं कि जो मुल्क उधार खाते पर जीवित रहता है वह तरक्की नहीं कर सकता। दूसरे की खूबसूरती से अगर हम अपने को चमकाना चाहें तो उससे मुल्क का लाभ होने वाला नहीं है। मुझे तकलीफ इसलिये है कि अपने मुल्क के भविष्य के लिये अपनी संतानों को हम एक प्लानिंग देना चाहते

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

हूं। इस दृष्टि से कि हिन्दुस्तान एक कृषि प्रधान देश है और इसे समृद्धिशील बनाने की दिशा में सरकार की नीति ठीक नहीं है। कानपुर में एक कालेज है कृषि का, उसे छोड़ कर यह दूसरी जगह यूनीवर्सिटी क्यों खड़ी कर दी गयी, क्यों जनता पर एक अलग बोझ डाल दिया गया? इसके अतिरिक्त क्या यह शिक्षा दीक्षा यूनिवर्सिटी में नौकरियों के लिये होगी? ईमानदारी की बात यह है कि उसमें शिक्षा कृषि की बढ़ोत्तरी के लिये होना चाहिये। अगर ऐसा न हो तो इस यूनिवर्सिटी को खत्म कर देना चाहिये। यदि कृषि के उत्थान के लिये यह बनायी गयी है, तो एक्सेप्शन्स को छोड़कर किसी भी ग्रेजुएट को नौकरी नहीं दी जानी चाहिये अन्यथा यह भी दूसरी यूनिवर्सिटीयों की तरह से ही काम करेगी। इसलिये मैं बड़े अदब से इस ओर कृषि मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

इस बिल में जो प्राविधान किया गया है उसके अनुसार इसके बोर्ड में उप कुलपति तथा सचिव, राज्य सरकार, कृषि विभाग होंगे। यह ठीक है। इसके अतिरिक्त सचिव, वित्त विभाग होंगे। वह रुपये पैसों का इन्तजाम करेंगे इसलिये उनका होना जरुरी है, लेकिन सचिव राज्य सरकार, शिक्षा विभाग को इसमें कतई नहीं होना चाहिये। मैं समझ नहीं पाया इस बात को। मैं समझता हूं कि अगर गेंदा सिंह जी की मूछ में दम हो तो इसे पेंसिल से उनको काट देना चाहिये। इसके अलावा कृषि निदेशक रखे गये हैं। मैं सरकारी अधिकारियों का विरोधी नहीं हूं। किन्तु यह ठीक नहीं है। जो मंत्री सच्चाई को स्वीकार न कर सके उसे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिये। मुल्क बड़ा है, मुल्क का हित बड़ा है। ९०० रुपये की नौकरी बड़ी नहीं है। लानत है इस ९०० की नौकरी पर, जिसके लिये मुल्क का हित न हो सकता हो।

श्री उपाध्यक्ष—

रावत जी, आप समय का ध्यान रखिये। ।

श्री मैनेजरसिंह—

यह आपके लिये, गेंदा सिंह जी के लिये कह रहे हैं।

श्री चन्द्रसिंह रावत—

मैं इस्टीमेट कमेटी में रहा हूं और मैंने प्रदेश के सारे फार्म देखे हैं। उनमें से कुछ १९१२ से चल रहे हैं और सरकारी आंकड़े हैं कि उनमें कोई भी कभी सैटिस्फैक्टरीली नहीं चला। सभी लूजिंग कंसर्न रहे हैं। मैंने पहले के कृषि मंत्री से दरख्वास्त की थी कि इनको खत्म कर दिया जाय। वह नाराज हो जाते हैं। उनको नाराज होने की आदत अच्छी नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे पास बुद्धि है। लोगों ने थर्ड डिवीजन में पास किया होगा, रावत का रेकार्ड आप देख लीजिये। आखिर यह आंकड़े आपके हैं, सरकारी हैं। क्या कारण है कि १९१२ से आज तक व लूजिंग कंसर्न रहे? इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जब तक कोई अधिकारी इस बात का सबूत न दे कि वह मुल्क की पैदावार बढ़ा सकता है, उसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में स्थान नहीं देना चाहिये। इस पर मेरी उज्रदारी है, नाराजी है। केवल उन लोगों को रखिये जो काबिल हों।

अब आगे मुझे यह कहना है कि आप ने दो एम० एल० ए० रखे हैं। आप उनको भेजिये जो एग्रीकल्चर जानते हों, उनमें इंटरेस्ट रखते हों, तभी मुल्क की तरक्की हो सकती है अन्यथा नहीं। अगर आप तराजू तोलने वाले को वहां भेज दें तो क्या वहां बरतन बनाने का कारखाना खुलने वाला है? उपाध्यक्ष महोदय, विभाग की बात तो समझ में आती है। लेकिन उसके दायरे के बाहर की बात समझ में नहीं आती। यह हिमाकत है। यह आनरेबिल मेम्बर्स का हाउस है। इस हाउस में हर एक को समान शक्ति है, लेकिन अगर आप विभाग पर परवा

डाल कर बात करना चाहते हैं तो वह चलेगी नहीं। यह ऐग्रीकल्चर का मामला है जो एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड हो, जिसका अपना फार्म हो, जो खुद खेती करता हो, उसे आप वहां भेजिये। लेकिन अगर चन्द्र सिंह रावत को भेज दीजिये जो कि ताजीरात हिन्द की दफा ही जानता है तो वह तो दफा में फांस हो सकता है, ऐग्रीकल्चर को बना नहीं सकता। इसलिये यह जो त्रुटिपूर्ण विधेयक लाये हैं उससे गल्ले की समस्या में कोई सुधार नहीं हो सकता है, इसलिये जैसा कि सुझाव भी आया है इस पर पुनर्विचार होना चाहिये। हमारे मंत्री महोदय की ईख में मास्टरी है और सन् ५२ से किसानों के बड़े हमदर्द रहे हैं। गन्ने की बात हमेशा करते हैं और बड़े आंकड़े भी पेश करते रहे हैं। लेकिन अब उनका गेहूं के आंकड़े से ज्यादा रिस्ता है, क्योंकि मुल्क में भुखमरी है। इसलिये उन आंकड़ों को दुरुस्त करने की जरूरत है। अगर आपने दशा को सुधारा तो आपकी मूछों में जोर आयेगा, कभी नीची नहीं होने पायेगी हमने बड़े बड़े मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर देखे हैं जो कि शाम को रहे और सुबह को गायब हो गये। तो कोई ठिकाना इस सदन में उनका नहीं है जो काम करके नहीं दिखाते, खाली जबानी जमा खर्च करते हैं। जो प्रोपेगंडा पर निर्भर रहना चाहता है उसकी मौत अवश्यम्भावी है। अगर कांग्रेस सरकार को जिन्दा रहना है, तो किसानों की हालत को सुधारना है तो वह प्रोपैगंडे से नहीं हो सकता। कुछ लोगों को आप कुछ समय के लिये बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन सबको हमेशा के लिये बेवकूफ नहीं बना सकता। इसलिये अगर आपको मंत्री बने रहना है तो सत्य का अनुसरण करना होगा। मुझे गेंदा सिंह जी से पर्सनल अटेचमेन्ट है और बड़ी प्रेम और मुहब्बत है। लेकिन मैं देखता हूं कि उन मूछों में रोब नहीं है। अगर ऐसा है तो मुझसे ६ पैसा लें और ट्रिम-आफ करें। आप समझेंगे कि मैं बकवास कर रहा हूं, लेकिन सत्य बात हमेशा कड़वी लगती है। अपने को ऊंचा समझने की कोशिश किसी को कभी नहीं करनी चाहिए। अगर सत्यता का आधार समाज और राष्ट्र की संतान में नहीं होगा तो कहां होगा ?

इतना ही कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

मान्यवर, जो कृषि मंत्री जी ने विधेयक पेश किया है उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। और उसका समर्थन करता हूं। इसलिये कि वह एक किसान के नाते अच्छाइयों, बुराइयों को समझ कर इस विधेयक को लाये हैं। मुझे अफसोस है कि हमारे हिन्दोस्तान में इतना पिछड़ापन आज हर एक वर्ग में मौजूद है, किसान वर्ग में सबसे ज्यादा है और उसको बढ़ाना अपना कर्त्तव्य समझ कर मंत्री जी ने यह विधेयक रखा है। हमारे पूर्ववक्ता महोदय ने मूछों पर ज्यादा जोर दिया, बनिस्बत इस बिलके। मैं कृषि मंत्री महोदय को इस बिल के लिये मुबारकबाद पेश करता हूं। ज्यादा जोर से बोलने से कोई लाभ नहीं हुआ करता, शान्ति से बात करना ज्यादा ठीक है। माननीय कृषि मंत्री जी ने इस विधेयक के जरिये जो व्यवस्था की है उसका मैं समर्थन करता हूं। उन्होंने पंजाब आदि का जो जिक्र किया तथा मैनेजमेंट आदि में जो परिवर्तन करने की बात कही है वह आवश्यक है। मैं यह भी चाहूंगा कि माननीय शिवराज सिंह जी ने जो कि कृषि में एक विशेष रुचि रखते हैं, जो सुझाव दिये हैं उन पर भी माननीय कृषि मंत्री जी विचार करें। भानु प्रताप सिंह जी के सुझाव पर भी सरकार को विचार करना चाहिये। उनके सुझाव को यदि सरकार मान ले तो बेहतर होगा। बस यही मुझे कहना था।

*श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मुझे यह आशा थी कि इस विधेयक पर चर्चा के समय माननीय सदस्य इसके समर्थन में ही अपने विचार व्यक्त करेंगे। मान्यवर, इस विधेयक में जो उद्देश्य और कारण दिये गये हैं उसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस विधेयक को लाने की क्यों आवश्यकता पड़ी, कैसे इस विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है, इसके लिये वहां के विशेषज्ञों ने कुछ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामायण राय]

अपने सुझाव दिये थे जिन्हें तत्काल कार्यान्वित करना आवश्यक था। उन्हीं सुझावों के अनुसार सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था जो आज एक विधेयक के रूप में हमारे सामने है।

मान्यवर, माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी ने कहा कि इस विश्वविद्यालय द्वारा जो स्नातक निकले उनको खेती के लिये भूमि उपलब्ध करायी जानी चाहिये, वरना ऐसे विश्वविद्यालय की कोई आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, इस अवसर पर उनको केवल एक ही बात स्मरण दिलाना चाहता हूं। जिन देशों में डेमोक्रेटिक एजुकेशन, जनतांत्रिक शिक्षा, व्यवस्था होती है, उन देशों में शिक्षा का उद्देश्य कुछ ऐसे लोगों को तैयार करना नहीं होता है जो केवल राजकीय सेवाओं में ही उपयोग में लाये जा सकें। ऐसा तो उन देशों में होता है, मान्यवर, जहां शिक्षा के क्षेत्र में पूर्णतः रेजीमेन्टेशन हो, जैसे चीन और रूस में। हमारे देश में तो मान्यवर, शिक्षा का उद्देश्य यदि एक ओर राजकीय उद्देश्यों के लिये स्नातकों को तैयार करना है तो उसके साथ ही साथ पूरे समाज में ज्ञान की दिशा में ज्ञान प्रसारित करना भी उद्देश्य होता है। मान्यवर, यदि उनके तर्क को मान लिया जाय तो मैं ऐसा समझता हूं कि चाहे वह मेडिकल कालेज हो या टेकनिकल कालेज हो, इन तमाम कालेजों में केवल उतने ही लोगों को प्रवेश मिलना चाहिये जिनको सेवा का अवसर देने की सरकार के पास क्षमता हो।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ उन्होंने यह कहा कि वाइस चान्सलर ऐसे व्यक्तियों को बनाया जाता है जो कृषि विज्ञान के विशेषज्ञ नहीं होते हैं। एक वाइस चान्सलर किसी विश्वविद्यालय का कैसा होना चाहिये इसके संबंध में मान्यवर, समय नहीं है, अनेकानेक अवसरों पर यूनिवर्सिटी ग्रान्टस कमीशन ने और इसके अलावा जो बड़े बड़े कमीशन्स अप्वाइन्ट हुए थे केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की ओर से, उन सभी ने इसके लिये निश्चित सिफारिश की है। मान्यवर, मैं माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी से यह आग्रह करूंगा कि वे उन सिफारिशों की ओर दृष्टिपात करें। किसी विश्वविद्यालय का वाइस चान्सलर होने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि उस विशेष प्रकार की शिक्षा का वह विशेषज्ञ हो। इसके साथ ही साथ उन्होंने एक ओर तो जहां यह कहा कि यह शिक्षा उन्हीं तक सीमित होना चाहिये दूसरी तरफ उनका यह भी कहना है कि इस सेवा को इतना व्यापक बना देना चाहिये कि प्रत्येक किसान के बगल में एक कृषि विज्ञान का जानकार खड़ा हो जो उनको सलाह दे सके। तो इनके इन दोनों ही विचारों में विरोधाभास हो गया। जैसे कि वे स्वयं विद्वान आदमी हैं वे स्वयं विचार करें। मान्यवर, मैं बाअदब अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी ओर के बैठनेवाले एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा भी आलोचना की गई जिन्हें इस बात का पूरा पूरा अवसर प्राप्त था वे इस विषय की रीति-नीति और इस ढांचे में जो परिवर्तन करना चाहिये था वे कर सकते थे, लेकिन उन्हें उस अवधि में यह क्यों नहीं आवश्यकता प्रतीत हुई ? वे इस विश्वविद्यालय को देखते। इसका फैसला वे स्वयं कर लेंगे। आज तो इस बिल के उद्देश्य में ही यह लिखा हुआ है कि कुछ कमियां हैं। मान्यवर, इमरजेन्सी के दिनों में मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ एक स्वर्वड्रन लीडर का। उस पत्र में उन्होंने लिखा था युद्ध के मध्य में, पंजाब का कृषि विश्वविद्यालय जिसकी चर्चा माननीय कृषि मंत्री ने की थी और उसके साथ ही साथ वहां के किसानों का खेती करने का जो मनोभाव है वह पूर्णतः निखर चुका है। मैं ऐसा मानता हूं मान्यवर, कि सम्पूर्ण देश का किसान जाग उठा है और वह चाहता है कि विज्ञान की नई देनों से वह लाभान्वित हो। इन्हीं उद्देश्यों को सामने रख कर यह विधेयक सदन के सामने लाया गया है। मैं यह मानता हूं कि यह छोटा सा विधेयक जो है आज इसके उद्देश्य ही उसकी पूर्ति में सहायक नहीं होंगे, लेकिन हमारी जो तात्कालिक आवश्यकतायें हैं उसकी पूर्ति में यह सहायक होगा। इसलिये मैं मान्यवर, टम्बेश्वर प्रसाद जी से आग्रह करूंगा कि उनके लिये यह अच्छा होता कि जब कोई विश्वविद्यालय विधेयक लाया जाता तो उस विधेयक में ऐसा कोई सुझाव देते। इस समय थोड़े संशोधन हैं। वे इन संशोधनों को देखते हुए अपने प्रस्ताव को वापिस ले लें।

श्री मैनेजर सिंह—

श्री रावत के तर्कों का उत्तर नहीं दिया ?

*श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। माननीय रामायण राय जी ने अभी अभी कुछ बातें कहीं। आशा है कि इस प्रवर समिति का प्रस्ताव अगर वे पढ़ें तो वे इसी दृष्टि के होंगे कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय, उस को इसकी परिधि बढ़ाने का अधिकार हो। विरोधाभास का तो मेरी बातों में कोई स्थान ही नहीं है। वे कदाचित् इस भ्रम में हैं कि मैं उनके प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं। मैं तो अपने ही प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं। उस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैंने यह बताया था कि केवल पद बदलने मात्र से काम चलने वाला नहीं है। माननीय गेंदा सिंह जी से मैं यह आग्रह करूंगा कि माननीय रावत जी की बात को अवश्य मान जायं कि इसको पूर्ण भारतीय बनाने के लिये आवश्यक है कि वहां पढ़ाने का माध्यम हिन्दी हो। चाहे किसी चीज की भी पढ़ाई हो उसको पढ़ाने का माध्यम हिन्दी कर दिया जाय तभी काम ठीक प्रकार से चल सकता है। माननीय रामायणराय जी ने यह तो माना कि व्यापक बिल आना चाहिये, हम केवल यह चाहते हैं कि वह अभी आ जाय। क्योंकि अगर कोई कार्य तुरन्त नहीं होता तो सरकार बाद में उसकी कोई परवाह नहीं करती है। गवर्नर महोदय के भाषण में कहा गया था कि कतिपय विधेयक आयेंगे लेकिन मैं देखता हूं कि इस सेशन में वही विधेयक आ रहे हैं जिनके लिये आर्डिनेंस निकाले गये हैं। इस प्रकार अगर इसके लिये व्यापक बिल आ जाय तो हमारा और आप का दोनों का उद्देश्य पूरा हो जाता है। आशा है माननीय मंत्री जी मेरे प्रस्ताव को मान लेंगे।

माननीय रामायण राय जी ने भी कहा कि वाइस चांसलर कौन होना चाहिये इसके बारे में यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है। हो सकता है लिखा हो लेकिन मैं समझता हूं उसमें वह नहीं होगा कि कोई कृषि शिक्षाविद् न रखा जाय। मेरा विचार है कि कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को भारतीय कृषि का ज्ञान पर्याप्त मात्रा में होना चाहिये। खाली कोई कालेज होता जो किसी लिमिटेड स्फीअर की शिक्षा देता हो तब तो किसी को भी रखा जा सकता था लेकिन जहां शिक्षा की दिशा ही दी जाने वाली है उसमें यह देखना आवश्यक होगा कि वहां का वाइस चांसलर ऐसा अवश्य हो जो विद्यार्थियों को एक नई दिशा दे सके।

उन्होंने मेरी इस बात का भी जिक्र किया कि मैंने यह कहा कि कृषि स्नातकों को जमीन दी जाय। मेरा मतलब उससे यह था कि इनको ट्रेंड करने के लिये हम एक पूंजी लगाते हैं। क्यों नहीं हम इतना ज्यादा उनके ऊपर खर्च करने के बजाय उन लोगों के लिये एक एक वर्ष की ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग कालेज खोल देते हैं। आपने भी इन लोगों के लिये ट्रेनिंग कालेज खोला है जिनमें बी० एस-सी० ए० जी० को आप एक साल की ट्रेनिंग दे कर ओवर-सियर बनाते हैं।

श्री गेंदा सिंह—

उनको सायल कंजरवेशन की ट्रेनिंग दी जाती है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

फिर आप को कृषि स्नातक बनाने की क्या आवश्यकता है। सायल कंजरवेशन की विशेष व्यवस्था क्यों नहीं करते। इंजीनियर और डाक्टर को दूसरी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती, फिर इनको क्यों होती है। मेरा कहना यही है कि हम उतने ही कृषि स्नातक पैदा करें जो मुख्य रूप से कृषि के उद्योग में जायं और जो शेष बचें वह सर्विसेज में खप जायें और ऐसी नौबत न आये कि वह लोअर डिवीजन की क्लर्की करें या टाइपिस्ट का काम सीखें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री टम्बेश्वर प्रसाद]

या प्लानिंग के अफिस में क्लर्की करें। अच्छा यही है कि जिस प्रकार की शिक्षा पर पैसा खर्च किया जाय उस का उपयोग भी उसी कार्य के लिये हो और व्यवहारिक लाभ उसका उठाया जाय ।

इन शब्दों के साथ में निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में या तो एक व्यापक बिल लाया जाय या मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाय और हम विचार कर लें और इन तमाम चीजों को इस की परिधि में ले आयें। जब तक एक व्यापक बिल इन तमाम चीजों के लिये नहीं लाया जाता, काम नहीं चलेगा। आशा है मंत्री जी मेरी बात को मानेंगे।

श्री गेंदासिंह—

श्रीमन्, माननीय मित्रों ने इस छोटे से विधेयक पर जो अपनी भावनायें व्यक्त की हैं उनके लिये मैं आभारी हूं। उन की सारी भावनायें इस प्रकार की हैं कि विश्वविद्यालय का प्रबन्ध सुधरे और वहां से ऐसे स्नातक निकलें जो प्रदेश के कृषि के काम में सफल सिद्ध हों और वह दूसरों की सहायता भी कर सकें, अपने पैरों पर खड़े हो सकें और मैं समझता हूं कि इस से अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसी उद्देश्य से ऐक्ट में थोड़े से इस परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी है। मैं इस वक्त केवल इतना ही कहूंगा कि इस बात का ध्यान सरकार को था कि कृषि स्नातक ऐसे न निकलें जिन से खेती के काम में मदद न मिल सके और इस काम का संचालन ठीक से न कर सकें। इस चीज की तरफ पूरी तौर से विचार किया गया और उसके बाद ही ऐसी व्यवस्था की गई। इसके लिये मैं माननीय सदस्यों का ध्यान और दूसरी ओर न ले जाकर केवल पंजाब में जो कृषि कार्य हमसे अच्छा चल रहा है उस की ओर ले जाऊंगा। लुधियाना यूनिवर्सिटी का कुछ अनुकरण भी किया गया है और उससे कुछ ऐसा मालूम होता है कि हम भी लाभ कुछ ज्यादा उठा सकेंगे। उस की सफलता को देखते हुए यह सोचा गया कि लुधियाना के पैटर्न पर हमें भी अपना अधिनियम बनाना चाहिये और उसी तरह की व्यवस्था करना चाहिये । जो वाइस चांसलर इस वक्त वहां के लिये नियुक्त किये गये हैं उन का सम्बन्ध प्रदेश की खेती से बहुत पुराने जमाने से रहा है, वह केवल आई० ए० एस० ही नहीं हैं, वह बहुत ही छोटी सी नौकरी से उठ कर इस जगह पर पहुंचे हैं जिनको भारत सरकार ने भी उपयुक्त समझा था और बुलाकर खेती का काम सुपुर्द किया था। आप श्री ध्यानपाल सिंह को जानते होंगे। उनके विषय में विचार किया गया और मैं समझता हूं कि उनकी नियुक्ति का स्वागत हुआ है। इस बिल की आवश्यकता थी जल्दी लाने की और साथ साथ जिन त्रुटियों की तरफ माननीय सदस्य ध्यान दिला रहे हैं, विचार करके कोई एक विधेयक इस सम्बन्ध में सलाह मशवरा करके, अन्य सूबों के गुणों को देख कर ले आने की चेष्टा की जायगी और दूसरी बातें जो कही गई हैं उन पर भी एक काम प्रिहेंसिव बिल आने पर पहले से विचार किया जा सकता है, या विचार विमर्श कर के हम उसे लायें या अगर बिल सरकार की ओर से आये तो प्रवर समिति में उस पर विचार किया जाय, इन सब बातों का मौका हमें आगे मिलेगा।

अब मैं दो तीन बातों की तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक बात की चर्चा की गई है कि सरकारी लोग इस में बहुत बढ़ा दिये गये हैं। ऐसी बात नहीं है। अभी रावत जी ने कहा कि शिक्षा सचिव को रखा है। लेकिन मैं उन्हें बताऊं कि शिक्षा सचिव तो शिक्षा निदेशक के स्थान पर हैं, पहले निदेशक थे अब सचिव हो गये। तो शिक्षा से सम्बन्ध रखने वाला भी अवश्य रहना चाहिए जो कि उस विश्वविद्यालय से भी कुछ सम्बन्ध रखता हो ।

श्री मैनजरसिंह—

मैं जानना चाहता हूं कि शिक्षा संचालक के स्थान पर "शिक्षा सचिव" को रखने का क्या आधार है ?

श्री गेंदासिंह—

इसका कोई आधार नहीं है, लेकिन अगर कोई बात उसके विरुद्ध होगी तो विचार कर लेंगे। मैंने जो मूंछें रखी हुई हैं, इनमें कुछ बुद्धि लटकी हुई है। जो कटा देते हैं उनकी बुद्धि कहां चली जाती है। वे हमारी अपील भी नहीं सुनते हैं। जैसा कि यहां पर कहा गया कि हमारे स्नातकों का ध्यान कृषि की ओर न जा कर नौकरी की ओर अधिक जाता है, यह बात सही है। कृषि के स्नातक जो हमारे निकलते हैं, उनकी नौकरी की भावना रहती है। उनके मां बाप या परिवार वालों के दिलों में भी यह भाव रहता है कि अगर हमारे लड़के पढ़ते हैं तो उन को खेती की ओर न ले जाकर किसी और रोजगार की ओर ले जाया जाय। उसके शिकार हमारे कृषि के भी स्नातक हैं और दूसरी संस्थाओं के भी स्नातक ह। तो हमें एक ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए कि जिससे उनका रुझान नौकरी की ओर न जाय। इसलिए कुछ ऐसा सोचा गया कि जिस व्यक्ति का सम्बन्ध ठेठ खेती से रहा हो, वह ही वाइस चान्सलर होना चाहिए। श्री ध्यानपाल सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका सारा जीवन खेती से सम्बद्ध रहा है। आप को ध्यान होगा कि सब से पहले अपने पाइलट प्रोजक्ट्स में दो ब्लाकों में खेती की कितनी तरक्की हुयी है। उस जमीन पर जहां केवल १ या २ फसलें होती थीं आज वहां पर किसानों ने ५ और कम से कम ४–४ फसलें उगानी आरम्भ कर दी हैं। यदि हर स्थान के किसान इस तरह से करने लगें तो यह अन्न कमी की समस्या दूर हो जाय।

जहां तक स्टेट फार्मर्स फोरम की बात माननीय शिवराज सिंह जी ने कही है उसके बारे में मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं यह समझता हूं कि प्रगतिशील किसान का जिक्र किया गया है। इसके मायने यह नहीं हैं कि प्रगतिशील किसान फार्मर्स फोरम के अलावा नहीं हैं। आजकल किसानों का भी एक टनेजक्लब है। उसमें भी ये लोग रहते हैं। यह कहना कि हम उसी संस्था से लेंगे यह मुनासिब नहीं है। यदि यह ही विचार किया गया कि हमें फार्मर्स फोरम से ही ही लेना है, जो कि किसानों के हित की संस्था है तो उस पर भी हम आगे आने वाले विधेयक में विचार कर लेंगे। श्रीमन्, माननीय शिवराज सिंह जी से मैं कहना चाहता हूं कि अगर मैं उस यूनिवर्सिटी की कमियां बतलाने लगता तो उसमें मेरी अपनी तारीफ होती और जो मेरे पहले वाले लोग थे उनकी थोड़ी शिकायत होती। श्रीमन्, यह काम मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं अभी थोड़े दिनों से ही आया हूं तो मेरे ऊपर तो सारा इल्जाम कोई लगाएगा नहीं लेकिन अगर कोई अप्रत्यक्ष रूप से मेरे पूर्वजों (प्रेडिसेसर्स) की शिकायत करे, तो यह बात मुझे पसन्द नहीं है और किसी के कहने से भी मैं यह काम नहीं करूंगा। जिन लोगों के हाथों में पहले यूनिवर्सिटी थी, मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि उनका कोई दोष था। वह तो शिक्षा की विधि ही ऐसी है जिसकी वजह से उसकी तरफ उन लोगों का पूरी तरह से ध्यान नहीं गया और इस तरह की व्यवस्था हुई। यह बात वे लोग भी महसूस करते, लेकिन मैं समझता हूं कि यह जो व्यवस्था हुई वह सबके आशीर्वाद से ही सम्भव हुई है और सारी बातों को सोच कर ही इस बिल को लाने की जरूरत महसूस हुई। मैं फिर माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस तरफ इतनी गहराई के साथ ध्यान देकर अपने विचार व्यक्त किए हैं और उनसे सरकार अवश्य लाभ उठावेगी।

मैं अन्त में इस बात को कह देना चाहता हूं कि सेलेक्ट कमेटी में इस विधेयक के न जाने पर भी जो सुझाव माननीय सदस्यों के हों व भेज देंगे तो सरकार उनसे अवश्य लाभ उठायगी और जो बिल आगे भविष्य में आवेगा, उसमें उन चीजों का समावेश किया जा सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं सदन के सामने मूल प्रस्ताव रखता हूं। अगर मूल प्रस्ताव पास हो जायगा तो संशोधन स्वतः गिर जायगा।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड–२

उ० प्र० अधि० नियम संख्या ४५, १९५८ की धारा १० का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५८ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा १० की उपधारा (१) से (५) तक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(१) बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

(क) उपकुलपति .. .. पदेन

(ख) सचिव राज्य सरकार, कृषि विभाग ,,

(ग) सचिव राज्य सरकार, वित्त विभाग .. ,,

(घ) सचिव, राज्य सरकार, शिक्षा विभाग .. ,,

(ङ) कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश .. ,,

(च) पशु-पालन निदेशक, उत्तर प्रदेश .. ,,

(छ) राज्य विधान सभा के दो सदस्य जो उक्त सभा द्वारा निर्वाचित किए जायेंगे,

(ज) राज्य विधान परिषद् का एक सदस्य जो उक्त परिषद् द्वारा निर्वाचित किया जायगा,

(झ) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट पांच सदस्य, जिनमें क्रमशः निम्नलिखित होंगे :—

(१) एक विख्यात कृषि वैज्ञानिक;

(२) एक प्रगतिशील कृषक;

(३) एक पशु-धन प्रजनक;

(४) एक विशिष्ट उद्योगपति या निर्माता जिसे कृषि विकास का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो;

(५) एक प्रमुख सामाजिक महिला कार्यकर्ता जो अधिमानतया वह होगी जिसे ग्राम विकास का अनुभव हो;

(ट) इंडियन कौंसिल आफ ऐग्रीकल्चरल एजूकेशन का एक प्रतिनिधि; और

(ठ) पंजीकृत स्नातकों का एक प्रतिनिधि जो नियत रीति से निर्वाचित हो।

(२) उपकुलपति बोर्ड का पदेन सभापति होगा।

(३) बोर्ड के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों का नाम-निर्देशन तथा निर्वाचन राज्य सरकार द्वारा गजट म विज्ञापित किया जायगा।

(४) बोर्ड के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी जो उपधारा (३) के अधीन उनके नाम-निर्देशन या निर्वाचन की विज्ञप्ति के दिनांक से प्रारम्भ होगी:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट किसी सदस्य की पदावधि, उसके पूर्वाधिकारी की शेष पदावधि तक के लिए होगी।

(५) उपधारा (४) में किसी बात के होते हुए भी, १८ जनवरी, १९६६ के पश्चात् बोर्ड के प्रथम संघटन पर उक्त उपधारा में अभिदिष्ट कुछ सदस्यों की पदावधि इस उद्देश्य से कम करने के लिए परिनियमों में व्यवस्था की जायगी कि तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष यथासम्भव एक तिहाई सदस्य निवृत्त हो जायं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड—३

३—मूल अधिनियम की धारा ११ में—

(१) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

"(१) उपकुलपति विश्वविद्यालय का पूर्ण-कालिक अधिकारी होगा। उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९६६ के प्रारम्भ होने के पश्चात् प्रथम उपकुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा की जायगी। अनुवर्ती उपकुलपतियों की नियुक्ति कुलपति ऐसी समिति द्वारा, जिसमें नियत रीति से चुना गया बोर्ड का एक प्रतिनिधि और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त दो अन्य सदस्य होंगे, नाम-निर्दिष्ट तीन व्यक्तियों की नामावली में से करेंगे। धारा ११ का संशोधन

(२) उपधारा (२) में शब्द "चार वर्ष" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष" रख दिए जायें।

(३) उपधारा (५) तथा (६) में जहां-जहां भी शब्द 'बोर्ड' आया हो, उसके स्थान पर शब्द "कुलपति" रख दिया जाय।

(४) उपधारा (७) में शब्द "जब तक कि बोर्ड कार्यवाहक (Acting) उपकुलपति नाम-निर्दिष्ट न करे" के स्थान पर शब्द "जब तक कि कुलपति, उपकुलपति नियुक्त न करें" रख दिए जायें।

श्री रामायण राय—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ द्वारा मूल अधिनियम की धारा ११(७) में प्रतिस्थापित शब्दों में शब्द "कुलपति" व शब्द "उप कुलपति" के बीच में कामा के स्थान पर शब्द "कोई" रख दिया जाय।

*श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो शाब्दिक संशोधन लाने की व्यवस्था है उसका मैं विरोध करता हूं। मुख्य मंत्री का ध्यान मैं इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि छपाई की गलतियों के कारण एक्स्ट्राऑर्डिनरी गजट तक निकलते हैं। यहां जो नियमावली सदन में रखी गयी उसमें १०० पृष्ठ में करेक्शन के लगे हुये थे। कार्यवृत्त जो सदन में रखा जाता है उसमें "बसंत सिंह" के स्थान पर 'बंसल' लिखा रहता है। इन चीजों को कोई देखने वाला नहीं है। इसी प्रकार की गलती इस संशोधन के जरिये भी ठीक की जा रही है ताकि कुलपति तथा उपकुलपति के बीच कामा के स्थान पर शब्द 'कोई' जोड़ दिया जाय ताकि दोनों अलग हो जायं। ट्रांसलेशन करने तथा अनुवाद

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री रामपालसिंह]

करने की जिसकी जिम्मेदारी होती है वही इन गलतियों के लिये जिम्मेदार है और इस से हिन्दी की रेड़ मारी जाती है तथा हिन्दी का अनादर भी होता है। इस ओर सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिये। बोर्ड की समाप्ति पर सरकार जो व्यवस्था स्वयं करने जा रही है उससे भी प्रजातंत्र को खत्म करके डिक्टेटरशिप की भावना झलकती है और सरकार का उस ओर यह कदम है। उसका जो प्राविधान किया गया है उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

उपाध्यक्ष महोदय, रामायण राय जी ने प्रस्ताव में कहा है कि "खंड ३ द्वारा" तो मैं यह जानना चाहता हूं कि "खंड ३ में" न हो कर "खंड ३ द्वारा" इसका क्या अर्थ है? जरा आप अपने संशोधन की भाषा पढ़िये। पहले अपना प्रस्ताव ठीक कीजिये। खंड ३ द्वारा क्या है?

श्री रामायण राय—

मेरा प्रस्ताव यह है कि खंड ३ के.....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

"के" कहां लिखा हुआ है?

श्री उपाध्यक्ष—

यह पूछ रहे हैं कि खंड ३ द्वारा 'द्वारा' के क्या मानी हैं?

श्री रामायणराय—

श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव इस प्रकार है कि खंड ३ में द्वारा मूल अधिनियम की धारा ११(७) में प्रतिस्थापित शब्दों में शब्द "कुलपति" व शब्द "उपकुलपति" के बीच में कामा के स्थान पर शब्द "कोई" रख दिया जाय।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

उपाध्यक्ष जी, जो माननीय रामायण राय जी संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं उससे उनका आशय और मंशा साफ नहीं होता है। मैं समझता हूं खंड ३ के बाद शब्द "के" और बढ़ा दें तो उनके संशोधन की भाषा स्पष्ट हो जायेगी। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि यह संशोधन कैसे रहेगा?

श्री उपाध्यक्ष—

जैसे आपने बताया है वह शब्द "के" रख देंगे।

श्री रामायणराय—

जी हां, यही मेरा आशय था।

श्री गेंदासिंह—

मुझे स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ के द्वारा मूल अधिनियम की धारा ११(७) में प्रतिस्थापित शब्दों में शब्द "कुलपति" व शब्द "उपकुलपति" के बीच में कामा के स्थान पर शब्द "कोई" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंण्ड ४—५

४—मूल अधिनियम की धारा १३ में—

(१) उपधारा (१) में शब्द "उप-कुलपति द्वारा, बोर्ड के अनुमोदन के अधीन रहते हुये, नियुक्त किया जायगा" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार द्वारा ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर नियुक्त किया जायगा जो वह उचित समझे" रख दिये जायें; धारा १३ का संशोधन ।

(२) उपधारा (२) में शब्द "तथा उसको देय वेतन और भत्ते वे होंगे जो नियत किये जायें" निकाल दिये जायें;

(३) उपधारा (३) में कोष्ठक, अंक तथा कामा "(४) (५)" और कामा तथा शब्द "उपलब्धियों से भिन्न सेवा की शर्तों, त्याग पत्र" निकाल दिये जायें ।

५—मूल अधिनियम की धारा २२ में शब्द "बोर्ड की" के स्थान पर शब्द "अन्य निकाय की" रख दिये जायें । धारा २२ का संशोधन ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ४ और ५ इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड—६

६—(१) १८ जनवरी, १९६६ के ठीक पूर्व उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के उपकुलपति का पद धारण करने वाला व्यक्ति अथवा प्रबन्धक बोर्ड का प्रत्येक अन्य सदस्य उक्त दिनांक को और उसी दिनांक से उप-कुलपति या सदस्य के रूप में पदधारी न रह जायगा । संक्रमण कालीन उपबन्ध ।

(२) जब तक कि धारा २ द्वारा संशोधित मूल अधिनियम की धारा १० के उपबन्धों के अनुसार, बोर्ड का संघटन न हो जाय, तब तक उपकुलपति या, यथास्थिति, रजिस्ट्रार जो मूल अधिनियम की धारा ११ की उपधारा (७) के अधीन उपकुलपति के पद के वर्तमान कर्तव्यों को कर रहे हों, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम द्वारा, या उसके अधीन बोर्ड को प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग तथा आरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे ।

श्री रामायण राय—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६(२) की चौथी पंक्ति में शब्द "वर्तमान" के स्थान पर शब्द "साम्प्रतिक" रख दिया जाय ।

श्री गेंदासिंह—

मुझे स्वीकार है ।

श्री मैनेजरसिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि यह संशोधन मंत्री जी को स्वीकार है, इसलिये इसमें विवाद का कोई प्रश्न नहीं रह गया है, लेकिन मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो अधिकारी विधेयकों को तैयार करने में लगे हैं, या जो आये दिन विधेयक प्रस्तुत होते हैं या जैसा कि विज्ञप्तियों के सम्बन्ध में श्री रक्षपाल सिंह जी ने कहा, उनके प्रशिक्षण के लिये कोई प्रौढ़ प्रशिक्षण केन्द्र सरकार को स्थापित करना चाहिये ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

हिन्दी में जरा समय लगेगा ।

श्री मैनेजरसिंह—

अफसरों की कठिनाइयों को हम महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी माननीया मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप चाहती हैं कि हिन्दी का प्रयोग जल्दी से जल्दी उत्तर प्रदेश में हो, इसलिये जो अधिकारी हैं, उनके प्रशिक्षण के लिये आप प्रौढ़ प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करा दें जहां पर उनको ६ महीने की ट्रेनिंग हिन्दी के विषय में दी जाये, जिस से इस प्रकार की त्रुटियां न हों । ऐसे केन्द्रों के लिये बहुत से प्रिंसिपल हम लोगों में से ही मिल जायेंगे, लेकिन यह होना चाहिये ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

ऐसे केन्द्र की स्थापना के व्यय की ग्रांट पर हम लोग नहीं बोलेंगे ।

श्री गेंदासिंह—

इस संशोधन को मैं मानता हूं, इसे मैं पहले ही कह चुका हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड (६) (२) की चौथी पंक्ति में शब्द "वर्तमान" के स्थान पर शब्द "साम्प्रतिक" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड—७

निरसन तथा अपवाद उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १, १९६६ ।

७—(१) उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन), अध्यादेश, १९६६ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

(२) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य अथवा की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य अथवा की गयी कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम १८ जनवरी, १९६६ को प्रारम्भ हो गया हो ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५८ को आगे दिये हुये प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने के लिये — उ० प्र० अधिनियम संख्या ४५, १९५८

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९६६ कहलायेगा । — संक्षिप्त नाम ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री गेंदासिंह—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६ जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री रक्षपालसिंह—

श्रीमन्, वैसे तो इस विधेयक पर जनरल चर्चा हो गई और उसके बाद खंडशः विचार हो गया, परन्तु हमने जो प्रस्ताव किया था कि यह विधेयक प्रवर समिति में जाय और वहां पर व्यापक रूप से इस पर विचार किया जाय और कृषि उन्नति के लिये विस्तार से वहां विचार किया जाय उसको उन्होंने नहीं माना ।

दूसरी बात यह कि यह जो विधेयक लाया गया है इसमें सारी जिम्मेदारी अगर देखी जाय तो वे मंत्री जी के हाथ में आ गई हैं । इसलिये अब सारी नियुक्तियों का अधिकार मंत्री जी के हाथ में आ गया है । वे किसी प्रकार से गलत आदमियों को रखेंगे ऐसी मुझे आशा नहीं है, किन्तु मेरी इतनी प्रार्थना अवश्य उनसे है कि जहां पर विवाद पैदा हो जाय कि कृषक समाज के प्रतिनिधि रहें या नहीं या सरकार के मनोनीत कोई प्रतिनिधि रखे जायं तो वे सब ऐसे रखे जायं जो कृषि उन्नति में सहायक हो सकें । अब कृषि उन्नति की सारी जिम्मेदारी कृषि मंत्री जी के हाथ में आ गई है । इसलिये यह आवश्यक है कि इस बात का ध्यान रखा जाय कि जिन उद्देश्यों को ले कर यह संशोधन लाया गया है वह पूर्ण हो सके । वैसे कुछ हमारे लोगों का विचार यह है कि जो हमारा यह कृषि विश्वविद्यालय है उसकी सारी की सारी व्यवस्था बड़े लोगों के लिये है । सरकारी पैसा खर्च होता है और वे लोग ही लाभ उठाते हैं । इस कृषि विश्वविद्यालय से कृषकों को और उत्तर प्रदेश की जनता को कम लाभ पहुंचता है । फिर भी उसकी सारी जिम्मेवारी कृषि मंत्री की है और व्यापक रूप से जनता का लाभ उनकी दृष्टि में रहना चाहिये । इसके नियमों के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था की जाय जिससे अधिक जनता लाभ उठा सके और किसी प्रकार से किसी के साथ कोई अन्याय न हो सके । इस बात का ध्यान माननीय कृषि मंत्री जी रखें । बस यही मेरा निवेदन था ।

श्री गेंदासिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, जिन बातों की ओर माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित कराया है वे बहुत अच्छी हैं और उनकी तरफ गौर किया गया है और इस विश्वविद्यालय के द्वारा खेती करने वालों की जितनी अधिक से अधिक मदद हो सकेगी, उसके लिये प्रयत्न किया जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६ जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में घटित घटना के विषय पर चर्चा

श्री उपाध्यक्ष—

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो यह कमीशन मुकर्रर हुआ है उसने अभी जांच तो शुरू नहीं की है ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

नोटिफिकेशन हो गया है। उनको नोटिस दी गई है या नहीं, यह मैं नहीं कह सकती।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अभी तो नोटिफिकेशन हुआ है उनको सूचना भी नहीं मिली होगी।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

५ तारीख को नोटिफिकेशन हो गया। मुझे एक्सपक्टेशन है कि आज उनको नोटिस भेज दी गई होगी।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मेरा निवेदन है कि एक्सपक्टेशन को कोई आधार न माना जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं जानना चाहता था कि इंक्वायरी तो शुरू नहीं हुई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

नोटिफिकेशन जारी हो गया है, इंक्वायरी हो या न हो।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

मिट्ठन लाल जी को चिट्ठी ही नहीं मिली है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

आदमी गया है, चिट्ठी मिल गयी है।

श्री उपाध्यक्ष—

हमारे पास कोई सूचना नहीं है कि इंक्वायरी शुरू हो गयी है, इसलिये इसी हिसाब से चलना है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मुझे कितना समय मिलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

१५ मिनट बोलिये। और बहुत से लोगों को बोलना है।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं घटनाओं के विवरण में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है। जब कामरोको प्रस्ताव सामने आते हैं या ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती है तो विरोधी पक्ष और सरकारी पक्ष दोनों को एक चीज का ध्यान रखना चाहिये कि जब हम एक ऐसे गहन विषय पर विचार करने जा रहे हैं जो मनुष्य के जन-जीवन से सम्बन्ध रखता है तो हमें यह देखना होगा कि हम किस हद तक प्रजातांत्रिक प्रणाली पर टिकना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस चर्चा से कोई लाभ हो तो अपने हृदय से वह भावना निकाल देनी चाहिये जैसी कि एक अफसर की भावना रहती है कि अपने आफिस वालों को बचाना। वह मंत्री हमारे भी हैं, उनके भी हैं, आफिसर नहीं। इतना कहने के बाद मैं अपने विचार व्यक्त करता हूं।

काशी विश्वविद्यालय की स्वर्ण जयन्ती के एक दिन पहले यह शोक का वातावरण पैदा करने की जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार की पुलिस पर है। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ३ फरवरी, १९६६ को यह घटना घटित हुई। विवरण पत्रों में निकल चुके हैं। केवल ३ खंडों में मैं इस घटना को बांटूंगा। दो भाग तो इस घटना से सीधा सम्बन्ध रखते हैं और एक घटना पहले की है। उसके सन्दर्भ में इसका महत्व बढ़ गया। पहली यूनिवर्सिटी की घटना यह है कि ३ तारीख को दोपहर के बहुत पहले जब कि पुलिस की ट्रक और पुलिस का कनवाय जा रहा था, एक विद्यार्थी वीमेंस कालिज के सामने एक ट्रक से दब गया, (व्यवधान) कृपया मुझे बोलने दें। एक को मामूली खराश आयी। यहीं से गलती शुरू होती है जब पुलिस ने यह केस बनाया कि रिक्शे से टक्कर खाकर वह ट्रक के सामने आ गया। हम जब वहां पहुंचे और घूम कर लोगों से मिले जुले, वाइस-चांसलर, विद्यार्थियों से, मरीजों से अस्पताल के और इंटरनेशनल बोर्डिंग हाउस के विद्यार्थियों से तो हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचे उसके आधार पर तथ्य को केवल आपके सामने सूक्ष्म रूप से रख रहा हूं।

जब विद्यार्थी पुलिस की ट्रक के नीचे कुचल गया तो पुलिस का कर्तव्य था जैसा कि वह दूसरों को सबक सिखाते हैं कि अगर ऐसी कोई घटना हो जाय तो उस वेहिकिल का कर्त्तव्य है कि अगर हादसा है तो फौरन सम्बन्धित व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाये और नजदीक के पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट करे। तो यह जो उसका कर्तव्य था वह उन्होंने पालन नहीं किया। लड़के को दबाया और दबोच करके ट्रक सीधी चली गयी जहां पर डी० एम० थे, कोतवाल थे और सब लोग थे, गेस्ट हाउस पर जहां कि राष्ट्रपति को ठहराना था।

उधर २०–२५ विद्यार्थी आये और उसको अस्पताल लेकर चले गये। लेकिन पुलिस को उधर सूचना नहीं है। जब चारों तरफ से सूचनाएं पहुंचीं और कलेक्टर को पता लगा तो उन्होंने सीरियसनेस को महसूस किया और कहा कि ट्रकों को वापस ले जाओ। कुछ सामने के रास्ते से आयीं, पीछे के रास्ते से गयीं। एक सामने आयी जिसको आग लगा दी गयी। आग किसने लगायी, मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं घटना पर नहीं था। हो सकता है कुछ गुंडा एलीमेंट पहुंच गया हो जैसा कि ऐसे मौकों पर पहुंच जाया करता है।

दूसरी घटना हुई, जब ट्रक जल गयी। उसमें से कुछ लोग इधर उधर भागे। ३ आदमी अस्पताल में आये, वहां उनको शरण दी गयी और उनके वस्त्र बदलवा दिये गये ताकि उनको देख कर कोई बात और न पैदा हो। आप की सी० आई० डी० इस बात को जानती थी। जिस डाक्टर के यहां वस्त्र रखे थे, उसके पास सी० आई० डी० वाला आदमी कुंजी लेने गया और उसने वह कपड़े लिये। अतः इस बात को नहीं कहा जा सकता कि सी० आई० डी० को उन व्यक्तियों के बारे में पता नहीं था, अगर वे कहते हैं तो अपने बचाव के लिये केवल कहते हैं। मैं माने लेता हूं कि विद्यार्थियों ने ही कार को जला दिया। फिर उसके बाद ३ बजे पुलिस के आने की क्या जरूरत थी? कहा गया कि हमारे ४ आदमी गायब हैं और २ ट्रक गायब हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

श्रीमन्, आप जरा इस बात पर विचार करें कि आखिर वे चारों आदमी और उनकी ट्रकें कहां गयीं ? जब उनके आने की इच्छा हुई ४–५ सौ पुलिस वाले वहां घुस गये। ट्रेजरर ने वहां के कहा कि हमारे यहां न आदमी हैं न ट्रकें हैं, लेकिन उनका तो मेलाफाइडी इन्टेन्शन था, बदले की भावना थी। क्या वजह है कि ट्रकें और उनके आदमी उनके पहुंचने पर भी नहीं मिले ? यह बिलकुल गलत और बनायी हुई बात है श्रीमन् ! एस० एस० पी० और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का कहना बिलकुल गलत है। वे तीनों आदमी कपड़े बदल कर हास्पिटल में थे और सी० आई० डी० को उसकी जानकारी थी। यही नहीं, ३ बजे वाइस चान्सलर से पुलिस वालों ने कहा कि हम तो आयेंगे। वाइस चान्सलर ने कहा कि आप मत आओ, उन्होंने कहा हम जरूर आयेंगे। वाइस चान्सलर ने कहा कि न आपके यहां आदमी हैं न ट्रकें हैं। फिर भी मजबूर होकर वाइस चान्सलर ने कहा कि अच्छा ४ बजे आ जाओ, पुलिस वालों ने कहा नहीं, हम साढ़े तीन बजे आयेंगे, फिर कहा सवा तीन बजे आयेंगे, फिर इसको चेंज किया और ३ बजे ही पहुंच गये। लंका एक स्थान है, वहां पर, मेनगेट पर ४–५ सौ पुलिस वाले उतारे गये। वे सभी आर्म्ड थे। डी० वाई० एस० पी० वगैरह भी थे। चारों तरफ से उन्होंने उसको घेर लिया। वहां उनको आदेश दिये गये तुम इस तरफ से जाओ, तुम इस तरफ से जाओ, तुम उस तरफ से जाओ। उन्होंने बुड्ढों को पीटा, खोञ्चे वाले को पीटा, लड़कों को पीटा, अध्यापकों को पीटा, प्रोफेसरों को पीटा। जो नजर आया उसको पीटा। वाइस चान्सलर ने कहा था कि हम गेट पर मिलेंगे। पुलिस ने उनका भी इन्तजार नहीं किया। मिस्टर सिंघल तुम यहां रहो, गुप्ता तुम यहां रहो, तुम इधर से जाओ, इस तरह से चारों तरफ से घेरा डाला गया। कहीं भी विद्यार्थियों की भीड़ नहीं थी, वे कहीं भी एकत्रित नहीं थे। पुलिस सीधे सेन्ट्रल हाल में घुस गयी। वे लोग डिग्रियां ले रहे थे। लड़कियां भी वहां थीं। वाइस चान्सलर ने लड़कियों को कमरे के अन्दर कर दिया। लेकिन जो भी विद्यार्थी उनको मिला उसको उन्होंने मारा। एक बाबू को भी मारा। इस तरह से वहां छाये हुये थे जैसे कम्बिंग कर रहे हों। खींचते-खींचते घूम कर वहां पहुंचे, जहां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एस० पी० थे। मारते-पीटते वहां पहुंचाया जहां फोर्स मौजूद थी। इतने में वाइस चान्सलर और रजिस्ट्रार आये। वे कहते थे कि मत मारो परन्तु वे मारते चले जाते थे। जिस वक्त हम लोग वहां पहुंचे तो यह देख कर विश्वास नहीं कर सकते थे कि प्रजातन्त्र की पुलिस ऐसा व्यवहार करेगी। ऐसा बताया गया कि उनके पाकेट में ३२ रुपये थे वे भी छीन लिये गये, किसी की घड़ी निकाल ली, किसी की साइकिल निकाल ली। कलेक्टर और डी० वाई० एस० पी० वहां मौजूद थे, पर उनके सामने कौन घुसता था। कलेक्टर से कहने की कोशिश की तो उन्होंने उधर मुंह कर लिया। कलेक्टर साहब ने यह स्वीकार किया पर वह भी चुप रहे। एस० पी० साहब भी वहां बैठे थे पर किसी ने नहीं कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो। वहां वाइस चांसलर ने भी कहा कि मेरे सामने पीटकर मार रहे हैं और जब मैंने कहा तो मुझे भी मारने लगे। अगर मैं आगे बढ़ता तो मैं भी मारा जाता। वहां एक सिपाही भी मिल गया जो कि कहता था कि विद्यार्थियों को मारकर खा डालो। २५ तारीख को घटना हुई थी। विद्यार्थियों और पुलिस में झगड़ा हो गया था। विद्यार्थियों को बुरी तरह से मारा। पर कहा यह गया कि हमारे आदमी मारे गये।

दूसरे, जो ट्रक चली उसमें कहा कि हमारे आदमी मारे गये। मैंने तो देखा है कि उन विद्यार्थियों के अलावा जिनके प्लास्टर्स बंधे हुए थे उनमें एक साठ वर्ष का बूढ़ा भी था जिसका शरीर कई स्थानों से फट गया है। मैंने इन घटनाओं का अब तो जिक्र किया है पर मैं यह बात पूछना चाहता हूं कि इनको यूनीवर्सिटी में बिना परमिशन घुसना नहीं चाहिये था। यह प्रवेश उन्होंने किसी की प्रेरणा से किया। आप जब तक इनकी रक्षा करेंगे तब तक ऐसे काम होते रहेंगे। हमारे मुंह से बात निकलती है या हम छींकें तो कहते हैं कि मारो और पुलिस वाले जब छींकते हैं तो कहते हैं कि शतंजीव। एक ही जगह नहीं अनेक स्थानों पर इनके बर्बरतापूर्ण अत्याचार हुए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में लाठी चार्ज हुआ, अभी-अभी राहजनी का इन्स्टान्स हुआ। कितनी लज्जा की बात है कि राहजनी की स्थिति आई थी। दूसरे बलिया जिले में चलती ट्रेन

में डकैती की और तीसरे सीतापुर जिले में जीवित आदमी पर ३०२ का मुकदमा चलाया गया। जौनपुर का मामला, आदमी जेल में था और कहते हैं कि डकैत है।

अब मैं सिद्धान्त की बात कहना चाहता हूं। हमारी मुख्य मंत्री यह कहना चाहती हैं कि वह जो हमारी पुलिस फोर्स है यह डिमारेलाइज हो जायेगी अगर हम उसमें बाधक होंगे। हम एक बात पूछना चाहते हैं कि आपको जितनी चिन्ता है कि हमारा पुलिस फोर्स डिमारेलाइज न हो उतनी हमको भी चिन्ता है। या हमें कहने दीजिये कि हम आपकी सरकार नहीं हैं या हम आपकी रक्षा नहीं करेंगे। जहां पी० ए० सी० ने फ्रन्ट पर जाकर कमाल किया वहां हम उसकी प्रशंसा करते हैं।

जो उन्होंने कश्मीर के मोर्चे पर किया, उसे मैं मानता हूं। जहां उन्हें बर्बरता का मुकाबला करना पड़ता है वहां ये बड़े सक्षम नजर आते हैं, लेकिन सिविल पापुलेशन के साथ व्यवहार करने का कोई ज्ञान या ख्याल उन्हें नहीं है। मैं समझता हूं कि उनका व्यवहार इस पहलू पर अच्छा नहीं था। शिक्षा संस्थाओं में अगर ऐसा व्यवहार किया जाता है तो भला कैसे कल्याण होगा? पुलिस की मनोवृत्ति नहीं बदली है। पुलिस आज भी समझती है कि हमको तो ला एंड आर्डर मेनटेन करना है और हमारे मालिक को उस पद पर पदासीन बनाये रखना है, चाहे जनसंघ के या पी० एस० पी० के या सोशलिस्ट या कम्युनिस्टों को पीटना पड़े, या लड़कों को, विद्यार्थियों को, लड़कियों को, बूढ़ों को मारना पड़े। वह समझते हैं कि उनको और पब्लिक से क्या मतलब, हमारे मंत्री जी हमारी रक्षा के लिये हैं ही। मुख्य मंत्री जी या पहले २–४ मंत्री जी पहुंच जायंगे और हमारे जैसी कहेंगे। कौन सत्य का कहने वाला है? आज एक आदमी नहीं कई-कई केस ऐसे होते हैं कि आदमी सरकार की जेल में बन्द है और उधर उस पर पुलिस मुकदमा चलाती है कि उसने डकैती डाली। १७ आदमियों से पुलिस उसे शिनाख्त कराती है। उसका चालान हो जाता है। ऐसा शिनाख्त करने वाले यही पुलिस पैदा कर सकती है यह क्षमता इन्हीं में है। इन घटनाओं ने सबको डिमारेलाइज किया है। पुलिस का केवल यह मकसद रह गया है कि कन्विक्शनों की तादाद ज्यादा हो। निर्दोष हों या न हों उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं। समझ में नहीं आता कि कहूं या न कहूं। सच कहता हूं कि यह विचार और व्यवस्था पुलिस में अभी भी इतनी फैली हुई है कि इनका जीवन में कल्याण नहीं हो सकता है। पुलिस में कम्पलीट ओवर-हालिंग की आवश्यकता है।

विद्यार्थियों के प्रति हमारी कुछ मांगें थीं। जैसी मांग की गई है, यदि इनक्वायरी के लिये सुप्रीम कोर्ट का जज होता तो अच्छा था। हमारी गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट का जज भी मुकर्रर नहीं किया। वहां के अफसरों को तुरन्त मुअत्तल किया जाय वरना निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। विद्यार्थियों पर जो मुकदमा चल रहा है उसे वापस लिया जाय। जो लड़का मरा है उसके अभिभावकों को कम्पेंसेशन दिया जाय। भविष्य में, बिना उपकुलपति के पूछे कम से कम आश्वासन ही दे दें—पुलिस यूनिवर्सिटी में न घुसे। आज हम क्या मुंह दिखायें? बाहर से आया हुआ आदमी जो इंटरनेशनल बोर्डिंग हाउस में आता है, वह मारा जाता है और उसकी पाकिट से पैसा भी छीन लिया जाता है। बस्ती जिले में तो मरे हुए आदमी की जेब से घड़ी निकाली गई, लेकिन यहां जिन्दे के पाकेट से पैसे निकाले गये। अगर पुलिस का रवैया नहीं बदला तो यूनिवर्सिटीज में और छात्रों में सदैव झगड़े होते रहेंगे। उनको यह बुद्धि नहीं है कि सिविलाइज्ड सेक्शन से कैसे व्यवहार किया जाता है। उनके मन में वही दमन की भावना है जो अंग्रेजों के समय में थी।

*श्री गिरधारीलाल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, वाराणसी में हिन्दू विश्वविद्यालय की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर जो यह कुकृत्य हुआ है, मैं समझता हूं कि देश के इतिहास में ऐसा काण्ड शायद ही हुआ हो।

(इस समय ४ बज कर १८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट पीठासीन हुए।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गिरधारीलाल]

सन् ४२ के आन्दोलन में जब विश्वविद्यालय के छात्रों ने सड़कों पर तमाम टेलीफोन तार और पेड़ों को तोड़ कर उनका ढेर लगा दिया, जिस समय उन्होंने कचहरी में जाकर छत पर चढ़कर झंडा लगा दिया था उस समय वहां एक अंग्रेज कलेक्टर पिन्डले था और सारी शक्ति अंग्रेजों की थी। लेकिन उस समय एक भी लाठी-चार्ज नहीं हुआ और उस कलेक्टर ने बुद्धिमानीपूर्वक लड़कों के क्रोध को शान्त किया और कोई प्रतिवाद उसके बदले की भावना का नहीं हुआ। लेकिन दुख होता है हमें हमारी स्वाधीनता के इस युग में, जब हम १७,१८ साल से आजादी देख रहे हैं, हमारे इन अधिकारियों ने ऐसी भावना से काम लिया। आज हम सदन के सभी माननीय सदस्यों से अपील करते हैं कि ऐसी घटनायें होती रहेंगी और होंगी, यदि आप लोग यह नहीं सोचेंगे कि इसका मूल कारण क्या है। अभी कुछ दिन पहले २६ जनवरी को गणतन्त्र दिवस के अवसर पर माननीय श्री प्रकाश जी ने "आज" अखबार में एक आर्टिकिल निकाला था। इतनी बड़ी हस्ती होते हुए उनका यह कहना है कि आज के अधिकारियों के खयालात ये हैं कि वे अपने को अधिकारी समझते हैं और नागरिकों के प्रति उनकी भावना रिआया जैसी है। वे नागरिकों को नागरिक समझने के लिये हर्गिज तैयार नहीं हैं। (शेम, शेम) यदि आपको सुव्यवस्थित ढंग से शासन चलाना है तो, कैसे भी हो, आपको इन अधिकारियों की मनोवृत्ति को बदलना होगा। मोटर से कुचलने की घटना हो गई।

श्री उग्रसेन—

(मुख्य मंत्री के जाने पर) व्यवस्था का प्रश्न है। मुख्य मंत्री जी को इस बहस को सुनने के लिये यहां रहना चाहिये। वह जा रही हैं।

श्री अधिष्ठाता—

वह स्वेच्छा से जा सकती हैं, जैसे आप भी जा सकते हैं।

श्री गिरधारीलाल—

मोटर वहां रुकी नहीं हालांकि उस पर पुलिस थी। किसी भी दुर्घटना के बाद नियमानुसार मोटर दुर्घटना स्थल पर रुकनी चाहिये और जिसे चोट लगे उसे अस्पताल में पहुंचाना चाहिये, लेकिन यह नहीं किया गया। मोटर चली गई। एन० सी० सी० के कुछ लड़कों ने उसे अस्पताल भेजा। डाक्टरों ने भ्रम पैदा किया कि वह लड़का अभी जीवित है, लेकिन जब वहां से लड़कों ने देखा कि आक्सीजन देने वाला यंत्र भी बाहर चला गया तो वहां क्षोभ का वातावरण पैदा हुआ। उस वातावरण में, पुलिस का एक ट्रक जो वहां जा रहा था, लड़कों के हाथ आया और उसमें आग लगाई गई। मैं मानता हूं कि यह गलती हुई। लड़के तो उद्दंड होते ही हैं, इस बात को भी हम नहीं भुला सकते। पुलिस की एक ट्रक भीतर गई, सारे अधिकारी वहां मौजूद थे, फिर दूसरी ट्रकें और रास्तों से गईं और वे लोग चले गये।

अब विचार यह करना है कि क्या वजह थी कि २, ३ घंटे बाद ५०० की फौज, जिसमें लाठी और बन्दूक वाले सभी थे, यूनिवर्सिटी के गेट पर क्यों जमा हुए और उसके बाद फाटक तोड़ा जाता है। जहां सारे अधिकारी उपस्थिति हों। (शेम शेम) मैं समझता हूं कि यह जो घटना हुई है यह बहुत बड़ा कलंक है उत्तर प्रदेश के लिये, हमारी सरकार के लिये कलंक है। शहर के नागरिकों से जब हमसे इसका जिक्र आया तो हमारे पास कोई उत्तर नहीं था जो हम उनको दे सकते। हम क्या मुंह लेकर और क्या उत्तर देकर सफाई देंगे? हमारा यह कर्तव्य है और सरकार की यह ड्यूटी है कि चाहे जो अधिकारी हो, हमें निष्पक्षता से ईमानदारी के साथ जांच करनी चाहिये। कांग्रेस की सरकार होने के नाते यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आचरण से यह साबित कर दें कि हमारे ऊपर किसी अधिकारी का प्रभाव नहीं है। इसलिये जिन लोगों ने कसूर किया है हमको उन्हें दण्ड देना चाहिये। मैं इन शब्दों के साथ सरकार से निवेदन करता हूं कि वे इस बात से सबक लें और अधिकारियों के दिमाग में जो यह भावना है कि वे अधिकारी हैं और हम सब लोग उनकी रिआया हैं वह भावना निकल जाय। अगर यह

भावना नहीं बदली गयी तो कांग्रेस और सरकार दोनों के लिये यह बड़े कलंक की बात होगी। मैं आशा करता हूं कि निष्पक्षतापूर्वक जांच कराकर दोषी लोगों को उचित दण्ड दिया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बनारस विश्वविद्यालय के इस जघन्य कांड पर जब मैं अपनी राय सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं तो यह मान कर करता हूं कि वाराणसी नगरी के करीब ७ लाख नागरिकों और १५–१६ हजार विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की साक्ष्य उसके साथ है। लगातार आठ घंटे बनारस के नागरिकों, विश्वविद्यालय के अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों से मिलने के बाद हमने जो निष्कर्ष निकाला है वह इस प्रकार है। विश्वविद्यालय में जो कांड हुआ है वह एक बड़ा भारी जघन्य अपराध हुआ है। उसको साधारण रूप से देखने से ही मालूम होता है कि वह पुलिस अधिकारियों की एक सुनियोजित कार्यवाही थी और बदले की भावना से प्रेरित थी तथा अपने देश और प्रदेश में जो लोकतंत्र चल रहा है, उस पर कुठाराघात है। अगर सरकार चाहती है कि वह अपने को निष्पक्ष साबित कर सके, अगर वह जनता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती है, अगर वह कानून और जनतंत्र की रक्षा करना चाहती है तो सरकार को चाहिये कि वह इस कांड से संबंधित सारे अधिकारियों को निलंबित कर दे। पूरे बनारस नगर और आसपास के सब लोगों की यह राय है कि जब तक उनको मुअत्तिल नहीं किया जायगा, निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। गोरखपुर विश्वविद्यालय की घटना आपके सामने है। इसलिये सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार सही जांच कराना चाहती है और दोषी लोगों को सजा देना चाहती है तो उसका पहला कार्य यह होना चाहिये कि वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एस० एस० पी० दीक्षित, ए० डी० एम० , सिटी मैजिस्ट्रेट, सिंहल, कोतवाल, बी० बी० गुप्ता, डी० एस० पी०, आदि सारे अधिकारियों को मुअत्तल कर दिया जाय या उनको स्थानान्तरित कर दिया जाय। हमारे सामने वाइस चांसलर भगवती और विश्वविद्यालय के करीब १० अधिकारी बैठे हुए थे, उन सब के सामने ६० साल के बूढ़े भगवती वाइस चांसलर ने आंखों में आंसू भर कर कहा कि ऐसा कांड होगा, यह मैं कभी सोचता भी नहीं था हालांकि बाम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जिन्दगी बितायी और ६० साल का हो गया। मैंने अपने आंखों से देखा कि निरपराध, शस्त्रहीन छोटे-छोटे बच्चों को इन्हीं आंखों के सामने पुलिस ने मारा। बच्चे मारे जा रहे थे, दीपक कुमार बालक जो हमारे सामने साक्ष्य में आया था उसके हाथ टूट गये हैं, वह कमची बांध कर सामने आया था, वह वहां का विद्यार्थी है। उसको वाइस चांसलर के सामने खड़ा करके मारा गया, वाइस चांसलर इसको बरदाश्त नहीं कर सके, वह बगल से जाकर लड़के को छुड़ाना चाहते थे इस पर कांस्टेबिल ने कहा कि आप हट जाइये नहीं तो मरम्मत हो जायगी और हम से श्री भगवती जैसे विद्वान ने कहा कि मैं भी आगे बढ़ता तो पीटा जाता। विद्यार्थी ने बयान दिया और हमने स्पष्ट सुना ऐसा पुलिस वालों ने कहा कि अगर वायस चांसवलर नहीं हटते तो उन को भी मारो। दस कदम की दूरी पर विजय कुमार पांडेय नाम का विद्यार्थी जो बलिया का निवासी है उसका हमने अस्पताल में बयान लिया। वह अपनी साइकिल पर आ रहा था, उसको पुलिस ने चारों ओर से घेर कर मारा, साइकिल छीन कर तोड़ डाली। उसके १५–१६ चोटें हैं उसका शरीर चकनाचूर कर दिया गया है। कहा जाता है कि विद्यार्थियों का समूह उमड़ पड़ा था। मैं जानना चाहता हूं कि दफा १४४ क्यों लगाई गई थी? क्या इसलिये लगाई गई थी कि विश्वविद्यालय के प्रांगण में विद्यार्थियों को खोज खोज कर मारा जाय। क्या जरूरत थी १४४ के लगाने की। बनारस में क्या हो गया था? वाइस चांसलर ने मांग नहीं की तो क्यों लगाई गई? क्या इसलिये लगाई गई कि सैकड़ों की तादाद में पुलिस इकट्ठा करके नौजवान विद्यार्थियों को कुचला गया, वहां की गाथा सुन कर हम दिल मसोस कर रह गये, अवाक् रह गये। एक एस० एन० पाल नाम का विद्यार्थी कलकत्ता निवासी कह रहा था कि मुझ को पुलिस वालों ने दौड़ते हुये मारा। उसने किसी तरह से कलेक्टर के पास दौड़ते हुये जाकर कहा कि हमारी रक्षा की जाय, हमारी रक्षा की जाय। कलेक्टर खुद विद्यार्थी की पुकार पर कुछ नहीं किए और चारों ओर से पुलिस वालों ने घेर कर विद्यार्थी का अंगभंग कर डाला और उसके तमाम शरीर को तोड़ डाला।

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

एक और बात सुनिये जिसे सुन कर मैं चकित रह गया और लज्जा के मारे मेरा सिर झुक गया। मारिशस का एक विद्यार्थी रश्मिकांत पुनीत ने बताया है कि हमें दो साथियों के साथ इन्टरनेशनल होस्टल में खड़ा था और पुलिस वालों ने मैं घसीट कर मारा है और मेरे साथ टूटे हैं, शरीर लाल हो गया है, ३२ रुपये जेब से निकाले गये हैं। उसने कहा कि हम विदेशी हैं हमें यहां के झगड़े से कुछ मतलब नहीं है, यहां पर विदेशियों पर भी आक्रमण किया जाता है। इस देश का लोकतन्त्र ऐसा हो जायगा यह मैं कभी नहीं समझता था कि यहां की पुलिस निरीह विदेशी छात्रों तक को घसीट-घसीट कर मारेगी। एक मुख्य लिपिक श्री शर्मा वहां के सेन्ट्रल हाल के कार्यालय में था उसकी गाथा सुन कर हम स्तब्ध रह गये। उसने कहा कि जिन छात्रों को मैं डिग्री बांट रहा था। सिंघल के नेतृत्व में पुलिस की टुकड़ी वहां घुस गयी, वहां लड़के, लड़कियां दोनों थे, किसी तरह से कुछ लड़कियों को तो छिपाया, फिर भी कई लड़के, लड़कियों को मारा गया। हमने वहां जाकर जिलाधीश से ४० मिनट तक बात की, हमने उनसे कुछ नहीं कहा और ४० मिनट तक लगातार हम उनकी बातों को सुनते रहे। उन्होंने अपनी सफाई में उदाहरण पेश किया जिस को सुनने के बाद हम निश्चित हो गये कि वहां पुलिस ने जानबूझ कर विद्यार्थियों से बदला लेने की भावना से यह कार्यवाही की। २५ तारीख को ईद के दिन ४ विद्यार्थी, जिनमें छात्रों के प्रेसीडेंट भी थे, पांडेय मेसुरा में पोस्टर चिपकाने गये थे। उनका वहां पर कांस्टेबिल से कुछ झगड़ा हो गया। तो वे कांस्टेबिल उन्हें पकड़ कर थाने ले गए और वहां पर थानेदार और पुलिस कांस्टेबिलों ने उनकी मरम्मत की और उन्हें हवालात में डाल दिया। जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पता चला कि इस प्रकार लड़कों को पकड़ लिया गया है तो वे वहां पर पहुंचे और उन्होंने लड़कों को निकाला। उन्हें चाय पिलायी और उनसे कहा कि तुम एक-एक पुलिस वालों को पहचानो और उन्हें मुअत्तल कर दिया। तो श्रीमन्, पुलिस वालों के दिल में उस दिन से आग लगी हुयी थी कि हम विद्यार्थियों और जिलाधीश से बदला लेंगे, विद्यार्थियों को ठीक करेंगे। ऐसा करेंगे कि जो जिलाधीश हैं वे भी कांपें। तो श्रीमन्, यह एक पूर्व नियोजित घटना है।

दूसरी बात माननीया कृपालानी जी ने मान ली है और स्वीकार कर लिया है कि जब नियम है कि बिना वाइस चांसलर की परमिशन के बाहर की अथारिटी या पुलिस की टुकड़ी यूनिवर्सिटी कैम्पस में नहीं आ सकती तो उसे वहां जाने की क्या आवश्यकता थी। मैजिस्ट्रेट का कहना था कि वाइस चांसलर ने हमें अन्दर आने का हुक्म दिया था, लेकिन अगर वाइस चांसलर हमको हुक्म भी न देते तो भी हम ताला तोड़ते और यूनिवर्सिटी के दायरे में घुसते। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कबूल किया है कि हमारी २ ट्रकें जिनमें कोई पुलिस जन घायल नहीं था, हरिजन गेट से वापस चली आयीं। डी० एस० पी० जो थे वे भी सकुशल चले गए थे। केवल ३ कांस्टेबिलों का पता नहीं था। ये सब जान बूझ कर अस्पताल में गए। सर सुन्दर लाल हास्पिटल के डाक्टर बैद्य जी हैं, उन्होंने बयान दिया है कि मोहन लाल वर्मा जो सड़क पर घायल हुए थे, उसको विद्यार्थी यहां पर आउट डोर में लाए थे। उस समय मैं अपने हास्पिटल में था। आउट डोर हास्पिटल में मुझे बुलाया गया। जब मैं वहां पर गया तो मैंने पाया कि वह लड़का अचेत था। उसके बायें फेफड़े पर हाथ से मालिश करने पर उसमें कुछ जान आयी। हमने यहां पर आपरेशन करके हवा देनी चाही लेकिन उसके ऊपर से ट्रक का पहिया गुजरा था, हम वर्मा को बचा नहीं सके। वह लड़का १२–१ बजे तक मर गया, लेकिन हमने उसके मरने की सूचना इसलिए नहीं दी कि शांत वातावरण खराब हो जायगा। इसलिए हमने ३ बजे डिक्लेयर किया कि मोहन-लाल वर्मा मर गया। डाक्टर बैद्य का यह बयान है कि जब मैं खाना खाने गया हुआ था और मेरे सहायक खन्ना साहब वहां पर थे तो सी० आई० डी० के कुछ लोग वहां पर आए और उन्होंने कहा कि अपने कमरे की कुंजी दीजिए। वहां पर एक सिपाही ने अपनी वर्दी उतार कर रखी है और अस्पताल की वर्दी पहन रखी है। २ और कांस्टेबिल अस्पताल में ही वर्दी बदल कर छिपे हुए थे। जिसको सी० आई० डी० का एक आदमी जानता था, पुलिस अधिकारी जानते थे और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी जानते थे। उपकुलपति, रजिस्ट्रार तथा विश्वविद्यालय के सारे उच्च

अधिकारी इस रहस्य को नहीं जानते थे। सारी बातों को जानते हुए भी ट्रक और कांस्टेबिलों के बहाने पुलिस वालों ने यूनिवर्सिटी के अन्दर घुस कर यह जघन्य अपराध किया। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का बयान है कि तीनों कांस्टेबिल ए० डी० एम० के साथ और सी० आई० डी० के साथ सकुशल वापस आये और किसी को चोट नहीं थी। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का बयान है कि सिंहल ने खराब काम किया था। एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों विद्यार्थियों ने कहा कि सिंहल ने पुलिस वालों से विद्यार्थियों के लिए यह कहा कि मारो सालों को। इस तरह का काम पुलिस द्वारा हुआ है। वहां का बड़ा हाकिम जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है उसका यह बयान है। सही बात है कि अगर आप चाहते हो कि सारे देश और प्रदेश का जन जीवन शांत रहे तो सरकार को और माननीया सुचेता जी को कठोर कदम उठाना चाहिए और उनके सरल हृदय में कठोरता भी होनी चाहिए।

इस संबंध में मेरी पहली मांग यह है कि सारे संबंधित अधिकारियों को तुरंत निलम्बित किया जाय और वहां से उनका स्थानान्तरण किया जाय। दूसरी बात यह कि यूनिवर्सिटी कोर्ट के सदस्यों ने जो आज एक बड़ी लम्बी मांग की है उनके साथ में अपने को जोड़ता हूं और सरकार से उस प्रस्ताव को मान लेने के लिए कहता हूं किन्तु सरकार उनके मांग को न मान सके तो कम से कम श्री मिट्ठन लाल के स्थान पर किसी सिटिंग न्यायाधीश को ही रख दें। श्री मिट्ठन लाल विधान मंडल के सचिव रह चुके हैं, इसलिए मैं उनके संबंध में विशेष जानकारी रखता हूं, किन्तु इससे अधिक और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वह यह है कि सारे प्रदेश में बिना वाइस चांसलर की अनुमति के कोई भी सशस्त्र पुलिस कर्मचारी विश्वविद्यालय के अन्दर नहीं जाना चाहिए और यदि कोई जाय तो उसे फौरन इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए कि आगे कोई ऐसा काम करने की हिम्मत न कर सके।

माननीय गृह मंत्री जी के लिए मैं क्या कहूं? आज अखबारों में मैंने माननीया सुचेता जी के बयान को पढ़ा जिसके द्वारा उन्होंने हम लोगों को नेक सलाह दी थी। मैं तो उनके बयान को पढ़कर स्तब्ध रह गया कि वे अपनी कमियां हमारे ऊपर क्यों डालती हैं। श्रीमन्, उसी दिन जब विश्वविद्यालय कांड पर चर्चा हो रही थी तो माननीय गृह मंत्री हंस रहे थे। मैं मानता हूं कि श्री मोहन लाल वर्मा उनके घर का नहीं था, उनके परिवार और खानदान का नहीं था इसलिए उनके दिल में उसके लिए मोह नहीं था और उनका निष्ठुर हृदय नहीं पसीजा, लेकिन श्री मोहन लाल वर्मा इस देश का ही एक नौनिहाल लड़का था। उसके साथ का ही एक लड़का श्री उमा शंकर सिंह जो चारपाई पर पड़ा हुआ था, हम लोगों ने उसका बयान लिया। उसने बतलाया कि हम लोग साइकिल पर आ रहे थे, मोहन लाल आगे हैंडिल पकड़े बैठा हुआ था, इसी बीच में एक ट्रक ने तेजी से आकर इतनी जोर से मारा कि हमें बड़े जोर की चोट आयी और श्री मोहन लाल उसी ट्रक के नीचे आ गया। श्री ज्योति भूषण गुप्त ने बतलाया कि जहां श्री मोहन लाल ट्रक के नीचे आया था वहां से १५ फीट दूर तक की सड़क खून से सनी हुई थी। इसी से आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि उस ट्रक कि रफ्तार कितनी तेज थी। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि श्री मोहन लाल की मृत्यु का मुआवजा उसके परिवार को मिलना चाहिए।

इसके अलावा श्री हरगोबिंद सिंह जी से मेरा निवेदन है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए, इस सरकार की इज्जत बचाने के लिए, इस देश और प्रदेश की इज्जत बचाने के लिए उनको स्वयं ही सरकार से हट जाना चाहिए। केवल मैं ही नहीं कहता हूं, श्री राजाराम राय और माननीय गेंदासिंह जी सदन में नहीं हैं, उनके मित्र श्री आनन्देश्वर प्रसाद सिंह हैं, उनका बयान अखबार में देखा और परसों बनारस में उनसे मुलाकात भी हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेसी हूं। इसे मानते हुए उनका कहना था कि पूरी सरकार को इस जघन्य कार्य के लिए इस्तीफा दे देना चाहिए। अधिष्ठाता महोदय, हवालात में कोई बन्द होता है तो उसे खाना दिया जाता है, ठीक से उसे रखा जाता है। श्री ज्योति भूषण गुप्त जी का बयान यह है कि १०, १२ व १४ वर्ष की उम्र के ३ लड़के बन्द थे। उससे वह रात को मिलने गये। उन्होंने देखा कि ३ लड़कों के बीच

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

में दो कंबल मिले थे और जब खाने की बात पूछी तो सबसे छोटा लड़का रोने लगा। श्री ज्योति भूषण गुप्त ने रात को जब सारी दूकानें बन्द हो गयी थीं २ बजे रात को लाकर विद्यार्थियों को खाना दिया। ये सारे काम हैं पुलिस वालों के।

कितने पुलिस वाले घायल हैं, कितनों को चोटों लगी हैं ? अस्पताल जब मैं देखने गया तो लाठियों के प्रहार से एक तरफ विद्यार्थियों की हड्डियां टूटी हुई थीं, सर टूटे हुए थे, पैर टूटे हुए थे, लेकिन दूसरी ओर पुलिस वालों की यह स्थिति दिखाई नहीं पड़ी।

इन शब्दों के साथ मैं यह कहूंगा कि सरकार सारे अधिकारियों को मुअत्तल करे। माननीय मुख्य मंत्री जी, गृह मंत्री को हटाइये। इनको नहीं हटाया गया तो जनजीवन में शांति नहीं रह सकेगी और इधर के बैठने वाले संघर्षरत रहेंगे।

श्री रामायण राय—

पांडेय जी ने मेरा नाम लिया है। मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि मोहनलाल नाम का जो छात्र मरा है (शहीद हुआ है की आवाज) देवरिया का रहने वाला है। मुझे भी इस बात का दुख है। लेकिन संयुक्त समाजवादी दल के सम्मानित नेता अकारण मेरे ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप अपने को अपने एक्सप्लेनेशन तक ही सीमित रखिए।

श्री रामायण राय—

मेरी पांडेय जी से कोई बातचीत इस संबंध में नहीं हुई है। यह मिथ्या है। पांडेय जी का भाषण इस प्रश्न की गंभीरता को अपने असत्य भाषण से कम कर रहा है।

श्री उग्रसेन—

बोलने की हिम्मत ही नहीं है। कुर्सी के लालच में इधर से उधर मारे मारे फिरते हो।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

अधिष्ठाता महोदय, आप इस बात के गवाह हैं कि मैंने रामायण राय पर कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किया है। उनको जो भ्रम हो गया है उसके फलस्वरूप उन्होंने हमको सदन के सामने झूठा बनाया है, मैं इस पर विशेषाधिकार की नोटिस देता हूं।

*श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो प्रश्न इस सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत है वह बड़ा दर्दनाक है और किसी के लिए भी एक हद तक गंभीर है। प्रश्न केवल इतना नहीं है कि इधर के बैठे हुए या इधर के बैठे हुए लोग क्या कहते हैं ? प्रश्न यह है कि प्रशासन विश्वविद्यालयों के संबंध में अपनी बुनियादी नीतियों का स्वयं रक्षण कर सकता है या नहीं ? बड़ी दुखद बात है कि बनारस यूनिवर्सिटी में पुलिस ट्रक से दब कर एक होनहार देश का नवयुवक मर गया। लेकिन जो यह दुर्घटना हुई है उससे केवल एक नौजवान के मरने या कुछ लोगों के चोटें आने की बात नहीं है। बात यह हुई है कि परम्परागत ऐतिहासिक जो विश्वविद्यालयों की आटोनौमी रही है उसके अन्दर प्रशासकीय लोगों के आने जाने से जो परंपरा रही है, जो मान्यता रही है या जो मर्यादा रही है उसकी वहां हत्या हुई है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस बुनियादी बात को जब देखा जाता है तो हमारे सामने एक बड़ा गंभीर सवाल उपस्थित हो जाता है। मेरे सामने एक बात और साफ है कि इधर के बैठे हुए सदस्य इस बात को मानते होंगे कि मंत्रि-परिषद् की आज्ञा से ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन यह और भी दुखद बात है कि उनकी इच्छा के विरुद्ध हमारी मान्यताओं के विरुद्ध, प्रशासन के विरुद्ध अगर सरकारी अधिकारी काम करने लगें और यह समझें कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है तो स्थिति और भी गंभीर है। यही बुनियादी बात इस बात में निहित है जिसकी यहां चर्चा हो रही है। बड़ी खतरनाक हालत होती है किसी मुल्क के लिए यदि वहां के प्रशासन की तबियत के खिलाफ उसका यंत्र काम करना शुरू करे और जब ऐसी स्थिति आ जाए तो मानना चाहिए कि वहां के एडमिनिस्ट्रेटर्स के ऊपर, जो नीति निर्धारित करने वाले लोग हैं, उनका कब्जा हल्का हो गया है या उनका ग्रुप कमजोर हो गया है। यह भी स्थिति बड़ी खतरनाक और दर्दनाक है। इन बातों को मद्देनजर रखें तो फिर यह सवाल किसी दल विशेष का नहीं रह जाता है।

मान्यवर, विद्यार्थी आन्दोलन में स्वयं मेरा जन्म हुआ है और ऐसे मौके पर हम इस आन्दोलन में आए थे जब विदेशी सरकार का खौफनाक पंजा हमारे देश के ऊपर था। जो परंपरा उस जमाने में मानी जाती थी उसकी मुझे याद है कि १९४२ में डाक्टर झा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। १२ तारीख को विद्यार्थियों के जुलूस पर फायरिंग हुई। हम अपने साथी की लाश को लेकर यूनिवर्सिटी में गेट के अन्दर आ गए और दिन भर तकरीर करते रहे। पुलिस पार्टी वहां पर खड़ी खड़ी देखती रही। झा साहब ने पुलिस से कह दिया कि मैं तुमको अन्दर नहीं आने दूंगा। पुलिस अन्दर नहीं आई। मेरा कहना यह नहीं है कि आज का प्रशासन उन परम्पराओं को नहीं मानता है। उनको मानता है, लेकिन बनारस यूनिवर्सिटी के इस मामले में किसी बात के सोचने विचारने की जरूरत नहीं है कि ऐसा हुआ या नहीं। मिस्टर भगवती जो बनारस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और जिनको गवर्नमेंट ने इस योग्य माना है कि वे आज यूनिवर्सिटी के उपकुलपति हैं और जिनका सारा जुडीशियल फ्रेम आफ माइंड है और हर सवाल को सोच विचार कर अपनी राय उसके संबंध में बनाते हैं, अगर उनकी यह राय है और वास्तविक स्थिति के जब वह गवाह हैं कि बिना उनकी आज्ञा के पुलिस यूनिवर्सिटी के अन्दर आ गई इसकी जांच के लिए हाई कोर्ट जज कि जरूरत नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो तत्काल होनी चाहिए, हमारी नीति खंडित होती है, तो तत्काल उनके लिए दण्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए। क्या करेगी इन्क्वायरी कमेटी? क्या वह सरकार की नीति के संबंध में राय देगी? या वह यह देखेगी कि पुलिस को विश्वविद्यालय प्रशासकों को अनुमति के बिना यूनिवर्सिटी में आने का अधिकार है या नहीं? मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री और पुलिस मंत्री प्रदेश की जनता के सामने बनारस यूनिवर्सिटी के संदर्भ में एक बार फिर से स्पष्ट कर दें कि उनकी नीति सारे प्रशासन के बारे में क्या है। हमें पूरा भरोसा है कि हमारी इस बुनियादी नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और हमें उसकी सैंक्टिटी, जो यूनिवर्सिटी की पवित्रता है उसको कायम रखना चाहिए। गुस्से में, भावावेश में हम कुछ भी कहें किन्तु बहुत सारे सवालों का एक साथ जवाब मिलने की आवश्यकता नहीं है। पहले हम बुनियादी सवालों पर बात करें और जब यह बात तय हो जाए कि किन अधिकारियों ने ऐसा किया तो किसी को आगे मांग करने की जरूरत नहीं है। प्रशासन को, सरकार को स्वयं अपने कर्त्तव्य का अगले कदम का पालन करना चाहिए। प्रशासन की खूबसूरती यह नहीं है कि कोई मांग करे, जोर डाले और दबाव इस्तेमाल करे जब स्वयं लोगों में विश्वास हो जाए कि बिना किसी दबाव, बिना किसी परवाह और भावावेश के उचित काम हो जाएगा, यही एक अच्छे प्रशासन की निशानी है। इसी का नाम एक शुद्ध और अच्छा प्रशासन है। जिन अधिकारियों ने यह किया है, उनके संबंध में मौलिक रूप से दण्ड व्यवस्था का जो चक्र है, उसकी तत्काल शुरूआत हो जानी चाहिए। जांच तो सिर्फ इस बात की शुरू होगी कि वे अन्दर घुसे तो फोर्स का इस्तेमाल किया या नहीं और कहां तक कितनी फोर्स का इस्तेमाल किया। अन्दर घुसे, यह बात तो पूरी तरह से स्पष्ट है, इसमें कोई प्रकाश डालने या जांच की आवश्यकता नहीं है। वह तो सूर्य की ज्योति की समान सर्वसाधारण के सामने स्पष्ट है।

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]]

(इस समय ४ बजकर ५६ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुन : पीठासीन हुए ।)

कहा जाता है कि दो ट्रकों की जानें खतरे में थीं, इसलिए ऐसा किया गया । सुचेता जी उस परंपरा में ढली हैं जिसने सिद्धांतों के रक्षण के लिए सर्वस्व स्वाहा किया है । दो ट्रकों की आहुति भी देनी पड़ती उस सिद्धांत की प्राप्ति के लिए तो क्या वह उसको कम मानतीं ? दो ट्रक जल जाते तो जल जाते, लेकिन सिद्धांत तो कायम रहता । यदि हमने सिद्धांतों की हत्या कर दी और दो ट्रकों को बचा लिया तो उसका बोझ हम पर बराबर बड़ा बुरा पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि हमने कोयले पर तो मुहर लगा दी और मोहरों की लूट कर दी ।

दूसरी चीज जो है, वह यह है कि जब अन्दर पुलिस जाय भी आज्ञा से तो उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए । किसी बात के संबंध में यदि पुलिस अन्दर आये तो उसको प्राक्टर को भी मारना चाहिए ? क्या यूनिवर्सिटी कैम्पस में दाखिल होने के बाद पुलिस इतना मदान्ध हो जाती है, अधिकारी इतना भूल जाते हैं कि सिटी मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को मारना शुरू कर दे । क्या यूनिवर्सिटी कैंपस में कुछ ऐसा लिखा है कि जो भी सरकारी अधिकारी इसके अन्दर आ जाए वह विद्यार्थी अधिकारियों के भेद भूल जाए और यह न सोचे कि नीति आधार पर वहां पर कैसे व्यवस्था करे ? मैं समझता हूं सरकार को पुलिस की इस कार्यवाही को गंभीरता से सोचना चाहिए और जो बुनियादी बात है यूनिवर्सिटी में घुसने की, उस पर सरकार को तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए । जो विदेशी छात्र के साथ घटना हुई है या अन्य सारी बातें जो हुई हैं, उनका जांच के बाद ही निर्णय हो सकेगा कि कहां किस की क्या गलती थी । लेकिन मैं विश्वास करता हूं हमारी कांग्रेस की कुछ पर परम्पराएं और मर्यादाएं रही हैं, जिनका बड़-बड़े हमारे नेताओं ने बराबर हर कीमत पर पालन किया है ।

एक बार महात्मा गांधी की धर्मपत्नी श्रीमती कस्तूरबा ने कांग्रेस के चन्दे का पैसा अपने किसी दूसरे कार्य में इस्तेमाल कर लिया, ऐसा सोचकर कि इसको इसमें बाद में जमा कर देंगे । इस बात का जब गांधी जी को पता चला, उन्होंने व्रत कर दिया और कहा यह तो पाप होगा, हम इस पैसे को इधर से उधर नहीं कर सकते । तो सार्वजनिक जीवन की मान्यताओं में हम किसी तरह का हल्कापन नहीं कर सकते हैं । हमें पूरा भरोसा है सरकार, मुख्य मंत्री और पुलिस मंत्री इस अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और उन पर जो बड़ी जिम्मेदारी आयी है, उसका ठीक निर्वहन करेंगे । वह अपनी जिम्मेदारी का ठीक से पालन कर सकें, यही मेरी उनसे प्रार्थना है ।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़) —

अधिष्ठाता महोदय, विधायक जीवन के इतने वर्षों में बहुत सी जांच को जानने के बाद आज मैं जिस परिणाम पर पहुंचा हूं और जिस प्रकार की जांच करने का मुझे मौका इस बार मिला, उस में जिस प्रकार का दृश्य बनारस में मुझे देखने को मिला और जिस प्रकार की घटना मुझे मालूम हुई, इसके पहले मुझे ऐसा अवसर नहीं मिला था । इस पूरी घटना के दो भाग रहे हैं । एक भाग तो वह है जो ट्रक को जलाने के पहले तक और दूसरा उसके बाद का । ट्रक को जलाने की तो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है । एक दुर्घटना हुई । एक लड़का पुलिस ट्रक के पहिये के नीचे आकर मरा । पुलिस ट्रक चालक भाग गया । उसके बाद लड़के को लेजाकर अन्य लड़कों ने अस्पताल में भर्ती करा दिया और उसकी दवादारू शुरू हुई । कुछ लड़कों ने, जिनको बहुत वेदना थी, उन्होंने आकर बाद में, एक दूसरी लौटती ट्रक में आग लगा दी । यहां तक जो सारी घटना है वह एक स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया दिखाई पड़ती है । १२ बजे तक यह सब समाप्त हो गया था । अधिकारियों के बयान के मुताबिक भी सारे वाकयात १२ बजे तक समाप्त हो चुके थे लेकिन ३ घंटे के बाद एक सुनियोजित ढंग से, एक प्रतिशोध की भावना से और विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय के अधिकारियों को सबक सिखाने के दृष्टिकोण से, बहुत बड़ी सशस्त्र पुलिस शक्ति को लेकर, विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार का ताला तोड़कर, बिना विश्वविद्यालय

के अधिकारियों की आज्ञा के विश्वविद्यालय के प्रांगण में घुसना कोई न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। जब हमने जिलाधीश से पूछा तो उन्होंने बताया कि कुछ सिपाहियों को बचाने की दृष्टि से नाट लैस दैन ५०० सिपाही गये थे। लेकिन नगर के दूसरे लोगों का कहना था कि लगभग एक हजार पुलिस के सिपाही थे। अगर जिलाधीश का बयान ही सही मान लिया जाय कि ५००, ६०० थे जिनमें २०० राइफलधारी, ४०० लाठी वाले, पी० ए० सी० के जवान यूनिवर्सिटी के अन्दर घुस गये तो इसकी क्या जरूरत थी ? जब जिलाधीश से पूछा गया कि इतनी बड़ी शक्ति की क्या जरूरत थी तो उन्होंने बताया कि हमको १० हजार विद्यार्थियों का मुकाबला करना था जो बहुत क्रोधित थे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार के जघन्य कार्य की कोई १९४२ अगस्त विद्रोह की भी रिपोर्ट है कि जब किसी इतने छोटे मामले और आन्दोलन का सामना करने के लिये इतनी बड़ी शक्ति भेजी गई हो ?

एक बात और नोट करने की है। वी० सी० और जिलाधीश ने जो टाइम हमको बताया है उसमें १५, २० मिनट का अन्तर है। पुलिस १५, २० मिनट पहले यूनिवर्सिटी गेट पर पहुंच गई। यूनिवर्सिटी वालों का यह कहना है कि पुलिस पहले पहुंच गई। उनको टाइम दिया गया था ३॥ बजे का और वह पहुंच गये ३। बजे। लेकिन अगर वह १५, २० मिनट पहले भी पहुंच गई तो क्या यूनिवर्सिटी गेट पर चपरासी को नहीं बुलाया जा सकता था ? क्या वहां पर असिस्टेन्ट प्राक्टर उमाशंकर जी के जरिये से बात नहीं की जा सकती थी ? क्या वी० सी० से गेट पर उन्हें बुलाकर बात नहीं की जा सकती थी ? जो सिपाही छिपे हुये अथवा लापता बताये जाते थे उनके विषय में मालूम पहले नहीं किया जा सकता था ? जो दो ट्रक गायब बतलाये जाते थे उनके मिलने के विषय में १०, १५ मिनट वेट नहीं कर सकते थे ? अगर यूनिवर्सिटी अथारिटी मिल गये होते और बात हो गई होती तो यह काम खत्म हो जाता लेकिन बात ऐसी नहीं है। वे सिपाही अस्पताल के बाथरूम में छिपे हुये थे। विश्वविद्यालय का कहना है कि दोनों ट्रकों को हरिजन गेट से निकाला जा चुका था। उन्होंने जाकर अपने हैड क्वार्टर पर रिपोर्ट नहीं की। इन ट्रकों को यूनिवासटी अथारिटीज ने हरिजन गेट से बाहर निकाल दिया था। इसके माने हैं कि यूनिवासटी गेट पर पुलिस वालोंके पहुंचने के पहले यूनिवासटी से ट्रकें निकाल दी गयी थीं। थानेदार जा चुका था, केवल ३ तीन कांस्टेबिल बाथरूम में छिपे हुये थे जिसकी चर्चा पांडेय जी ने की है, मैं दोहराऊंगा नहीं। यूनिवर्सिटी का गेट बन्द है, उसको हैमर से आप तोड़ देते हैं। यह कौन सा कानून और नियम है ? यूनिवर्सिटी की सैंक्टिटी और पवित्रता कहां रह गयी है। शराबखाने और भटियारखाने के बराबर भी नहीं रह गयी है चाहे वह लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, गोरखपुर या बनारस यूनिवर्सिटी हो। यह तो ऊंचे दर्जे की यूनिवर्सिटी है जहां कि सुचेता कृपलानी जी भी प्राध्यापक रह चुकी हैं। हरगोविन्दसिंह जी, आप जाइये और आप वेरिफाई कीजिये कि हमारे बयान सच हैं या गलत। जितने सिपाही घायल बताये जाते हैं उतने नहीं हैं, डी० एम० झूठ बोलता है। कहता है कि ८०० लड़के गेट के बाहर खड़े थे। अगर डिफेंस बनाकर खड़े होंगे तो यूनिवर्सिटी गेट के अन्दर खड़े होंगे या बाहर खड़े होंगे लात खाने के लिये ? वहां कोई लड़का इस तरह गेट के बाहर नहीं खड़ा था। पुलिस को जहां कहीं कोई लड़का मिला वह मारा गया। दो चार लड़के महिला होस्टल के सामने, कुछ बिरला होस्टल के सामने, कुछ ब्रोचा के सामने, कुछ सेन्ट्रल हालमें, कुछ इन्टरनेशनल होस्टल में पिटे, इसी तरह से ३६ लड़के घायल हैं। पब्लिक तो पिट पिटा कर भाग गयी, उसमें लोगों को कितनी चोटें आयीं उसकी तो गिनती नहीं है। लेकिन यह सब २ मील के रेडियस में पीटे और मारे गये हैं। पुलिस को तो २५–५० लड़के भी इकट्ठे कहीं नहीं मिले। ७० वर्ष के बुड्ढे को मारना, आयुर्वेदिक हास्पिटल के कैम्पस में घुस कर डाक्टरों को मारना इस प्रकार से राउडी लोग पुलिस की नजरों में थे। क्या ये ही लड़के थे, कौन थे जिनको मारा जा रहा था ? भगवती जी ने कहा कि "इट वाज हंड्रेड परसेन्ट विंडिक्टिव ऐक्शन बाई पुलिस।"

कहां तक बताया जाय, और सारी तो कहानियां हैं। जिस तरह से मारिशस के लड़के मारे गये, डी० एम० की गोद में छिपे जाकर पास मारा गया। वाइस चांसलर के पास चिपक

[श्री झारखण्डे राय]

जाने वाला लड़का पुनीतकुमार मारा गया । जिस तरह से वाइस चांसलर के सामने बिरला होस्टल और ओचा होस्टल के लड़कों को बुरी तरह से मारा गया, ये सारी घटनायें क्या कहती हैं ? उनके ही शब्दों में वह सबक सिखाना चाहते थे बनारस के विद्यार्थियों को कि जिसको बनारस के बच्चे कभी जीवन में भूल न सकें । वही उन्होंने किया । वरना क्या यह उनके लिये मुश्किल था कि १०–१५ मिनट बाहर मुख्य गेट पर रुक जाते और वाइस चांसलर को या उनके साथियों को विजियानगरम पैलेस में बुलाकर बात करके तब अपने सिपाहियों की खोज करते ? यूनिवर्सिटी अथारिटीज कहती हैं कि तुम प्लेन क्लाथ्स में आओ खोजने के लिये, लेकिन वह ऐलानिया कहते हैं कि नहीं, हम आयेंगे यूनिफार्म में, फुल फोर्स में ये वर्ड्स हैं डी० एम० और दीक्षित जी के जो कि पागल हो चुके थे प्रतिशोध की भावना से । अन्त में जब उन्होंने कहा कि ४ बजे के बाद आइये जब कि लड़के अपने अपने होस्टल में पहुंच जायं और वातावरण और ज्यादा शान्त हो जाय, तो उन्होंने कहा कि हम देर बिलकुल नहीं करेंगे, पता नहीं हमारे सिपाहियों के साथ क्या हुआ होगा। जब कि ज्योतिकृष्ण गुप्त कह रहे हैं कि ट्रक चले जाने के बाद हम पूरी यूनिवर्सिटी का चक्कर लगा चुके हैं, अब कोई ट्रक नहीं है, हमें कोई आदमी दिखाई नहीं पड़ा । लेकिन डी० एम० ने इसरार किया कि हमारे आदमी हैं और ट्रक भी एक नहीं आयी है, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है । उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं फिर जा रहा हूं और वह फिर गये और उन्होंने रुक रुक कर काफी देर तक यूनिवर्सिटी कैम्पस को देखा और आकर कहा कि हमें कोई आदमी मालूम नहीं हुआ और ट्रक कोई कहां छिपा लेगा ? ट्रक कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे पाकेट में छिपाया जा सकता हो, लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने कहा कि नहीं, हम तो जरूर आयेंगे । उन्होंने वाइस चांसलर की, रजिस्ट्रार की एक बात भी नहीं मानी ।

मान्यवर, जब मैं ऐसी घटना को देखता हूं तो मेरे मष्तिष्क में एक ही बात आती है, एक ही ही सवाल पैदा होता है । चाहे केन्द्र में इन्द्रा जी की सरकार हो, या यहां सुचेता जी की सरकार हो, पूरे हिन्दुस्तान में एक कोने से दूसरे कोने तक कांग्रेस की ही सरकार है । यह सरकार आखिर कौन सी भाषा को समझना चाहती है ? क्या वह नागा लैंड की भाषा को समझना चाहती है, क्या वह दक्षिण में हिन्दी से संबंधित हुये उपद्रव वाली भाषा को समझना चाहती है, क्या वह जगह जगह जगह सूबों के भाषावार बटवारे वाली भाषा को समझनी चाहती है, जिसकी कि हमने कभी तारीफ नहीं की । आप इस विशेष भाषा को समझने चाहती हैं या प्रजातांत्रिक तरीकों की भाषा को समझना चाहते हैं । आज यह सवाल हिन्दुस्तान की जनताके सामने हैं., क्वेश्चन मार्क है । आज इसी सवाल के उत्तर में हिन्दुस्तान की जनता का जवाब निर्भर करता है।

श्रीमन्, मैं इस परिणाम पर पहुंचा हुं कि जो तीन सिपाही वहां छिपे हुये थे उसकी जरूर कोई प्लान थी । हास्पिटल के लोगों से मिलकर उनके कपड़े बदलवा यह सब किया गया । सी० आई० डी० वाले को उसकी जानकारी जब थी तो जरूर अधिकारियों को भी रही होगी । सी० आई० डी० का आदमी डाक्टर वैद्या के पास जाकर कहता है कि कमरे की कुंजी दे दीजिये उसमें जो पुलिस के कपड़े रखे हैं वह लेना है । उनका असिस्टेंट खन्ना और वह सी० आई० डी० वाला आदमी दोनों आकर कपड़े निकालते हैं । मैं कहता हूं कि डी० एम० को जरूर मालूम था, अगर नहीं था तो सी० आई० डी० वाले को पकड़िये। मगर उनको तो यूनिवर्सिटी में आना था, यह सब तो बहाना बनाया गया था । इसीलिये उन्होंने यूनिवर्सिटी के अधिकारियों की कोई बात नहीं मानी ।

अंत में, श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि जो घटना हुई है वह बड़ी भयंकर हुई है । हम इस जांच कमीशन से सन्तुष्ट नहीं हैं। मिट्ठन लाल जी की रग-रग से हम परिचित हैं । लोई पोई बनने से प्रशासन नहीं चलेगा । ढीली नीति अपनाने से शासन नहीं चलेगा। कोई भी आपको दबा ले और आप दब जायें, इस तरह से प्रशासन नहीं चलता । जो हाई कोर्ट के जज की आपसे मांगकी गयी थी उसको आपको मान लेना चाहिये था । आज आपसे मांग की गयी है उसको मान लेना चाहिये ।

मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो घटनायें सारे सूबे में हुई हैं और जिस तरह से छात्र नाराजगी उठ रही हैं, उनको देखते हुये माननीय हरगोविन्द जी को यह शोभा नहीं देता है कि आप मंत्रिपद पर बने रहें । आप सुचेता कृप लानी को मजबूर न करें, सेन्टर को बाध्य न करें, आप स्वयं ही इस पद से हट जायं । आपके होते हुए पुलिस का प्रशासन बदतर हो रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मेरी दृढ़ भावना हो गई है कि माननीय गृह मंत्री चाहे अपने स्वभाव से या जानबूझ कर या गलती से जो रुख सदन में अख्तयार करते हैं पुलिस के सवालों पर, उससे पुलिस का मन बेतहाशा बढ़ रहा है और इन सबका नतीजा हुआ कि उनके असिस्टेन्ट इस्तफा हुसैन के चूतड़ों पर जूते पड़े । निष्पक्ष जांच तभी हो सकती है जब कि जिलाधीश , ए० डी० एम०, सी० एम०, कोतवाल और एस० एस० पी० दीक्षित जो बिलकुल निकम्मे हैं, उनको सस्पैन्ड करायें, स्थानान्तरित करें और उस के बाद निष्पक्ष जांच करायें । हुकूमत इन्हीं की रहेगी, हमारी नहीं होने वाली है । वह तो चुनावों में ही हार जीत होगी । आपकी भलाई के लिये जनता को विश्वास दिलाने के लिये हम इन बातों को कह रहे हैं । जो विद्यार्थी मर गये हैं उनको मुआवजा दिया जाय । जो विदेशी मारे गये हैं या जो उनकी चीजें छीन ली गई हैं वे वापिस की जाय या उनका मुआवजा दिलाया जाय । उनको सुरक्षा का विश्वास दिलाया जाय ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बनारस में घटित होने वाली दुःखद घटना की यहां चर्चा हो रही है । घटना की जैसी रूपरेखा समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि निःसन्देह बहुत अशोभनीय चीज है और बहुत हद तक निन्दनीय है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्थिति इतनी गम्भीर हो गई कि उसके इतने भयानक परिणाम निकले कि सारे देश का वातावरण दूषित हो गया और उसकी उत्तेजना यहां तक आई जिसका दृश्य हम असेम्बली में देख रहे हैं । लेकिन मैं अपने माननीय मित्रों से निवेदन करूंगा कि वे स्थिति की गम्भीरता का सिंहावलोकन करके और शान्त मस्तिष्क से सोचें कि उसकी पृष्ठभूमि क्या थी और वह किस तरह से डेवलप हुई और उसका परिणाम क्या निकला और उसके बाद हमें क्या करना है । पुलिस की सारी जिम्मेदारी अन्त में गृह मंत्रालय पर आती है, लेकिन हमें यह भी सोचना है कि पुलिस भी काम करती रहे और गृह मंत्रालय भी काम करता रहे और इस तरह की अशोभनीय घटना न हो ।

(शेम शेम की आवाजें)

श्री उपाध्यक्ष—

शान्ति से सुनिये ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमें देखना यह है कि इस प्रकार की गम्भीर घटनायें घटित होने के बाद हमारी सरकार ने क्या कदम उठाया ? सोचना हमें यह चाहिये कि उसके बाद सरकार को जो कदम उठाना चाहिये था, अगर वह उठाया गया है तब तो सरकार निन्दा की पात्र नहीं है । लेकिन अगर सरकार असफल रही है तो निःसन्देह वह निन्दा की पात्र है । मंत्री जी के पास समाचार आया, मुख्य मंत्री के पास समाचार आया इस अशोभनीय घटना का । गृह मंत्रालय के पास इस अशोभनीय घटना का समाचार आया । उन्होंने तुरन्त ही जैसे कि हमारे मित्रों की मांग थी उसके अनुसार एक निष्पक्ष जांच कमीशन को नियुक्त कर दिया और एक वरिष्ठ मंत्री को आन दि स्पाट जांच कराने के लिये भेजा और यह जानने के लिये कि वस्तुस्थिति क्या है । उस परिस्थिति को अध्ययन किया जा रहा है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्य मंत्री जी और गृह मंत्री जी, जैसी जांच की रिपोर्ट आयेगी, उसके अनुसार अवश्य कार्यवाही करेंगे ।

श्री टप्रेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

दूसरे मंत्री जी को क्यों भेजा, गृह मंत्री स्वयं क्यों नहीं गये जिनके ऊपर इस विभाग की जिम्मेदारी है ?

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

मैं तो अपनी बात कह रहा हूं, किसी की वकालत तो कर नहीं रहा हूं। अगर विरोधीपक्ष यह चाहता है कि हम जो कहें वह पूर्णरूप से मान लिया जाय तो मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा कि यह जनतंत्र और न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है। जो घटना घटी उसकी जांच होनी चाहिये। यह ठीक है कि किसी घटना के बाद वायुमंडल उत्तेजित हो जाता है और दुर्भाग्य से जब एक विद्यार्थी की वहां पर मृत्यु हो गयी, उसके साथ सभी की सहानुभूति है। लेकिन ऐसी उत्तेजित परिस्थिति में हमें अपने मस्तिष्क को संतुलन में रखना चाहिये। जब आज एक जज को उसकी जांच के लिये नियुक्त कर दिया गया तो उन पर हमें विश्वास करना चाहिये और उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी चाहिये। संभव है उस रिपोर्ट के आने में देर लगे। हम यह मांग कर सकते हैं कि रिपोर्ट शीघ्रतिशीघ्र आये। अगर रिपोर्ट में फिर भी देर लगे और कहीं कोई गड़बड़ी दिखाई दे तब तो आप मांग कर सकते हैं कि दूसरे जज की नियुक्ति की जाय लेकिन बिना जांच शुरू हुये ही किसी व्यक्ति के विरोध में कोई बात कहना और अधिकारियों की निन्दा करना अथवा उनके स्थानान्तरण की मांग करना, इसके माने हैं कि आप शासन को पेनेलाइज करना चाहते हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

किसी बनारस के माननीय सदस्य के साथ जाकर वहां स्वयं देख आइये।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

अगर आपकी आज्ञा होगी तो वह भी देख आऊंगा। लेकिन इस बात पर बहुत दृढ़ता के साथ बल दूंगा कि जब तक उसकी रिपोर्ट न आ जाय और सरकार उस पर अपना कोई निर्णय न ले लें तब तक आप वातावरण को विषाक्त न करें। लेकिन विरोधीपक्ष का यह तरीका बहुत अप्रजातांत्रिक है कि वह सरकार को डिक्टेट करना चाहता है। बहुमतदल सरकार बनाता है, वह अपना नेता चुनता है, वह मुख्य मंत्री बन कर अपना मंत्रिमंडल बनाता है। किस को क्या विभाग दे, यह तो उसके ऊपर निर्भर है। विरोधीदल का गृह मंत्री और मुख्य मंत्री के ऊपर कीचड़ उछालना बिलकुल अनुचित है। कल्पना कीजिये, यदि अपोजीशन की सरकार बन जाती है और हम विरोधी पक्ष में बैठते हैं तो क्या उस वक्त आपको डिक्टेट करेंगे या यह कहेंगे कि कुंवर श्री पालसिंह को गृह मंत्री और झारखंडे राय जी को फाइनेंन्स मिनिस्टर बना दिया जाय, यह प्रजातंत्र की प्रणाली के विरुद्ध है। इस प्रकार से सदन में हुल्लड़ करना गलत बात है। यह तानाशाही की प्रवृत्ति जनतंत्र की द्योतक नहीं है, जनतंत्र की पोषक नहीं है। मैं माननीय गृह मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस अशोभनीय घटना की जांच करायें और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आयें उनके अनुसार बिना किसी हिचकिचाहट के दोषी लोगों को दंड दें।

अन्त में मैं एक बात और कहूंगा कि यद्यपि वह अप्रासंगिक है, लेकिन मैं उसे कहने के लिये बाध्य हूं कि इन दिनों पुलिस का रवैया प्रदेश में निन्दनीय हो रहा है और यह कोई बनारस की ही बात नहीं है, इस विषय में बनारस घटनास्थल बना है बाकी समूचे प्रदेश में पुलिस के कारनामों को देखकर एक ही निष्कर्ष निकलता है कि वहां पुलिस स्वच्छन्द है और उस पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। सारा होम सेक्रेटरी का राज है वह जो चाहे वह करते हैं। जिसकी भी शिकायत की जाती है वह उसको सुनकर चुपचाप रह जाते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि शासन इस विषय में जरा सतर्कता से काम ले। मैं चाहता हूं कि वह अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाये।

आज इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि पुलिस में भ्रष्टाचार है और न इस से ही इन्कार किया जा सकता है कि पुलिस में अनियमिततायें हैं परन्तु इस पर भी हमारे गृह मंत्री जी उन के प्रति उदासीन रहते हैं। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि बनारस की इस घटना को और पुलिस के सामान्य प्रशासन को दोनों को मिलाया न जाय। बनारस की घटना को अलग से देखा जाय और इस पर हम यहां अपना रोष व्यक्त करते हैं। अन्त में मेरा निवेदन है कि जब तक जांच कमीशन की रिपोर्ट न आये और इन्क्वायरी पूरी न हो जाय तब तक इस तरह की बातें न की जायं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय पालीवाल जी के भाषण को सुन कर सोच रहा था इस सदन में, यहां से बाहर और इस प्रदेश में और कांग्रेस में कोई भी पुलिस का हमदर्द नहीं मिला श्री बद्री प्रसाद पालीवाल जी के अलावा, लेकिन एक दो बात बाद में उन्होंने कहीं कि इस सूबे की पुलिस बहुत ही निकम्मी है तो मुझे उनकी बात से कुछ संतोष हुआ। मैं इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी से २–३ बातें जानना चाहता हूं। उन्होंने इन्क्वायरी के लिये जो श्री मिटठ्न लाल को सेट अप किया है, जो प्रदेश के रिटायर्ड जज हैं। हमारे कांग्रेस के प्रधान और उसके जनरल सेक्रेटरी श्री बहुगुणा और बनारस के माननीय सदस्य, श्री गिरधारी लाल ने अपने विचार बताये हैं और श्रीमती सुचेता कृपालानी ने स्वयं सदन में कहा था कि पुलिस ने एक्सेसेज की हैं। इतना ही नहीं, जिन गुरुओं ने हमें और श्रीमती सुचेता जी को पढ़ाया है और जिनकी शिक्षा की वजह से आज वह मुख्य मंत्री हैं उन गुरुजनों ने जो वक्तव्य दिया है उसका थोड़ा अंश मैं आपकी आज्ञा से पढ़ दूं। यह उनका सर्वसम्मत प्रस्ताव है इस पर जिनके हस्ताक्षर हैं उनके नाम हैं:

श्री ओ० पी० ओबेन, डा० एफ० एन० नरियलवाला, श्री सी० आर० के० राव, डा० आर० एल० सिंह, डा० (मिस) एस० वार्ष्णेय, डा० एम० सी० बिजावट, डा० जी० पी० श्रीवास्तव, डा० जी० एस० लवानिया, डा० के०सी० त्रिपाठी, डा० (मिस) पद्मा मिश्र, डा० के एन० लाल, श्री बी० के० माथुर, कनवीनर। इन विद्वानों ने यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया है, यह अंग्रेजी में है मैं इसको हिन्दी कर दूंगा। इसमें है कि—

"We the members of the staff of the Banaras Hindu University record our protest and strong condemnation of the unprecedented "invasion" of the University Campus by the police and the indiscriminate beating and merciless assault made on the students, teachers and ministerial and the other staff of the University by the Police under the very nose of the District Magistrate and the S.S.P. of Varanasi on the afternoon of the 3rd of February, 1966.... They pulled out the personnel working at these various places and belaboured most recklessly teachers, assistants, students and alumni who had queued up to receive their Diplomas. Innocent individuals and passers by were dragged and beaten by frenzied policemen of the armed constabulary and several were taken into custody. The officers not only did not restrain the mass violence of the police but some of them also actively encouraged the atrocities.

No words can be too strong to condemn this police vandalism. As teachers we cannot remain silent at the brutal assault on our students, teachers and other members of the University. No permission was either sought or obtained from the vice chancellor for entering the Campus"

इस प्रस्ताव से साफ है कि वाराणसी के अधिकारियों ने प्रतिशोध की भावना से विद्या मंदिर में आक्रमण करके जो नादरशाही मचाई उसका उदाहरण कहीं न मिलेगा।

श्रीमन्, समस्त गुरुजन, उपकुलपति—श्री भगवती जी, श्रीमती सुचेता कृपालानी जी और कांग्रेस के अध्यक्ष मंत्री तथा सभी आदमियों की एक ही राय है कि पुलिस बिना आज्ञा के युनिवर्सिटी में घुसी और विश्वविद्यालय की एटानामी और पवित्रता को तोड़ दिया। जब हम इन्क्वायरी करने गये तो विश्वविद्यालय के आनरेरी ट्रेजरार, भैया जी, श्री जोती भूषण जी गुप्त ने एस० पी० से कहा कि अगर आपके ४ आदमी यूनिवर्सिटी कैम्पस में रह गये हैं तो कृपा करके आप प्लेन क्लोदस में वाइस चैन्सलर के पास चले जाइये और हम और आप फिर उन व्यक्तियों को ढूढ़ेंगे। श्रीमन्, उनसे कहा गया था कि आप ४ बजे आ जाइये। लेकिन १२ और ३ बजे के बीच में ही एस० पी० और डी० एम० ने बिना उप कुलपति की आज्ञा प्राप्त किए युनिवर्सिटी कैम्पस पर हमला बोल दिया। क्या यह सही नहीं है कि

[श्री नेकराम शर्मा]

१२–३ के बीच में किसी अफसर का टेलीफोन होम मिनिस्टर के पास आया, या आई० जी० के पास आया था या मुख्य मंत्री जी के पास आया और यहां से कह दिया गया कि जाओ और मजा चखाओ ? श्रीमन्, आनरेरी ट्रेजरार के मना करने के बावजूद भी १२ और ३ बजे के बीच में आर्म्ड पुलिस जो कि महाराजा विजय नगर के पैसेल में बुलायी गयी रामनगर से और जिस तरह से चन्गेज खां और मुहम्मद गजनवी ने हमला किया था वैसे ही हमला कर दिया। उसी प्रकार प्रदेश की पुलिस ने पवित्र विश्वविद्यालय पर हमला कर दिया उनके पास उस समय जब कि हमला किया स्टेनगन भी थी। आनरेरी ट्रेजरार साहब के लड़के ने बताया कि उन्होंने स्वयं स्टेनगन देखी थी। मैं पूछना चाहता हूं कि जब वाइस चांसलर और आनरेरी ट्रेजरार से बात हो गयी थी तो क्या कारण था कि इतनी बड़ी फोर्स लेकर, जिसको डी० एम० ने भी स्वीकार किया है, हमला किया गया ३ बजे। श्रीमन्, मैं बता देना चाहता हूं कि इतने जुल्म और अत्याचारों के बावजूद भी काशी विश्वविद्यालय आज खुला है और कार्य कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस आज भी तैनात है। एक तरफ तो छात्रों में इतना डिसिप्लिन कायम है, मैं वहां के उपकुलपति, स्टाफ और छात्रों को उनके सब्र और अनुशासन पर उन्हें बधाई देता हूं, दूसरी ओर आज भी पी० ए० सी० तैनात है, उसकी घोर भर्त्सना करता हूं।

माननीया मुख्य मंत्री से मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो इन्क्वायरी का काम श्री मिठ्ठन लाल को दिया है, मैं आपको बतला दूं कि उनकी इनक्वायरी आपके पी० ए० के बराबर भी नहीं होगी। श्री मिठ्ठन लालजी को हम जानते हैं, वे यहां के सेक्रटरी थे, एल० आर० थे और हाई कोर्ट के जज थे। वे सरकार की परवरिश के ऊपर ही चल रहे हैं और जिन्दा हैं और उसी के आधार पर उनके जिम्मे यह काम दिया गया है। जैसी सरकार की इच्छा होगी वैसे ही रिपोर्ट बना देंगे उनसे न्याय नहीं मिलेगा। मैं आपसे मांग करता हूं कि जैसा कि सभी कोन से एक ही आवाज है, बिना वाइस चासंलर की परमिशन के पुलिस को युनिवर्सिटी के अन्दर नहीं जाना चाहिए था। और यह बात सिद्ध है कि पुलिस वाइस चासंलर की परमिशन क बिना अन्दर गयी। यह बात भी सिद्ध है कि पुलिस ने विद्यार्थियों को मारा पीटा और उनको लूटा। यह बात भी सिद्ध है कि पुलिस ने विदेशी विद्यार्थियों को मारा। ७ विद्यार्थी जो अस्पताल में थे उनमें से सब साइंस और इंजीनियरिंग कालेज के ही थे जिनको चोटें आयीं और गिरफ्तार हुए। अगर आर्ट्स के विद्यार्थी होते तो कुछ बात समझ में भी आ सकती थी। ९ विद्यार्थी जो सिनेमा देखकर लौट रहे थे उनको पीटा गया और उनको पकड़ कर २५ घंटे तक एक सेल के अन्दर बिना खाना दिये बन्द रखा गया और उनकी एफ० आई० आर० तक नहीं लिखी गयी और न रिपोर्ट की नकल आज तक दी गई। पुलिस ने उनको मारा, उनकी घड़ी व पेन छीन लिया, एक विद्यार्थी के पाकेट से ५ पैसे तक ले लिये गये, इससे बढकर शर्म की बात और क्या हो सकती है ?

(व्यवधान)

मैं चाहता हूं कि आप माननीय मिठ्ठन लाल जी को यह कार्य न दें और एक इनक्वायरी कमीशन बैठावें जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जज हो, एक गवर्नमेन्ट का नामिनी हो और एक यूनिवर्सिटी का नामिनी हो। आज ही माननीया मुख्य मंत्री इस सदन में घोषणा करें कि बिना कुलपति की आज्ञा के किसी विश्वविद्यालय में दफा १४४ नहीं लगायी जायगी, और न उसके अन्दर पुलिस जायगी। यूनिवर्सिटी कस्बों में सोबर और सीनियर आफिसर्स ही रख जायेंगे। वहां जो आफिसर तैनात था मि० सिंघल वह नादिरशाह की तरह नंगा नाच कर रहा था। श्री डा० गोपाल प्रसाद त्रिपाठी जब भेलूपुर थाने में गये तो वहां के सब इंसपेक्टर इन्द्रजीत सिंह ने उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया कि उसको बतलाते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गये। माननीय पालीवाल जी जो सदन को प्रजातंत्र की नसीहत दे रहे थे, मैं उनको तथा सुचेता जी को बतला दूं कि इस प्रदेश में जनतंत्र की हत्या उसी दिन हो गयी जिस दिन आपने जनता द्वारा हराये गये एक व्यक्ति को यहां का होम मिनिस्टर

बना दिया । जनतंत्र का जनाजा तो उसी दिन निकल गया जब कि जनता द्वारा हराये गये व्यक्ति को आपने एजूकेशन, और फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। श्रीमन्, फाइनेंस, होम और

(व्यवधान)

एजूकेशन जैसा इम्पार्टेन्ट पोर्टफोलियो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हाथ में जाने चाहिये थे लेकिन ऐसा न करके जनतंत्र की ही हत्या जानबूझ की गयी है । गृह मंत्री जी में न तो माननीया सुचेता जी का विश्वास है, न हाउस का विश्वास है और न जनता का ही विश्वास है, इसलिये उनको फौरन ही अपने पद से इस्तीफा देना चाहिये । मैं सदन को बतला देना चाहता हूं कि यदि कल तक होम मिनिस्टर ने इस्तीफा नहीं दिया तो, जैसा कि हमारे विरोधी दल के नेता ने घोषित किया है, सदन में तथा सदन के बाहर भी इसके लिये हमारा आन्दोलन जारी रहेगा ।

श्रीमन्, मेरी दूसरी राय यह है कि इनक्वायरी तुरन्त इंस्टीटयूट की जाय, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनायड——अगर आपने एक, दो महीने बाद इंक्वायरी की तो कोई नतीजा नहीं होगा । एक हफ्ते के अन्दर इंक्वायरी पूरी हो जानी चाहिये अगर आपने देरी की तो इंसाफ नहीं मिलेगा ।

तीसरा सुझाव यह है कि जिन विद्यार्थियों की घड़ियां, रुपये और संपत्ति लूटी गयी है, उसे वापस होना चाहिये ।

चौथा सुझाव यह है कि माननीय सुचेता कृपालानी फारेन विद्यार्थियों को जो पीटा गया है उनसे माफी मांगें पत्र लिखकर और कम से कम सिंघल, डी० एस० पी० तथा इन्द्रजीत सिंह, सब इंस्पेक्टर को फौरन सस्पेन्ड करना चाहिये । हो सकता है कि उनके दिमाग में हो कि इससे पुलिस का मनोबल टूटेगा । तो क्या गुरुओं का, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं का, जनता का, कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों का, माननीय सदस्यों का और पत्रकारों का मनोबल नहीं टूटेगा, अगर पुलिस के बचाव में आपने कहा कि प्राइमा फेसी केस एस्टेबलिश हो तो सस्पेन्ड हो सकते हैं ? श्री निगम जिसने बैलट पेपर रद्द कर दिये थे, इंक्वायरी से पहले ही सस्पेन्ड कर दिये गये थे और प्राइमा फेसी केस नहीं बना था । अभी इंक्वायरी चल रही है । जब वाइस चांसलर, स्टाफ, कांग्रेस के सदस्य तथा सारा सदन सब एक राय के हैं तो आप इस सदन में घोषणा करें कि हम कुछ आफिसर्स को सस्पेन्ड करेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि जितने भी कमीशन पुलिस के खिलाफ इंक्वायरी करने के लिये नियुक्त हुए एक भी उदाहरण माननीय मुख्य मंत्री दे दें जिसमें पुलिस के खिलाफ कोई कार्यवाही हुई हो ? क्या यह सही नहीं है कि इस्तफा हुसैन साहब को लाक अप में मारा गया ? उस पर क्या कार्यवाही हुई ? टालने वाली बात तो टालने की होती है । आप फौरन एक कमीशन बनायें जिसमें यूनीवर्सिटीज अथारिटीज का विश्वास हो । आप उनका एक नामिनी लें, एक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज अथवा हाई कोर्ट का जज लें । आप स्वयं वकील हैं । जांच की जो मंशा थी वह श्री मिट्ठन लाल जी से पूरी नहीं होगी, लेकिन जो बात सिद्ध हो चुकी है एक मत से उसके मुताबिक फौरन इन अफसरों को सस्पेन्ड किया जाय और सारे केसेज स्टूडेंटस के खिलाफ वापस ले लें । आप यह भी देखें कि पुलिस फोर्स डिसिप्लन के मानने वाली होती है लेकिन उसका ड्राइवर ट्रक से कुचल कर भाग गया, उसको सस्पेन्ड आपने किया या गिरफ्तार किया कि नहीं ? पिक अप में आग लगा दी गयी, लेकिन उसे बुझाने के लिये डी० एम० तथा एस० पी० ने इतनी देर तक क्या किया, उन्होंने जज्बात को उभाड़ा। मेरा अनुरोध है कि मेरे दिये गये सुझावों पर सरकार कार्य करे वर्ना यह संघर्ष बहुत बढ़ जायगा ।

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो विवाद हो रहा है उसे सीमा में ही सीमित रहना चाहिये । जिस विषय को लेकर आज मुख्य मंत्री जी ने उदारतापूर्वक यह समय दिया उसी विषय पर हमको अपने को बांधे रखना चाहिये । जितनी आपकी शिकायतें हैं, सारे जीवन भर

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

की उन सा ी शिकायतों को यहां पेश करने से प्रश्न जटिल हो जाता है, स्पष्ट नहीं होता है। म तो मान्यवर, अपनी सरकार से कुछ कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरी ऐसी धारणा है कि कभी कभी ऐसे प्रश्न उपस्थित होते हैं, सार्वजनिक जीवन में और प्रशासकीय क्षेत्र में जब वे प्रश्न किसी दल विशेष के किसी पार्टी विशेष के नहीं रह जाते हैं। आज जो प्रश्न आया है वह ऐसा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो न किसी विरोधी दल का है, न कांग्रेस पार्टी का है और न सरकारी पार्टी का है। यह प्रश्न कुछ मौलिक सिद्धान्तों का है। जब कभी ऐसी समस्या उत्पन्न हो जो दिखाई दे कि यह मनुष्यता के विरुद्ध है, जब ऐसी समस्या उत्पन्न हो जब दिखाई दे कि यह लोकतंत्र के विरुद्ध है, जब कोई ऐसा प्रश्न उपस्थित हो जब दिखाई दे कि यह स्वस्थ परम्परा के विरुद्ध है और औचित्य के विरुद्ध है तो फिर उस प्रश्न पर चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे विरोधी दल हों या कोई भी हों, उन्हें दलगत राजनीति से ऊंचे उठ कर विचार करना चाहिये।

मैं ऐसा समझता हूं कि बनारस में जो घटना घटी उसका स्वरूप जैसा देखने को मिला है वह ऐसा ही है कि विरोधी दलों की ओर से कुछ कहा जा रहा है उसका उत्तर कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिलाया जाय, ऐसा न करके मौलिक रूप से देखने की चेष्टा की जाय। मैं समझता हूं कि छात्रों के विरुद्ध पहले भी अनेक बारबल प्रयोग हुआ है, कोई नई बात नहींहुई है। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से मैं भी यहां का गृह मंत्री रहा हूं और मेरे समय में छात्रों के विरुद्ध बल प्रयोग हुआ है। मैं यह भी जानता हूं कि कभी भी यूनिवर्सिटी में पुलिस नहीं गई है. और श्रीमन्, मुझे स्मरण नहीं है कि उत्तर प्रदेश के सारे इतिहास में, जहां यूनिवर्सिटियों की संख्या सब से बड़ी है, कभी पुलिस ने वाइस चांसलर की अनुमति के बिना यूनिवरसिटी कैम्पस में ६०० की संख्या में फोर्स के साथ मार्च करते हुए गई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ।

मैं निवेदन करता हूं कि यह हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्र हैं और अच्छे छात्र रहे हैं। वहां के बोर्ड का मैं मेम्बर रहा हूं और माननीया मुख्य मंत्रीजी का उससे गहरा संबंध रहा है। एक संस्था है जो ऊपर से निश्चित है कि नेशनेलिस्ट है और देश के प्रोग्रेसिव फोर्सेज के साथ रही है। मुझे याद आता है, अगर मैं भूल नहीं करता कि १९४२ के समय जब हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्रों ने महात्मा गांधी जी के क्विट इंडिया आन्दोलन में बड़ी तेजी से भाग लिया था। यह रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटी है, छात्र इसके भीतर रहते हैं, वे बाहर निकल कर आते थे और आन्दोलन में काम करते थे और हम लोगों का उनके साथ सम्पर्क था। केवल बनारस में ही वे काम नहीं करते थे, बल्कि देश के सारे सूबों में विद्यार्थियों के दल जाते थे और वहां काम करते थे। मैं आपसे कहूं कि "भारत छोड़ो आन्दोलन" की शुरुआत का हिन्सात्मक स्वरूप था, तार काट डाले गये, रेल की पटरियां उखाड़ दी गई और इन सब कार्यवाहियों में विद्यार्थियों ने भाग लिया। उस समय सरकार को यह संदेह था कि विद्यार्थी यहां से जाकर काम करते हैं और फिर यूनिवर्सीटी होस्टल में चले जाते हैं और उन्होंने यह कहा कि हम यूनिवर्सिटी पर कब्जा करेंगे। कुछ शिक्षा संस्थाओं पर कब्जा करने के लिये जैसे काशी विद्यापीठ और बनारस यूनिवर्सिटी के बारे में सरकार ने सोचा कि पुलिस यूनिवर्सिटी कैम्पस में पहुंचाई जाये, यदि मैं भूल नहीं करता तो मुझे स्मरण है कि आज हमारे जो राष्ट्रपति हैं माननीय राधाकृष्णन जी, वहां के वाइस चांसलर थे और पूज्यपाद स्वर्गीय मदन मोहन मालवीय उस समय जीवित थे, वह मालवीय भवन में रहा करते थे, उन्होंने पुलिस को अन्दर नहीं आने दिया। उन्होंने कहा हमारे विद्यार्थी बाहर जाते हैं, तुम उन्हें गोली मार दो, गिरफ्तार कर लो, लेकिन यूनिवर्सिटी कैम्पस के अन्दर हम तुम्हें आने की कतई आज्ञा नहीं देंगे। जब गुप्त रूप से, छिपे रूप से पुलिस के कुछ आदमी यूनिवर्सिटी कैम्पस में आये और उनको इस बात का पता चला तो उन्होंने पुलिस अधिकारियों को लिखा कि आप इन्हें रोकिए, यहां के गवर्नर से और वायसराय से उन्होंने इस विषय पर बात की और यह कहा कि हमारे कैम्पस में पुलिस इस तरह से आती है, तो यह तो आप एक बड़ी पवित्र परम्परा को नष्ट करते हो, आप कृपया इसको रोकिये। मुझे

जहां तक स्मरण आता है, यह २२–२४ वर्ष पुरानी बात है, उसके बाद से कभी भी पुलिस अन्दर नहीं गयी। कैम्पस के बाहर उनके कैम्प लगे रहे, फाटक पर भारी संख्या में वह पड़े रहे, लेकिन भीतर नहीं गये।

ऐसी बात तो है नहीं कि जो सरकारी आफिसर्स कहें वह सही है और जो दूसरे लोग, चाहे वह कितने उच्च पदस्थ हों, चाहे जितने बड़े से बड़े हों, कहें, वह सब झूठ है। वाइस चांसलर ने एक बात कही और मैं समझता हूं कि वाइस चांसलर के कहने का सरकार के ऊपर बहुत असर हुआ है, तभी उन्होंने जुडीशियल इन्क्वायरी बैठाई है। मुझे स्वयं इस बात की प्रसन्नता अवश्य है कि मैं उस रोज बनारस में तो था नहीं, गोरखपुर में था और दूसरे दिन बनारस पहुंचा था। मेरी वहां पर शहर के सभी वर्ग के लोगों से बात हुई, एक दो की तादाद में नहीं, सैकड़ों की तादाद में जनता हमारे पास आयी और उन सभी के द्वारा हमें बताया गया कि पुलिस की ओर से अन्धाधुन्ध रूप से ज्यादती की गयी। सभी लोगों में रोष और क्षोभ व्याप्त था सभी पुलिस की घोर निन्दा कर रहे थे। उन्होंने कहा, यह क्या हुआ? मैं उनको क्या उत्तर देता, उन्होंने स्वतंत्र भारत की पुलिस से ऐसे जघन्य अपराध की कदापि आशा नहीं की थी। मैंने स्वयं मुख्य मंत्री जी को बनारस से टेलीफोन किया और यह देखा कि उनके (मुख्य मंत्री के) हृदय में भी इस प्रश्न को लेकर पीड़ा है और उन्होंने कहा कि इसकी जांच कराई जायगी और मुझे भी इस दुर्घटना की खबर मिल गयी है। दूसरे दिन मैं यहां आया भी, उन्होंने जांच का ऐलान कर दिया। यह ठीक है। लेकिन मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी में जो पापुलर गवर्नमेंट होती है, उसका एक फंक्शन होता है। एक तरफ जनता है और एक तरफ ब्यूरोक्रेसी है और इस पर पापुलर मिनिस्ट्री बैठी हुई है, उसका काम यह होता है "पीपुल्स व्यू प्वाइन्ट" जनता की जो भावना है, जो आकांक्षा है, उसकी जो ध्वनि है, हृदय की, उसको यथा समय यथा संभव प्रशासन के मामले में ले आया जाय। यही उसका सबसे बड़ा काम होता है, क्योंकि यह तो बदलने वाली सरकार होती है जो हर पांच वर्ष बाद बदला करती है और ब्यूरोक्रेसी की तो एक स्थायी इमारत बनी हुई है जो हटाई नहीं जा सकती है।

मैं समझता हूं, मान्यवर, कि छात्रों में अनुशासनहीनता है, हो सकती है, यह दुखद बात है, परन्तु यदि सरकारी अधिकारी भी अनुशासनहीन हो जायं, अगर वह अपनी बुद्धि का सन्तुलन खो दें और यदि अपनी बुद्धि की तुला को बुरी तरह से डगमगा जाने दें तो न तो जनता के मौलिक और प्रजातांत्रिक अधिकारों की रक्षा हो सकती है और न यह उचित ही हो सकता है और मैं समझता हूं कि न लोकतन्त्र ही उससे बचा रह सकता है। वह चीज जनता और सरकार दोनों के लिए खतरनाक हो जाती है।

मेरी दृष्टि में वाइस चांसलर का स्टेटमेंट काफी ठीक था, उस पर आपने जांच बैठाई। उसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलिस ताला तोड़कर अन्दर गयी तो जो कि रुक सकती थी। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में पुलिस अन्दर जा भी सकती है, यह नहीं कि उसके लिए हर स्थिति में यूनिवर्सिटी अथारिटी की आज्ञा लेना आवश्यक ही हो। यदि उसके अन्दर किसी का मर्डर हो रहा हो तो यह नहीं हो सकता कि वह आज्ञा लेने के लिए रुकी रहे और मर्डर हो जाने दे। लेकिन १२ बजे की घटना और तीन बजे जाना और जब कि उन्हें मालूम है कि तीन आदमी अन्दर छिपे हैं उसके अन्दर घुसने की जबरदस्ती करना। फाटक बन्द है, प्राक्टर कहता है कि वाइस चांसलर की आज्ञा से फाटक बन्द है, आपको ४ बजे का समय दिया गया है और ४ बजे आएं। लेकिन वह तीन बजे आ गये और प्राक्टर के कहने के बावजूद ताला तोड़ देते हैं। यह ऐसी बातें हैं जिस पर हमें अत्यधिक गम्भीरता और शालीनता से विचार करने की आवश्यकता है। हमारे यहां एक परम्परा रही है। उसकी हमको रक्षा करनी चाहिए। कभी भी पुलिस यूनिवर्सिटी कैम्पस के अन्दर तभी गई है जब उसके लिए मांग की गई है। कहीं भी यदि किसी यूनिवर्सिटी के अन्दर पुलिस गई है तो वह बारबार वाइस चांसलर के मांग करने पर ही गई है। जब उन्होंने यह कहा है कि हमारी लाइफ और सिक्योरिटी के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है तो

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

उसकी रक्षा करने के लिए पुलिस अन्दर गई है। यह ऐसा प्रश्न है कि इस विषय में क्या-क्या वहां पर हुआ और किस तरह से पुलिस ने कार्यवाही की, लोगों की किस प्रकारसे इसके प्रति भावना है, इस विषय में १२, १२ प्रतिष्ठित लोगों के स्टेटमेंट आ चुके हैं। जो स्वयं सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, किसी दल से उनका विशेष सम्बन्ध नहीं है, वह किसी दल के नेता भी नहीं हैं, एक सर्वोच्च अधिकारी हैं, वे भारत सरकार के द्वारा वहां पर मौजूद हैं तो ये सारी बातें सामने आ गई हैं। अब जांच हो रही है। मैं उसकी मैरिट पर नहीं जाता। मैं यह समझता हूं कि कुछ बातें ऐसी हैं कि जो स्वयं सिद्ध हैं। जो बातें स्वयं सिद्ध हैं वह अत्यन्त अनुचित हैं। उस पर हमको क्या करना चाहिए, सरकार इसको स्वयं सोचे।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मुझे बड़ा दुख है कि तीन तारीख को बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में जो घटना हुई उसमें इस तरह की बातें हुईं। उस घटना से सम्बन्धित जो वाक्यात की तफसील है उसको हमारे राम सुन्दर पांडेय जी ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने सदन के सामने रख दिया है। मैं उस तफसील में जाना नहीं चाहता हूं। मैं माननीय गृह मन्त्री और माननीय मुख्य मन्त्री से आपके द्वारा यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने इस सदन में इस बात को तस्लीम किया है कि लड़के और पुलिस दोनों की तरफ से ज्यादती हुई। यह तस्लीम किया है कि दोनों की तरफ से यह ज्यादती हुई। तो मैं उनसे पूछता हूं कि जब लड़कों ने कानून तोड़ा है तो उसके मुताबिक उनके ऊपर मुकदमा कायम कर दिया गया है या कर दिए जाने का इरादा है। जब यह बात साबित हो गई कि पुलिस के अधिकारियों ने और पुलिस के कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर ५०० की तादाद में ताला तोड़ा और पुलिस यूनिवर्सिटी गेट के अन्दर घुस गई। अब सवाल यह रह जाता है कि गृह मन्त्री जी सोचें कि उनके इंडियन पेनल कोड की कौन-सी धारा ऐसी बच गई जिसमें यह कागनेजिबिल आफेन्स नहीं है ? वहां पर सरकार ने क्या किया ? क्या वहां पर उन्होंने दफा १४७, १४८, ३९५, ३६० के अन्दर यह जुर्म नहीं किया ? अगर यह सब किया जैसा कि प्रमुख लोगों के बयान से साफ बिल्कुल जाहिर है कि उन्होंने यह सब जुर्म किये तो क्यों नहीं उनके खिलाफ मुकदमा कायम करके जुर्म कायम किये गये ? इन सब बातों के सुनने और पढ़ने से यह मालूम होता है कि दोनों तरफ से जुर्म हुआ। जब दोनों तरफ से हुआ तो दोनों के ऊपर मुकदमा कायम करके ट्रायल कमीशन बनाएं जो इस पूरे वाक्यात की छानबीन करे और सजा दे, तभी सही बातें सामने आ सकती हैं।

जब एक यह बात साबित हो गई कि जुर्म किया गया तो अब इस बात की जरूरत है कि ट्रायल कमीशन बैठाया जाय जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज हों जो बैठकर ट्रायल करे उन अधिकारियों के खिलाफ और ट्रायल के पहले उनको गिरफ्तार किया जाय और सारी कार्यवाही की जाय। इस वक्त इस बात की जरूरत है। इंक्वायरी कमीशन की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बात को सोचिए कि हिन्दू यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी घटना हुई, क्या यह पहली घटना है ? इसको गम्भीरता से सोचना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। चाहे बुलन्दशहर के अन्दर प्रजा सोशलिस्ट के साथ पुलिस का बर्ताव, गोरखपुर में इस्तफा हुसैन साहब के साथ पुलिस का बर्ताव, बाराबंकी के अन्दर श्री रामआसरे के साथ और कम्युनिस्ट सदस्यों के साथ पुलिस का बर्ताव, और चाहे मुरादाबाद के अन्दर स्वतन्त्र पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों के साथ पुलिस का बर्ताव हो, यह कोई एक जगह की घटना नहीं है। उसके अलावा गोरखपुर में फायरिंग हुई, लखनऊ में स्टूडेन्ट्स का मामला, मुरादाबाद के स्टूडेन्ट्स का मामला, ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं और क्या ऐसे ही होती चली जायंगी ? मुझे महसूस हो रहा है कि पुलिस ने कई सालों के बाद—चौधरी चरणसिंह के होम मिनिस्टरी से अलग होने के बाद यह फैसला किया है कि मौजूदा गृह मन्त्री की शरण में आकर अपने जजबात को जिनको कि उन्होंने चौधरी चरणसिंह के जमाने में दबाया था उनको दोबारा इस्तेमाल करें और यही वजह है कि आज

५४ के ५४ जिलों में पुलिस का यह रवैय्या देखने में आ रहा है। इस पर गम्भीरता से सोचें गृह मन्त्री जी। क्या इसी तरह से ऐसे वाक्यात होते रहेंगे? अगर उन्होंने कोई रास्ता और कोई तरीका अख्तियार नहीं किया जिससे इन सारी चीजों को कन्ट्रोल किया जा सके तो एक ही बात कहूंगा गृह मन्त्री जी कि "इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या।"

श्री नेकराम शर्मा—

वह जो मैंने मशीनगन की बात कही थी, वह मशीनगन नहीं थी, बल्कि स्टेनगन थी।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या आप एक दो मिनट में समाप्त करेंगे या और अधिक बोलेंगे?

श्री रियासत हुसैन—

मैं अपनी पार्टी की ओर से बोल रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष—

आप शौक से बोलिए, लेकिन समय का ध्यान तो रखना ही है। क्या आप अभी और बोलेंगे?

श्री रियासत हुसैन—

जी हां।

श्री उपाध्यक्ष—

तो कल बोल लीजिएगा। अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
७ फरवरी, १९६६।

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६५५ पर)

क्रम-सं०	अनुमति प्राप्त व्यक्तियों के नाम	क्रम-सं०	अनुमति प्राप्त व्यक्तियों के नाम
१	श्री चननदास गोपाल दास	३९	श्री गोपाल दास
२	श्री लक्ष्मीदास	४०	श्री हाकम राय
३	श्री अंजन लाल आढ़ती	४१	श्री बिहारी लाल
४	श्री रेबती रमन	४२	श्री राम चन्द्र
५	श्रीमती कमला देवी	४३	श्री कन्हैया लाल
६	श्री हाकम चन्द्र	४४	श्री एस० जी० आनन्द
७	श्री सोमाराम	४५	श्री प्रान नाथ
८	डा० सबरवाल	४६	श्री अमर नाथ
९	श्री जोगेन्द्र सिंह	४७	श्री राजेन्द्र कुमार
१०	श्री आत्मा राम	४८	श्री काला राम
११	श्रीमती गोदावरी देवी	४९	श्री बाबू लाल
१२	श्री किशोरी लाल	५०	श्री राम चन्द्र
१३	श्री मोहन सिंह	५१	श्री किशोरी लाल
१४	श्री बालमुकुन्द	५२	मेसर्स नानक चन्द्र
१५	श्री चिरंजीत राय	५३	श्री भगवान दास
१६	मेसर्स तराई माडल एजेन्सी	५४	श्री राम कुमार
१७	श्री हाकम चन्द्र	५५	श्री सेवा राम
१८	श्री मधुसूदन	५६	श्री बालीराम
१९	श्री बरमदेव	५७	श्री पशुपति नाथ
२०	सर्वश्री बरडयर्गसिंह, खेमचन्द्र	५८	श्री हरनाम दास
२१	श्री राम चन्द्र	५९	श्री पी० पी० बर्मा
२२	श्री दयालसिंह	६०	श्री इन्द्रासन सिंह, एम० एल० ए०
२३	श्री बी० के० बली	६१	श्री भोला नाथ
२४	श्री छम्बा राम	६२	श्री बी० पी०साही
२५	श्री दिवान चन्द्र	६३	श्री भगवान सिंह
२६	श्री जगदीश कुमार	६४	श्री त्रिलोक सिंह
२७	श्री लाल चन्द्र	६५	श्री चमन साहू, ओम प्रकाश
२८	श्री मिलाप चन्द्र	६६	मेसर्स तराई मोडल एजेन्सी
२९	श्री जगन लाल	६७	श्री दिवान चन्द्र
३०	श्री लोकनाथ	६८	श्री गुरुमुख सिंह
३१	श्री करतार सिंह	६९	श्रीमती महेन्द्रपुरी
३२	श्री जसूराम	७०	श्री गौरी शंकर
३३	श्री ज्वाल राम	७१	श्री त्रिलोक राज
३४	श्री केशव राम	७२	श्री राम किशोर
३५	श्री मनल दास	७३	श्री रेबती रमन
३६	श्री सीबन लाल	७४	श्रीमती शान्ति रानी
३७	श्री नानक चन्द्र	७५	श्री सुन्दर सिंह
३८	श्री कुन्दन लाल चमन लाल	७६	श्री हाकम चन्द्र

नत्थी "ख"

(देखिये तारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६४ पर)

राजकीय गोसदन—

१—राजकीय मसदन, मलगवां, डाकखाना अजीतमल, जिला टावा।

२—राजकीय गोसदन, बिछिया, डाकखाना कतरनियां घाट, जिला बहराइच।

३—राजकीय गोसदन, बरबर, जिला खीरी।

४—राजकीय गोसदन, रानीपुर, पोस्ट आफिस मानिकपुर, जिला बांदा।

निजी गोसदन—

१—निजी गोसदन, गांजा बिहारीगढ़, जिला सहारनपुर।

२—निजी गोसदन, भरा पचपेरा, जिला पीलीभीत।

३—निजी गोसदन, सिकटही, जिला मिर्जापुर।

४—बेनीमाधो, न्याज ट्रस्ट निजी गोसदन, बरकछा, जिला मिर्जापुर।

५—निजी गोसदन, इमलिया, जिला जालौन।

जिला गोसदन—

१—जिला गोसदन, सिकन्दरपुर, तहसील अतरौली, जिला अलीगढ़।

२—जिला गोसदन, बसेहरा, तहसील मेजा, जिला इलाहाबाद।

३—जिला गोसदन, बबुरी गांव, जिला बाराबंकी।

४—जिला गोसदन, ग्राम किशनी मेहरा तेंजनी, तहसील दातागंज, जिला बदायूं।

५—जिला गोसदन, पिथला अकमा, जिला फैजाबाद।

६—जिला गोसदन, कमरौआ तहसील कासगंज, जिला एटा।

७—जिला गोसदन, कटरी धर्मपुर, जिला फर्रुखाबाद।

८—जिला गोसदन, बिशुनपुर कलां, जिला गोंडा।

९—जिला गोसदन, मधवालिया, जिला गोरखपुर।

१०—जिला गोसदन, जैतपुर, जिला हमीरपुर।

११—जिला गोसदन, इटारा, डाकखाना पिहानी तहसील शाहाबाद, जिला हरदोई।

१२—जिला गोसदन, मिर्जापुर खादर, जिला मेरठ।

१३—जिला गोसदन, गोरधनपुर, जिला मुजफ्फरनगर।

१४—जिला गोसदन, धूता, जिला राय बरेली।

१५—जिला गोसदन, शाहपुर देवरघाट, जिला सुल्तानपुर।

१६—जिला गोसदन, अंगल महानाबाद, डाकखाना माखी, जिला उन्नाव।

१७—जिला गोसदन, सिमरा बिरान, जिला शाहजहांपुर।

१८—जिला गोसदन, अम्बाड़ी, जिला देहरादून।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २०७ एल० ए०—१९६६—८६२।